


# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)  
स्वायत्त निकाय  
2006 की संख्या - 3



## विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
<b>अध्याय I – सामान्य</b>		
स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे	1.1	1
संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.2	3
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा लेखाओं के एक प्रोफार्मा में लेखाओं को तैयार न करना	1.3	4
उपयोग प्रमाण-पत्र	1.4	5
<b>अध्याय II - वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय</b>		
<b>नियंत्रित निरीक्षण परिषद</b>		
परिहार्य व्यय तथा निधियों का अवरोधन	2.1	7
<b>अध्याय III – सूचना प्रौद्योगिकी एवं सम्प्रेषण मंत्रालय</b>		
<b>दूरसंचार विभाग</b>		
<b>टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र</b>		
सीमा शुल्क की परिहार्य अदायगी	3.1	9
<b>अध्याय IV - संस्कृति मंत्रालय</b>		
<b>राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता</b>		
ब्याज की परिहार्य हानि	4.1	11
<b>अध्याय V – वित्त मंत्रालय</b>		
<b>आर्थिक कार्य विभाग</b>		
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण		
परामर्शदाता की अनियमित नियुक्ति	5.1	12
<b>अध्याय VI – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>		
<b>राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान</b>		
ब्याज की परिहार्य हानि	6.1	14
<b>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</b>		
किराये की कम वसूली	6.2	15
<b>अध्याय VII – भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>		
<b>भारतीय स्वचालित अनुसंधान संघ, पुणे</b>		
सेवा कर का अधिक भुगतान	7.1	17

	पैराग्राफ	पृष्ठ
<b>अध्याय VIII – मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		
<b>दिल्ली विश्वविद्यालय</b>		
अनियमित अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करना	8.1	18
<b>भारतीय प्रबन्धन संस्थान, इंदौर</b>		
विद्युत की खपत पर परिहार्य व्यय	8.2	19
<b>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली</b>		
सेवा कर की गैर-वसूली के कारण अनियमित व्यय	8.3	20
<b>केन्द्रीय विद्यालय संगठन</b>		
समझौता ज्ञापन से विचलन करने के कारण निवेश की निष्क्रियता	8.4	22
<b>राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद</b>		
जल प्रभारों की कम वसूली	8.5	24
ठेका देने में विलम्ब के कारण हानि	8.6	25
<b>विश्व भारती</b>		
"समर्पित फीडर" पर निष्क्रिय व्यय	8.7	26
<b>अध्याय IX – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>		
<b>प्रसार भारती</b>		
निर्माता को अनुचित लाभ	9.1	28
टी.वी. प्रसारण पद्धतियों तथा प्रसार कक्षों का चालू न होना	9.2	29
अपरिपक्व प्रापण	9.3	32
निधियों का अवरोधन	9.4	33
<b>सत्यजित राय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता</b>		
स्टाफ क्वार्टरों पर अविवेकपूर्ण निवेश	9.5	34
<b>अध्याय X – श्रम मंत्रालय</b>		
<b>क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोलकाता</b>		
कम्प्यूटराइज्ड कर्मचारी पेंशन प्रणाली में कमियों का परिणाम पेंशनी लाभों के गलत भुगतान में हुआ	10.1	35
<b>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन</b>		
स्वर्ण पदकों पर अनियमित व्यय	10.2	38
<b>क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नागपुर</b>		
<b>उप-क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर</b>		
खाली क्वार्टरों के कारण निष्क्रिय पूँजी निवेश	10.3	40

	पैराग्राफ	पृष्ठ
<b>अध्याय XI – योजना आयोग</b>		
<b>अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान</b>		
ब्याज के भुगतान पर परिहार्य व्यय	11.1	43
<b>अध्याय XII – जहाजरानी मंत्रालय</b>		
<b>चेन्नई पत्तन न्यास</b>		
निर्णय लेने में देरी के कारण परिहार्य व्यय	12.1	44
राजस्व की हानि	12.2	46
पत्तन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से निर्मित भवनों में खाली इकाईयाँ	12.3	49
<b>कोचीन पत्तन न्यास</b>		
एक निजी कम्पनी को अनुचित लाभ	12.4	52
<b>कोलकाता पत्तन न्यास</b>		
निवेश पर परिहार्य हानि	12.5	53
<b>नौसैनिक अभियान्त्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता</b>		
आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ	12.6	55
<b>मोरमुगाव पत्तन न्यास</b>		
निष्फल निवेश	12.7	56
<b>मुंबई पत्तन न्यास</b>		
परिहार्य व्यय	12.8	57
अदावित नौभार की बिक्री प्राप्तियों से बिक्री व्ययों की कम वसूली	12.9	58
<b>तूतीकोरिन पत्तन न्यास</b>		
गोदाम का अनावश्यक निर्माण	12.10	59
<b>विशाखापटनम पत्तन न्यास</b>		
संस्थागत बाण्डों में निवेश पर ब्याज की अप्राप्ति	12.11	61
<b>विशाखाटनम गोदी श्रमिक बोर्ड</b>		
गलत व्याख्या के कारण ब्याज की कम प्राप्ति	12.12	63
राजस्व की हानि	12.13	65
<b>अध्याय XIII – कपड़ा मंत्रालय</b>		
<b>राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता</b>		
परिहार्य व्यय	13.1	67
<b>अध्याय XIV – शहरी विकास मंत्रालय</b>		
<b>दिल्ली विकास प्राधिकरण</b>		
दि.वि.प्रा. की ओर से निष्क्रियता	14.1	69
ब्याज की हानि	14.2	71


	पैराग्राफ	पृष्ठ
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण तथा अप्राधिकृत निर्माण को नियमित किया जाना	14.3	72
<b>अध्याय XV – युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय</b>		
<b>भारतीय खेलकूद प्राधिकरण</b>		
निम्न शक्ति गुणक के कारण जुर्माना	15.1	75
निष्क्रिय उपकरण	15.2	76
अग्राह्य व्यय	15.3	77
ब्याज का परिहार्य भुगतान	15.4	78
<b>अध्याय – XVI</b>		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति	16.1	79
<b>परिशिष्ट</b>		
I	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2004-2005 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण	81
II	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनकी 2004-2005 की सूचना दिसम्बर 2005 तक प्राप्त नहीं हुई थी	91
III	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2004-05 के दौरान जारी किए गए अनुदान	92
IV	धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखे के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	101
V	स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2003-04 के लेखे दिसम्बर 2005 तक प्रस्तुत न करना	103
VI	स्वायत्त निकायों की सूची जिनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं (31.10.2005 तक की स्थिति)	104
VII	बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र	107
VIII	अक्तूबर 2005 तक बकाया कार्यवाही टिप्पणियां	120

## प्राक्कथन

31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के विविध प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम दर्शाए गए हैं। इस प्रतिवेदन में 49 पैरे शामिल हैं।

लेखापरीक्षित संगठन परिवर्ती स्वरूप तथा विषयों वाले स्वायत्त निकाय हैं। इन संगठनों से आवश्यक रूप से सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से कुछ विशिष्ट जन लोकोपयोगी सेवाएं पूरा करना अथवा सरकार की नीतियों तथा निश्चित कार्यक्रमों का निष्पादन करना अपेक्षित है। इन निकायों तथा प्राधिकरणों में मुख्य पत्तन न्यास, टैलिमैटिक्स विकास केन्द्र, प्रसार भारती, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबन्धन संस्थान तथा अन्य शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 2004-2005 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए।



## विहंगावलोकन

### **सामान्य**

#### **स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे**

2004-05 में 253 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे नि.म.ले.प.(क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत प्रमाणित किए जाने थे। भारत सरकार ने 2004-05 के दौरान 12290.67 करोड़ रु. के अनुदान और 90.54 करोड़ रु. के ऋण 242 निकायों को जारी किए। शेष 11 निकायों को जारी, सरकारी अनुदानों की राशि की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

5600.48 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 45.57 प्रतिशत) की राशि के अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 91 शैक्षिक संस्थानों को संवितरित किए गए, 870.35 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 7.08 प्रतिशत) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थाओं को संवितरित किए गए तथा 340.33 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 2.77 प्रतिशत) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 14 स्वायत्त निकायों को संवितरित किए गए।

251 केन्द्रीय निकायों के 2003-04 के लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2004 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने थे। इनमें से 71 निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अनुबद्ध समय के भीतर लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए थे। दिसम्बर 2005 तक 14 निकायों के लेखे संबंधित संगठनों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

**(पैराग्राफ 1.1)**

#### **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

#### **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से उसको दी गई जगह के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क की वसूली करने में विफल रहा। इसका परिणाम मार्च 1999 से दिसम्बर 2004 की अवधि के लिए 41.43 लाख रु. की कम वसूली में हुआ।

**(पैराग्राफ 6.2)**

### मानव संसाधन विकास मंत्रालय

#### भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं अन्य संस्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; दिल्ली; खड़गपुर; मुम्बई; मो.ने.रा.प्रौ.सं. इलाहाबाद; रा.ओ.अ.सं. मुम्बई और वि.रा.प्रौ.सं. नागपुर द्वारा अपने ग्राहकों से उनको दी गई परामर्श सेवाओं पर 1.16 करोड़ रु. की राशि के सेवा कर की वसूली करने में विफल रहा। इसके परिणाम संस्थान ने सेवा कर को जमा करने के लिए अपनी निधि में से व्यय किया।

(पैराग्राफ 8.3)

#### केन्द्रीय विद्यालय संगठन

समझौता ज्ञापन से विचलन करके, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विद्यालय के भवन पर कार्य करने से पूर्व भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोलकाता से परामर्श नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप विवाद हुआ और परियोजना पर कार्य बन्द हो गया और परिणामस्वरूप दो वर्षों के लिए 1.59 करोड़ रु. का निवेश निष्क्रिय रहा। परियोजना लागत में भी 95 लाख रु. की बढ़ोतरी की संभावना थी।

(पैराग्राफ 8.4)

#### सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

#### प्रसार भारती

एक धारावाहिक के निर्माता को जुलाई 2001 तक अनियमित अतिरिक्त निशुल्क विज्ञापन समय प्रदान करके अनुचित रियायत प्रदान की गई। प्रसारण की अवधि के दौरान निर्माता ने रियायती प्रसारण शुल्क और निशुल्क विज्ञापन समय की उसी कुल अवधि का उपयोग किया। इन कारणों से निर्माता को 10.66 करोड़ रु. का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

(पैराग्राफ 9.1)

दूरदर्शन द्वारा मार्च 2002 से सितम्बर 2004 के दौरान निर्मित नौ निम्न शक्ति टी.वी. प्रसारण पद्धतियों के लिए परिचालन और अनुरक्षण स्टाफ नियुक्त करने में विफल रहा जिसका परिणाम इनके निष्क्रिय रहने के साथ-साथ 6.74 करोड़ रु. के निवेश के निष्क्रिय रहने में हुआ। इसके अतिरिक्त, दू.द. मार्च 2001 से मार्च 2005 के दौरान छः स्टेशनों पर 22.55 करोड़ रु. की लागत पर स्थापित प्रसार कक्षों को उनके पूर्ण होने के 12 से 48 महीनों के उपरान्त भी चालू करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 9.2)

दूरदर्शन द्वारा बडोदरा में टी.वी. टॉवर स्थापित करने से पूर्व दो ट्रांसमीटरों के प्रापण करने का परिणाम जुलाई 2005 तक दो से चार वर्षों के लिए 3.82 करोड़ रु. की निष्क्रियता में हुआ। उपकरण की गारन्टी, निष्क्रियता के समय के दौरान समाप्त हो गई थी।

(पैराग्राफ 9.3)

### श्रम मंत्रालय

#### कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भारत सरकार के मितव्ययिता के अनुदेशों तथा मूल नियमावली का उल्लंघन करके अपने कर्मचारियों को स्वर्ण पदकों के वितरण पर 9.32 करोड़ रु. व्यय किये।

(पैराग्राफ 10.2)

### जहाजरानी मंत्रालय

#### चेन्नई पत्तन न्यास

एक निकर्षण पोत के निर्माण और आपूर्ति का कार्य आदेश देने के बाद पत्तन न्यास तथा मंत्रालय के परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण निकर्षण पोत की सुपुर्दगी में देरी हुई जिसका परिणाम 2.61 करोड़ रु. के परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ 12.1)

चेन्नई पत्तन न्यास ने नवम्बर 2000 में कार्यालय परिसर को पट्टे पर देने के लिए अयथार्थवादी उच्च आधार किराया नियत किया। फलस्वरूप आठ निविदायें आमंत्रित करने के बाद भी कार्यालय परिसर की कई इकाईयां खाली पड़ी रहीं जिसका परिणाम 1.19 करोड़ रु. के राजस्व की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ 12.3)

### कोलकाता पत्तन न्यास

कोलकाता पत्तन न्यास ने सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए यू.एस.-64 योजना की 141.76 लाख इकाईयों में जुलाई 2000 तक 22.25 करोड़ रु. का निवेश किया। वह यू.एस.-64 के गिरते स्तर का मूल्यांकन करने और योजना में अपने निवेश के प्रतिदान पर समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा। अन्ततः पत्तन न्यास को मई 2003 में इन इकाईयों के प्रतिदान पर 8.07 करोड़ रु. पूंजीगत हानि हुई।

(पैराग्राफ 12.5)

### मोरमुगाव पत्तन न्यास

मोरमुगाव पत्तन न्यास, गोवा के बिना किसी विशिष्ट उपयोगिता योजना के मई 1999 में 2.46 करोड़ रु. में 20,500 वर्ग मीटर भूमि को खरीदने का परिणाम खरीद के छः वर्ष बाद भी भूमि के खाली पड़ी रहने में हुआ।

(पैराग्राफ 12.7)

### तूतीकोरिन पत्तन न्यास

तूतीकोरिन पत्तन न्यास ने भविष्य की मांग के अवास्तविक प्रक्षेपण और तीन मौजूदा गोदामों में उपलब्ध क्षमता के कम आकलन के आधार पर अगस्त 2002 में एक अतिरिक्त गोदाम का निर्माण किया। इसका परिणाम 1.62 करोड़ रु. की पत्तन निधियों के अवरोधन में हुआ।

(पैराग्राफ 12.10)

### विशाखापटनम पत्तन न्यास

विशाखापटनम पत्तन न्यास द्वारा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा लिमिटेड के बाण्डों की संस्थागत बिक्री में निवेश करने के निर्णय का परिणाम 78.25 लाख रु. की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ 12.11)

विशाखापटनम गोदी श्रमिक बोर्ड ने अपने संकल्प की गलत व्याख्या के कारण 2.88 करोड़ रु. की कम प्राप्ति की।

(पैराग्राफ 12.12)

विशाखापटनम गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा कोरोमंडल उर्वरक लिमिटेड की उगाही दर को बढ़ाने में विफलता के कारण 70.25 लाख रु. के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

(पैराग्राफ 12.13)

### शहरी विकास मंत्रालय

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आबंटिती द्वारा आबंटन की शर्तों के निरन्तर उल्लंघनों के बावजूद एक भूखण्ड के आबंटन को रद्द करने की कार्रवाई समय पर नहीं की थी जिससे वह 92.06 लाख रु. की महत्वपूर्ण भूमि से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त 43.45 लाख रु. के संघटन शुल्क भी वसूल नहीं हुए।

(पैराग्राफ 14.1)

आधिक्य निधियों को ब्याज की कम दर पर निवेश करने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को 72.90 लाख रु. की हानि हुई।

(पैराग्राफ 14.2)

### युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय

#### भारतीय खेलकूद प्राधिकरण

भारतीय खेलकूद प्राधिकरण 0.85 की निर्धारित शक्ति गुणक पर विद्युत आपूर्ति को नियमन करने के लिए शंट कपैसिटरों का प्रापण और रखरखाव में समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा। इसका परिणाम अगस्त 1997 से जनवरी 2001 की अवधि के लिए 1.95 करोड़ रु. के जुर्माना अदा करने में हुआ।


(पैराग्राफ 15.1)

भारतीय खेलकूद प्राधिकरण ने 1988-2004 के दौरान 1.10 करोड़ रु. मूल्य के उपकरण खरीदे थे जिनका उपयोग नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 15.2)

भारतीय खेलकूद प्राधिकरण ने अपने अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और उनके वैयक्तिक कर्मचारियों को 72.03 लाख रु. की लागत पर वाहन और मोबाइल फोन अनियमित रूप से प्रदान किये थे।

(पैराग्राफ 15.3)



## अध्याय I : सामान्य

### 1.1 स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए, निकायों की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971(अधिनियम) की धारा 19(2) के अन्तर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों तथा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति वार्षिक लेखाओं के प्रमाणन के साथ-साथ धन की उपयोगिता की लेखापरीक्षा की है।

31 मार्च 2005 को 253 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे, जिनके वार्षिक लेखे अधिनियम की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे।

2004-05 के दौरान, संघ सरकार द्वारा 242 स्वायत्त निकायों को क्रमशः 12290.67 करोड़ रु. तथा 90.54 करोड़ रु. राशि के अनुदान तथा ऋण जारी किए गए थे (परिशिष्ट-I)। इनमें से, 5600.48 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 45.57 प्रतिशत) राशि के अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 91 शैक्षिक संस्थानों को संवितरित किए गए थे, 870.35 करोड़ रु. (7.08 प्रतिशत) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थानों को संवितरित किये गये थे, 340.35 करोड़ रु. (2.77 प्रतिशत) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 14 स्वायत्त निकायों को संवितरित किये गये थे और 173.97 करोड़ रु. (1.41 प्रतिशत) संस्कृति मंत्रालय द्वारा 26 स्वायत्त निकायों को संवितरित किए गए थे।

11 निकायों के सम्बन्ध में 2004-05 की सूचना को सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था; इस प्रकार, उनके द्वारा जारी किए गए सरकारी अनुदानों की राशि के विवरण दिसम्बर 2005 तक उपलब्ध नहीं थे (परिशिष्ट-II)।

**1.1.1** विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2005 को, 198 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे जिन्हें संघ सरकार द्वारा अनुदानों/कर्जों से पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित किया गया था तथा अधिनियम की धारा 14(1)/14(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति धन की उपयोगिता के महत्व की है।

2004-05 के दौरान, इन निकायों को संघ सरकार ने 3346.68 करोड़ रु. की राशि के अनुदान/ऋण प्राप्त किए गए थे (परिशिष्ट-III)। इन निकायों के वार्षिक लेखे सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित किए गये हैं।

#### **1.1.2 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब**


सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागजपत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5 वीं लोकसभा) 1975-76 में सिफारिश की थी कि लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीने की अवधि के भीतर अपने लेखे तैयार कर लेने चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए और प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

वर्ष 2003-04 के लिए 251 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत की जानी थी तथा ये लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2004 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने थे। इनमें से, केवल 71 स्वायत्त निकायों के लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन महीनों की निर्धारित सीमा के भीतर लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए थे। शेष 180 स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ जैसा नीचे दर्शाया गया है :-

एक माह तक का विलम्ब	42
एक माह से अधिक तथा तीन माह तक का विलम्ब	54
तीन माह से अधिक तथा छ: माह तक का विलम्ब	45
छ: माह से अधिक विलम्ब	25
दिसम्बर 2005 तक लेखे/सूचना प्राप्त नहीं हुए	14
<b>योग</b>	<b>180</b>

### लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की सीमा

विलम्बित लेखाओं की कुल संख्या : 180



परिशिष्ट-IV में उन स्वायत्त निकायों, जिनके लेखे तीन माह से छः माह के बीच तथा छः माह से अधिक विलम्बित थे, की स्थिति दी गई है।

उन निकायों जिनके लेखे/ सूचना दिसम्बर 2005 तक प्राप्त नहीं हुए, की सूची परिशिष्ट-V में दी गई है।

#### 1.1.3 लेखाओं के प्रस्तुतीकरण का बकाया :

कुछ स्वायत्त निकायों ने पूर्व वर्षों के भी लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

1. राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, नई दिल्ली	1993-94 से आगे
2. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर	2002-03 से आगे
3. भारतीय विश्व मामले परिषद	1999-2000 से आगे
4. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण	1997-98 से आगे
5. भारत शिक्षा कोष	2002-03 से आगे

#### 1.2 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

धारा 20(1) के अंतर्गत सौंपी गई लेखापरीक्षा के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं और उसी अधिनियम की धारा 19(क)(2) में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। बहुत से केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में असामान्य विलम्ब हुआ है। 31 अक्टूबर 2005 तक, 45 निकायों के 67 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर नहीं रखे गए हैं। विलम्ब के मामलों का ब्यौरा परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षित लेखाओं

के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब ने सम्बन्धित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सूचना से संसद के दोनों सदनों को वंचित रखा।

### 1.3 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा लेखाओं के एक प्रोफार्मा में लेखाओं को तैयार न करना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पटल पर रखे दस्तावेजों पर संसदीय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2001-02 से केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाये जाने वाले लेखाओं का एक रूप फार्मेट निर्धारित किया है। तथापि निम्नलिखित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अभी तक लेखाओं के एक रूप फार्मेट को नहीं अपनाया है। इससे इन विश्वविद्यालयों की वार्षिक वित्तीय विवरणी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है:

1. दिल्ली विश्वविद्यालय
2. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
4. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस
5. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
6. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, सिल्चर
7. असम विश्वविद्यालय, शिलांग

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर, इम्फाल से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2005) कि तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय अर्थात् जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय सम्भवतः वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक लेखाओं के एक रूप फार्मेट को अपना लेंगे। उसने यह भी बताया कि बाकी के चार केन्द्रीय विद्यालय अर्थात् दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय तथा उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय लेखाओं के एक रूप फार्मेट को अपनाने में कुछ विशेष समस्याओं का अनुभव कर रहे थे और वे समस्याओं को सुलझाने तथा लेखाओं के नए फार्मेट को शीघ्रातिशीघ्र अपनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ निरन्तर सम्पर्क में थे।

इसलिए तथ्य यह है कि संसदीय समिति की अनुशंसाओं तथा भारत सरकार के अनुदेशों के बावजूद भी सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने लेखाओं के निर्धारित फार्मेट को नहीं अपनाया था जिसके परिणामस्वरूप लेखाओं में एकरूपता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयोजन प्राप्त नहीं हो सका है।

#### 1.4 उपयोग प्रमाण-पत्र

1976 में लेखाओं के विभागीयकरण के परिणामस्वरूप सांविधिक निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि को जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान स्वीकृत किए गए थे उस पर उनका उचित उपयोग किया गया, सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखा-नियंत्रकों को अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित थे। मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के सम्बन्ध में 14425.17 करोड़ रु. की राशि के मार्च 2005 तक देय (अनुदान के जारी होने से 12 महीनों के उपरान्त) कुल 55155 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति दर्शाने वाला मंत्रालय/विभाग-वार विवरण परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

मार्च 2005 की समाप्ति पर 12687.15 करोड़ रु को सम्मिलित करके कुल 44141 उपयोगिता प्रमाण पत्र जो 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित थे, में से 7492.55 करोड़ रु को सम्मिलित करके 37597 प्रमाण पत्र मार्च 2003 तक जारी अनुदानों से सम्बन्धित थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

#### 31 मार्च 2005 तक बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपयों में)

क्र. संख्या	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2004 को समाप्त अवधि के लिए		मार्च 2003 को समाप्त अवधि के लिए	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता	1748	3941.51	1212	2132.48
2.	स्वास्थ्य	2452	2943.81	1956	1975.33
3.	परिवार कल्याण	1593	1877.58	1170	738.46
4.	पर्यावरण तथा वन	6923	849.21	5923	726.32
5.	युवा मामले तथा खेलकूद	7278	676.99	5930	487.15
6.	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	3342	652.84	2510	404.96
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	11664	583.51	10862	525.39
8.	संस्कृति	8887	475.89	7866	394.57
9.	शहरी विकास	169	361.05	100	31.80
10.	शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन	85	324.76	68	76.09
	योग	44141	12687.15	37597	7492.55

इस प्रकार, सांविधिक निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी करने से पूर्व मंत्रालयों/विभागों ने कुल जारी किए गए अनुदानों का 59 प्रतिशत शामिल करते हुए 85 प्रतिशत मामलों में अनुदानों के उपयोग के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट नहीं किया।

यद्यपि, बड़ी संख्या में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे, फिर भी निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों<sup>\*</sup> ने पिछले वर्षों में जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाण पत्रों के लिए आग्रह किए बिना 2004-05 के दौरान दोषी सांविधिक निकायों/गैर-सरकारी संगठनों को नए अनुदान जारी किए। दिल्ली उच्च न्यायालय की निर्णय में दिये गये निर्देश कि पिछले अनुदानों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने तक कोई नया अनुदान नहीं जारी किया जाये का पालन करते हुए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदेशों (मई 2003) के बावजूद नये अनुदानों को जारी किया गया था।

### 2004-05 के दौरान जारी किए गए नए अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	लम्बित उपयोग प्रमाण-पत्र		पिछले वर्ष के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना जारी किए गए नए अनुदानों की राशि
		संख्या	राशि	
1.	परमाणु ऊर्जा	2	1.50	1.00
2.	अण्डमान व निकोबार प्रशासन	38	49.53	52.11
3.	नागर विमानन	1	0.17	1.00
4.	रसायन एवं पैट्रो रसायन	1	1.33	23.05
5.	वित्त	9	20.15	63.97
6.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण	205	15.05	3.15
7.	पर्यटन	2	075	3.00
जोड़		258	88.48	147.28

यह सुनिश्चित किए बिना कि पूर्व अनुदानों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे, सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को, नए अनुदान जारी करके मंत्रालयों/विभागों ने आगे की किश्तों को जारी करने की आवश्यक शर्तों में से एक सारभूत शर्त का उल्लंघन किया।

\* दिसम्बर 2005 तक मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार

## अध्याय II : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

## वाणिज्य विभाग

## निर्यात निरीक्षण परिषद

## 2.1 परिहार्य व्यय तथा निधियों का अवरोधन

निर्यात निरीक्षण परिषद के अपने सचिवालय हेतु कार्यालय की स्थापना नहीं करने का परिणाम 21.35 लाख रु. के परिहार्य व्यय तथा 60.03 लाख रु. के ब्याज की हानि के अतिरिक्त बारह वर्षों से अधिक समय तक 49.34 लाख रु. के अवरुद्ध रहने में हुआ।

नई दिल्ली में अपना सचिवालय स्थापित करने हेतु, निर्यात निरीक्षण परिषद (नि.नि.प.) ने अप्रैल 1991 में विकास पुरी में 169 वर्ग मीटर माप के दो प्लाट अर्जित करने का निर्णय लिया। मार्च 1993 में, नि.नि.प. ने इन प्लाटों की कीमत के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) के पास 49.34 लाख रु. जमा किये थे; तथापि नि.नि.प. ने इन प्लाटों पर कब्जा नहीं लिया तथा मई 1994 में वित्तीय अभाव के कारण नि.नि.प. ने इन प्लाटों को अभ्यर्पित करने का निर्णय लिया। यह औपचारिक कब्जे के बगैर सम्भव नहीं था; अतः नि.नि.प. ने कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जिस पर जुलाई - नवम्बर 1998 के दौरान 10.71 लाख रु. का व्यय हुआ। इसके पश्चात् मामला उपेक्षित रहा।

तीन वर्ष से अधिक बीत जाने के पश्चात् अगस्त 2002 में नि.नि.प. ने दि.वि.प्रा. से एक वैकल्पिक भूखण्ड आबंटित करने का अनुरोध किया। दि.वि.प्रा. ने लाडो सराय, नई दिल्ली में 650 वर्ग मीटर का एक प्लाट आबंटित किया और दिसम्बर 2002 में 7.77 लाख रु. का भुगतान करने के पश्चात् कब्जा ले लिया गया।

बाद में, जनवरी 2003 में, नि.नि.प. ने औपचारिक रूप से विकास पुरी के प्लाटों को अभ्यर्पित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा दि.वि.प्रा. से 49.34 लाख रु. ब्याज सहित वापिस करने का अनुरोध किया। दि.वि.प्रा. ने दिसम्बर 2004 में विकास पुरी के प्लाटों का आबंटन रद्द कर दिया तथा मई 2005 में आबंटन रद्द करने की तारीख तक भूमि के किराये की बकाया राशि तथा भूमि किराये के भुगतान में विलम्ब पर ब्याज की राशि के रूप में 10.64 लाख रु. समायोजित करने के पश्चात् 38.70 लाख रु. की राशि वापिस की थी। यद्यपि दि.वि.प्रा. ने उस राशि पर ब्याज को वापिस /समायोजित नहीं किया जो उसके पास अप्रैल 1993 से मई 2005 तक अवरुद्ध रही।

लेखापरीक्षा में पाया कि नि.नि.प. इस समय (दिसम्बर 2005) एक किराये के भवन से अपना कार्य परिचालित कर रहा था तथा 5.51 लाख रु. प्रति माह किराये के रूप में भुगतान कर रहा है। इसके अतिरिक्त लाड़ो सराय में बन रहा भवन केवल निर्यात निरीक्षण एजेन्सी (नि.नि.ए.), जो नि.नि.प. का एक फील्ड संगठन है, के लिए होगा क्योंकि यह स्थान नि.नि.प. और नि.नि.ए. दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है। परिणामस्वरूप नि.नि.प. सचिवालय को समायोजित करने हेतु एक कार्यालय भवन के निर्माण का मूल लक्ष्य पूरा नहीं हुआ।

अतः नि.नि.प. की तरफ से अपर्याप्त योजना और अनिर्णयों के कारण ब्याज के भुगतान, भूमि के किराये तथा स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 21.35 लाख रु. ( $10.64 + 10.71$ ) का परिहार्य व्यय हुआ। 49.34 लाख रु. की राशि भी बारह वर्षों से अधिक समय तक अवरुद्ध पड़ी रही जिस पर 60.03 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई (अप्रैल 1993 से मई 2005 की अवधि के लिए दस प्रतिशत की दर से परिकलित) जबकि नि.नि.प. मासिक किराये पर लगातार आवर्ती व्यय कर रहा है।

मंत्रालय ने अक्तूबर 2005 में तथ्यों को स्वीकार कर लिया।

### अध्याय III : सूचना प्रौद्योगिकी एवं सम्प्रेषण मंत्रालय

#### दूरसंचार विभाग

#### टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र

##### 3.1 सीमा शुल्क की परिहार्य अदायगी

**टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र, बंगलौर द्वारा अधिसूचना की गलत व्याख्या का परिणाम एकीकृत सर्किट के आयात पर 18.84 लाख रु. की राशि के सीमाशुल्क की परिहार्य अदायगी में हुआ।**

सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अनुसार इलैक्ट्रोनिक एकीकृत सर्किट और माईक्रो संयोजकों के आयात पर सीमा शुल्क की छूट थी। भारत सरकार ने जुलाई 1996 में अधिसूचना जारी कर कथित अनुसूची के अंतर्गत कुछ वस्तुओं को शुल्क से पूरी छूट दी थी, जब वह लोक निधि वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि द्वारा आयातित हो। अधिसूचना को मार्च 2002 में फिर संशोधित किया गया था जिसके अनुसार छूट अनुसूची में दर्शाये गये शुल्क के उस भाग पर होगी जो मूल्य के पांच प्रतिशत से ऊपर होगा। अतः ऐसी वस्तुओं पर शुल्क केवल मूल्य का पांच प्रतिशत होगा भले ही अनुसूची में कोई ऊंची दर निर्धारित की गई हो। मार्च 2002 की अधिसूचना उन वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगाती जिनके लिए अनुसूची में कोई शुल्क निर्धारित नहीं था।

टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (टे.वि.के.), बंगलौर एकीकृत सर्किट का आयात कर रहा था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्च 2002 में अधिसूचना के परिणामस्वरूप, टे.वि.के. ने एकीकृत सर्किटों पर पांच प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क अदा करना शुरू कर दिया जबकि अनुसूची में कोई शुल्क निर्धारित नहीं था। 2002-04 के दौरान अदा किए गए शुल्क की राशि 18.84 लाख रु. थी।

टे.वि.के., बंगलौर ने अक्टूबर 2004 में बताया कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचनाओं में यह उल्लेख नहीं था कि अनुसूची के जिन मदों के लिए कोई शुल्क देय नहीं था उन पर लोक निधि वित्तपोषित संस्थानों के लिए मूल्य पर पांच प्रतिशत शुल्क की वसूली से छूट प्राप्त होगी। टे.वि.के. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मार्च 2002 में जारी अधिसूचना के अनुसार अनुसूची में उल्लेखित वस्तुओं पर पांच प्रतिशत से ऊपर के सीमा शुल्क की छूट थी। इससे स्पष्ट होता है कि अनुसूची में पहले से ही छूट प्राप्त वस्तुओं पर कोई शुल्क देय नहीं था।

दूरसंचार विभाग ने नवम्बर 2005 में बताया कि उचित संशोधक कार्यवाई करने के लिये मामले की जांच बाह्य विशेषज्ञों द्वारा की जा रही थी।

अतः सरकारी अधिसूचना की गलत व्याख्या के परिणामस्वरूप इस तरह की वसूली से छूट प्राप्त एकीकृत सर्किट के आयात पर 18.84 लाख रु. के सीमा शुल्क की परिहार्य अदायगी हुई।

#### अध्याय IV : संस्कृति मंत्रालय

**राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता**

##### **4.1 ब्याज की परिहार्य हानि**

ठोस निधि प्रबन्धन एवं नियंत्रण तथा उचित परिभाषित निवेश नीति के अभाव के कारण राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 33.42 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता (रा.वि.सं.प.) ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति का पालन किये बिना अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि शेषों की समस्त राशि को सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के साथ अल्पावधिक जमा में निवेश किया यद्यपि इस सम्बन्ध में पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार उल्लेख किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मई 2002 और मई 2005 के बीच 7.49 करोड़ रु. के 32 मामलों के सम्बन्ध में रा.वि.सं.प. ने निवेश की प्रक्रिया को जारी रखा और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के साथ एक वर्ष की अधिकतम अवधि की प्रत्येक अल्पावधिक जमा में ब्याज सहित मूलधन का पुनः निवेश किया और 33.42 लाख रु. की हानि हुई जिसको ब्याज के रूप में अर्जित किया जा सकता था यदि उसी निवेश को लम्बी अवधि की सावधि जमाओं में निवेश किया गया होता।

यह उचित परिभाषित निवेश नीति के अभाव के साथ-साथ खराब निधि प्रबन्धन एवं नियंत्रण के कारण हुआ।

रा.वि.सं.प. ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2004) कि निवेश रा.वि.सं.प. के उप-नियमों के खण्ड 20 के अनुसार महानिदेशक की मंजूरी के साथ किये गये थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निवेश/पुनः निवेश की अवधि के विकल्पों की न तो व्यक्तिगत केस फाईल में विस्तृत चर्चा की गई थी और न ही रा.वि.सं.प. के उप-नियम संगठन को निधि के अधिक लाभकारी तरीके से निवेश करने को रोकते थे। दूसरी तरफ उप-नियम महानिदेशक की मंजूरी से निवेश में परिवर्तन करने की अनुमति देते हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2005) कि परिषद ने 2000-01 से भविष्य में निवेश की अवधि को ब्याज दर में बढ़ोतरी की आशा में कम किया था और स्वीकार किया कि रा.वि.सं.प. ने ब्याज दर में निरंतर गिरावट का पूर्वानुमान नहीं लगाया था।

## अध्याय V : वित्त मंत्रालय

## आर्थिक कार्य विभाग

## बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

## 5.1 परामर्शदाता की अनियमित नियुक्ति

**बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण** ने केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से एक परामर्शदाता नियुक्त किया और 21.75 लाख रु. का अनियमित भुगतान किया।

भारत सरकार द्वारा फरवरी 1998 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, एक परामर्शदाता को उन निपुणताओं को प्राप्त करने के लिए रखा जा सकता है जो कि एक संगठन में उपलब्ध नहीं है। दिशानिर्देशों में आगे यह भी प्रावधान है कि परामर्शदाता को आवश्यक कम से कम अवधि बशर्ते की दो वर्षों की सीमा तक रखा जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में एक परामर्शदाता को भुगतान की जाने वाले समेकित शुल्क 26,000 रु. प्रतिमाह (बिना म.भ., म.कि.भ., न.प्र.भ. अथवा अन्य किसी सहायता के) की सीमा तक का निर्णय संबंधित मंत्रालय /विभाग द्वारा किया जाना है। केन्द्रीय सर्तकता आयोग (के.स.आ.) द्वारा भी जोर दिया गया था (जनवरी 2002) कि परामर्शदाता की नियुक्ति केवल अतिआवश्यक होने पर प्रतियोगी निविदा पद्धति के अनुसरण तथा विशेषज्ञ के निष्पादन, क्षमता तथा अनुभव के पर्याप्त आंकड़े एकत्रित करने के पश्चात ही करनी चाहिए तथा नियुक्ति पारदर्शी ढंग से की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पता चला (अप्रैल 2004) कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने एक मासिक पत्रिका की योजना तथा प्रकाशन पर प्राधिकरण को परामर्श हेतु एक पत्रकार 'X' को परामर्शदाता के रूप में 1 अगस्त 2002 से 50,000 रु. मासिक पारिश्रमिक पर नियुक्त किया था। नियुक्ति प्रतियोगी निविदा के आधार पर नहीं की गई थी बल्कि चेन्नई में प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ 'X' की बातचीत की अनुवर्ती थी। बाद में वाहन प्रभारों, पैट्रोल प्रभार, टेलिफोन व्यय, अखबार/पत्रिका तथा आवास के किराए की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त लाभों की अनुमति 'X' की ओर से अनुरोध (सितम्बर 2002) के आधार पर प्रदान की गई थी। चूंकि अगस्त 2002 का प्रारम्भिक नियुक्ति पत्र नियुक्ति की अवधि के बारे में अनभिव्यक्त था, तत्कालीन अध्यक्ष ने मार्च 2003 में एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि अनुबन्ध 31 जुलाई 2005 तक अर्थात् दो वर्षों की अधिकतम निर्धारित अवधि के प्रति नियुक्ति की तिथि से तीन वर्षों के लिए जारी रहेगा।

पराशर्मदाता ने पारिश्रमिक तथा अन्य लाभों\* के प्रति अगस्त 2002 से जून 2005 तक 21.75 लाख रु. प्राप्त किए। प्राधिकरण का 'X' की नियुक्ति का निर्णय मनमाना तथा केन्द्रीय सरकार तथा के.स.आ. द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों के परस्पर विरोधी था।

प्राधिकरण ने बताया (अगस्त 2004) कि एक सम्पादक के चयन के लिए विज्ञापन जारी करना आवश्यक नहीं था क्योंकि इससे न केवल अतिरिक्त लागत का भार डलता बल्कि समय खपाने वाला भी होता। प्राधिकरण का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि नियुक्ति, पारिश्रमिक का स्तर, अन्य लाभों को प्रदान करना इत्यादि शासकीय दिशानिर्देशों तथा के.स.आ. के स्थायी अनुदेशों के साफ उल्लंघन में थे। इसके अतिरिक्त परामर्शदाताओं को नियमित कार्यों के लिए न लगाकर विशिष्ट तथा समयबद्ध कार्यों के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने प्राधिकरण का उत्तर प्रेषित किया (जून 2005) जिसमें परामर्शदाता की योग्यता/अनुभव को उजागर किया गया तथा बताया गया कि परामर्शदाता को पारिश्रमिक तथा सुविधाएं प्रचलित बाजार मानदण्डों को ध्यान में रख कर अदा की गई थीं। यह भी बताया गया कि परामर्शदाता का वर्तमान कार्यकाल जुलाई 2005 के अंत तक समाप्त हो रहा था तथा विज्ञापन के द्वारा एक सम्पादक की नियुक्ति के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी। उत्तर में यह भी बताया गया कि यद्यपि प्राधिकरण सामान्यतः सेवा मामलों में संघ सरकार की प्रक्रियाओं द्वारा पथप्रदर्शित हो रहा था, उसे कुछ स्वायत्ता प्राप्त थी तथा उसके लिए सभी शासकीय प्रक्रियाओं को अपनाना अनिवार्य नहीं था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि नियुक्ति के.स.आ. द्वारा जारी सामान्य नियमों तथा दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रतियोगी निविदा पद्धति के अनुसरण के पश्चात पारदर्शी ढंग से नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त परामर्शदाता को अदा किया गया पारिश्रमिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा फरवरी 1998 में गैर सरकारी (बाह्य विशेषज्ञ) की पूर्ण कालिक आधार पर नियुक्ति के मामले में नियत 26000 रु. प्रति माह (बिना म.भ., म.कि.म, न.प्र.भ. अथवा अन्य किसी सहायता के) की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्हीं दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार एक परामर्शदाता (बाह्य विशेषज्ञ) की नियुक्ति की अधिकतम अवधि दो साल से अधिक नहीं हो सकती। यद्यपि प्राधिकरण को प्रशासनिक मामलों में स्वायत्ता प्राप्त है फिर भी वह नियुक्ति में औचित्य के सामान्य मानदण्डों तथा पारदर्शिता से सम्बन्धित सरकार तथा के.स.आ. के विभिन्न आदेशों की उपेक्षा नहीं कर सकता।

---

\* पारिश्रमिक 17.00 लाख रु. के अतिरिक्त आवास, टेलिफोन सुविधा, परिवहन, अखबार तथा पैट्रोल प्रभार के प्रति व्ययों की प्रतिपूर्ति पर 4.75 लाख रु. के अन्य लाभ।

अध्याय VI : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

6.1 ब्याज की परिहार्य हानि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा अपने उप-नियमों का उल्लंघन करते हुए चालू खातों में नकद शेषों की बड़ी राशि के प्रतिधारण का परिणाम 2000-01 से 2004-05 के दौरान 71.91 लाख रु. के न्यूनतम ब्याज की हानि में हुआ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (संस्थान) के उप-नियमों का खंड 49 अनुबंध करता है कि उनकी निधियों का भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के चालू खातों के माध्यम से जमा तथा लेनदेन किया जाएगा। उप-नियम आगे अनुबन्ध करता है कि बैंक में ऐसे शेषों के भाग को जिनकी कुछ समय के लिए व्यय के लिए आवश्यकता नहीं है उन्हें बैंक की अल्पावधिक सावधि जमाओं में निवेशित या बैंक की बचत निधि में आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा। जैसे ही ब्याज धारक खातों में रखे ऐसे शेष की व्यय के लिए आवश्यकता होती है इसे चालू खाते में पुनः अंतरित किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में पंजीकृत समितियों तथा अन्य संस्थानों को जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है उनके चालू खातों को बचत बैंक खातों में परिवर्तन के लिए सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया था (अगस्त 1983)। ऐसे परिवर्तन के परिणामस्वरूप, समितियां/संस्थान बैंक के पास अपनी निधियों पर बचत बैंक दरों पर ब्याज अर्जित कर सकती थी।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक एवं सिंडिकेट बैंक आर.के.पुरम, नई दिल्ली के आठ बैंक खाते (तीन चालू खाते तथा पांच बचत बैंक खाते) अनुरक्षित कर रहा था। संस्थान ने तीन चालू खातों में से दो खातों के सम्बन्ध में उप-नियमों का उल्लंघन किया था क्योंकि उसने इन खातों से बचत खाते में न तो अधिशेष राशि का अंतरण किया था और न ही इनका अल्पावधिक जमाओं में निवेश किया था। इसके परिणामस्वरूप 2000-01 से 2004-05 के दौरान संस्थान के पास इन खातों में 48.69 लाख रु. तथा 16.23 करोड़ रु. के बीच मासिक शेष थे जिस पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया गया था। यद्यपि इन खातों में नकद शेषों का लगातार संचित होना जारी रहा, संस्थान अधिशेष राशि को अल्पावधि जमाओं में निवेश करने अथवा कम से कम उन्हें बचत खातों में रखने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा मामले को पहले से इंगित किया गया था (मार्च 2004) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसी प्रकार अप्रैल 2004 से संस्थान को सलाह दी थी।

दो चालू खातों में नकद शेषों की बड़ी राशि के प्रतिधारण का परिणाम बचत बैंक में 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2000-01 से 2004-05 के दौरान इन खातों में पड़े न्यूनतम मासिक शेषों पर परिकलित 71.91 लाख रु. (न्यूनतम) के ब्याज की हानि में हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में संस्थान ने बताया (जुलाई 2005) कि उसने एक चालू खाते में से मार्च 2005 में 50 लाख रु. सावधि जमा में निवेशित किए थे। संस्थान ने यह भी बताया कि उसने अप्रैल 2005 में अन्य चालू खमतों के लिए बचत खाता खोला था।

तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि संस्थान ने इस सम्बन्ध में अपने उप-नियमों के अनुसार या मंत्रालय तथा लेखापरीक्षा की सलाह पर भी समय पर कार्रवाई की होती तो न्यूनतम 71.91 लाख रु. के ब्याज की हानि से बचा जा सकता था।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

#### 6.2 किराये की कम वसूली

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को दिए गये स्थान के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर लाइसेंस शुल्क वसूल करने में विफल रहने का परिणाम मार्च 1999 से दिसम्बर 2004 तक 41.43 लाख रु. की कम वसूली में हुआ।**

लेखापरीक्षा में पता चला (अगस्त 2004) कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संस्थान) ने अपने परिसर में भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) को 4836.62 वर्ग फुट जगह पट्टा विलेख निष्पादित किए बिना, 172 रु. प्रतिमाह के नाममात्र लाइसेंस शुल्क पर उपलब्ध करायी थी (जुलाई 1971)। बैंक जिसने संस्थान, उसके कर्मचारियों तथा मरीजों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साउथ एक्स्टैंशन (भाग-I) शाखा, नई दिल्ली के अधीन एक विस्तार पटल के रूप में प्रारम्भ किया गया, कई वर्षों से पर्याप्त करोबार के साथ पूर्ण शाखा में विकसित हो गया था।

सितम्बर 2000 में 29 वर्षों तक बैंक को रथान दिए जाने के बाद, संस्थान ने 50 रु. प्रति वर्ग फीट की दर से मासिक लाइसेंस शुल्क को 2.42 लाख रु. पर संशोधित करने का निर्णय किया। यह संशोधन परिसर के अन्दर कार्यरत अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से वसूल किये जा रहे किराये और वार्ता समिति की अनुशंसाओं पर आधारित था। तथापि, बैंक इस आधार पर संशोधन के लिए तैयार नहीं था कि वह संस्थान को कुछ बैंकिंग सुविधाएं निःशुल्क प्रदान कर रहा था। बैंक ने निःशुल्क सेवाओं का मूल्य 20 लाख रु.

प्रतिवर्ष से अधिक निर्धारित किया था, हालांकि, उसने निःशुल्क सेवाओं का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। लम्बी बातचीत के बाद बैंक ने 0.50 लाख रु. की एक मुश्त मासिक दर पर लाइसेंस शुल्क देने का प्रस्ताव रखा (अगस्त 2001)। संस्थान ने बैंक द्वारा पेश किए गए लाइसेंस शुल्क के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया (मार्च 2002), जो कि संस्थान द्वारा अपने परिसर में संचालित अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से किराये की वसूली से काफी कम था। लेखापरीक्षा ने पाया (अगस्त 2004) कि संस्थान द्वारा स्वीकार्य लाइसेंस शुल्क सरकार द्वारा 16 मार्च 1999 से बैंकों से प्रभार योग्य निर्धारित 220 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति माह की दर से भी कम था। बैंक से इस दर पर वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क 0.99 लाख रु. प्रतिमाह परिकलित किया गया

आगे, बैंक के अनुरोध पर संस्थान ने क्रमशः सितम्बर 2001 और मई 2003 में इसके विस्तार के लिए 53.67 वर्ग मीटर (577.49 वर्ग फीट) और 65.41 वर्ग मीटर (703.81 वर्ग फीट) का अतिरिक्त स्थान आंबटित किया। तथापि, बैंक से इस स्थान का लाइसेंस शुल्क आबंटन की तिथि से दिसम्बर 2004 तक वसूल नहीं किया था। अतिरिक्त आवास के लिए लाइसेंस शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर दिसम्बर 2004 तक 7.45 लाख रु. परिकलित किया गया था।

इस प्रकार सरकार द्वारा निर्धारित किराया प्रभारित करने में संस्थान की विफलता का परिणाम मार्च 1999 से 31 दिसम्बर 2004 की अवधि के लिए बैंक से 41.43 लाख रु. (33.98 लाख रु.+7.45 लाख रु.) के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली में हुआ।

मामला, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2005) कि 16 मार्च 1999 से 220 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर पर बैंकों से लाइसेंस शुल्क प्रभारित करने के भारत सरकार के जनवरी 2004 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में संस्थान ने सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क की वसूली की मांग प्रस्तुत की थी (जनवरी 2005)। बैंक ने जनवरी 2005 से 220 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से लाइसेंस शुल्क अदा किया था और संस्थान ने जनवरी 2005 से पांच वर्ष की अवधि के लिए पट्टा विलेख लागू किया। पूर्वव्यापी 16 मार्च 1999 से संशोधित लाइसेंस शुल्क वसूल करने के बारे में मंत्रालय ने बताया कि बैंक इस आधार पर सहमत नहीं था कि किराये के पूर्वव्यापी संशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, संस्थान ने मामले को बैंक के साथ आगे बढ़ा रहा था और बैंक और संस्थान के बीच लागू अनुबन्ध शहरी विकास मंत्रालय के पास परामर्श के लिए प्रेषित किया जायेगा।

## अध्याय VII : भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

**भारतीय स्वचालित अनुसंधान संघ, पुणे**

### 7.1 सेवा कर का अधिक भुगतान

सेवा कर नियम 1994 के प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण भा.स्व.अ.सं. ने सेवा कर का अधिक भुगतान अदा किया जिसका परिणाम 8 लाख रु. के ब्याज की हानि के अतिरिक्त 1.28 करोड़ रु. के अवरोधन में हुआ।

सेवा कर नियम 1994 के नियम 6 के अनुसार, किसी भी कैलेण्डर वर्ष के दौरान कर योग्य सेवा के मूल्य पर सेवा कर देय है। लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2004) कि भा.स्व.अ.सं. ने प्राप्त हुई कर योग्य सेवा के मूल्य के बजाय जारी किये बीजक के मूल्य पर सेवा कर अदा किया। भा.स्व.अ.सं. ने जुलाई 2003 से मार्च 2004 की अवधि के दौरान जारी किए गए 31.74 करोड़ रु. के बीजकों के आधार पर 2.26 करोड़ रु. का सेवा कर अदा किया। तथापि, जुलाई 2003 से मार्च 2004 की अवधि के दौरान वास्तविक सेवा के लिए 12.22 करोड़ रु. के मूल्य की प्राप्ति हुई थी, जिसके लिए देय सेवा कर 0.98 करोड़ रु. परिकलित हुआ था। अतः भा.स्व.अ.सं. ने जुलाई 2003 से मार्च 2004 की अवधि के लिए केन्द्रीय आबकारी विभाग को सेवाकर के रूप में 1.28 करोड़ रु. की अधिक राशि अदा की (अगस्त 2003 से मार्च 2004)।

तथ्य को स्वीकार करते हुए भा.स्व.अ.सं. ने दिसम्बर 2004 एवं अगस्त 2005 में बताया कि सेवा कर के अधिक भुगतान की वसूली के लिए विवरणी का जमा करवाना आवश्यक नहीं था, क्योंकि भा.स्व.अ.सं. ने उसे अप्रैल 2005 से देय सेवा कर से समायोजन करके तीन महीनों में वसूल किया। तथापि सेवा कर नियमों के प्रावधानों का पालन करने में भा.स्व.अ.सं. की विफलता के कारण 1.28 करोड़ रु. का अधिक भुगतान एक वर्ष से अधिक अवधि तक बना रहा, जिसके कारण निधियों का अवरोधन हुआ तथा मार्च 2005 तक ब्याज के रूप में 0.08 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को मई 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2005 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VIII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग

दिल्ली विश्वविद्यालय

8.1 अनियमित अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने 32 अध्यापकों को अग्रिम वेतन-वृद्धियों के रूप में 25.07 लाख रु. का अनियमित भुगतान किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय अध्यापकों की रीडर/व्याख्याता (चयनित वर्ग) के रूप में पदोन्नति के समय दो अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ दिया था। तथापि, यह उन अध्यापकों के लिए लागू था जिन्होंने 1 जनवरी 1996 अथवा उसके बाद पी.एच.डी. प्राप्त कर ली थी अथवा प्राप्त कर लेंगे। अगस्त 2001 में, वि.अ.आ. ने यह लाभ उन अध्यापकों को भी दिया जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान 1 जनवरी 1996 से पहले पी.एच.डी. प्राप्त की थी तथा पहले जीवन वृत्ति उन्नति योजना के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ नहीं दिया गया था। लाभ 27 जुलाई 1998 से भुगतान योग्य था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) ने 27 जुलाई 1998 से 32 अध्यापकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की जिन्होंने विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण से पहले पी.एच.डी. प्राप्त कर ली थी। ऐसे अध्यापकों को दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां प्रदान करना अनियमित था क्योंकि वि.अ.आ. के आदेशों में स्पष्ट रूप से बताया गया कि लाभ केवल उन अध्यापकों के लिए था जिन्होंने विश्वविद्यालय की सेवाओं के दौरान पी.एच.डी. प्राप्त की थी। अतः विश्वविद्यालय ने 27 जुलाई 1998 से 30 सितम्बर 2003 की अवधि के लिए 32 अध्यापकों को 25.07 लाख रु. का अनियमित भुगतान किया। विश्वविद्यालय द्वारा इसके बाद की अवधि के लिए इसी तरह के मामलों में किए गए भुगतान को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (मार्च 2005) के प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालय ने यह पुष्टि की (जुलाई 2005) कि वि.अ.आ. के आदेशों के संदर्भ में केवल उन अध्यापकों को लाभ की पात्रता थी जिन्होंने 1 जनवरी 1996 से पहले सेवा के दौरान पी.एच.डी. प्राप्त की किन्तु उसने उन अध्यापकों को लाभ दिये जाने के कारण को स्पष्ट नहीं किया जिन्होंने विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण करने से पहले पी.एच.डी. प्राप्त कर ली थी।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2005) कि विश्वविद्यालय से किसी उत्तर के अभाव में उन्होंने माना कि उपरोक्त तथ्य सही थे।

### भारतीय प्रबन्धन संस्थान, इंदौर

#### 8.2 विद्युत की खपत पर परिहार्य व्यय

भारतीय प्रबन्धन संस्थान, इंदौर द्वारा विद्युत मांग की आवश्यकता के सही निर्धारण में विफलता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त मांग प्रभार के भुगतान पर 39.76 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ; इसके अतिरिक्त निम्न शक्ति गुणक प्रभार की राशि 15.32 लाख रु. थी।

भारतीय प्रबन्धन संस्थान, इंदौर (संस्थान) ने राउ, इंदौर में अपने नव निर्मित भवन के लिए 2000 के.वी.ए. अनुबन्ध मांग की आपूर्ति हेतु एक उच्च क्षमता के कनैक्शन के लिए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (म.प्र.रा.वि.बो.) के साथ जनवरी 2003 में एक समझौता निष्पादित किया। म.प्र.रा.वि.बो. की शुल्क सूची जो समझौते की एक भाग थी के अनुसार महीने के मांग प्रभार उपभोक्ता के वास्तविक अधिकतम के.वी.ए. अथवा अनुबंध मांग का 75 प्रतिशत अथवा 60 के.वी.ए. में से जो भी अधिक हो, वह होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया (अगस्त 2004) कि म.प्र.रा.वि.बो. ने जून 2003 से नए भवन के विद्युत का बिल तैयार करना प्रारम्भ किया। जून 2003 से जुलाई 2005 के दौरान वास्तविक मांग 183 के.वी.ए. तथा 516 के.वी.ए. के बीच रही। यह अनुबंध मांग के 75 प्रतिशत से काफी कम थी।

म.प्र.रा.वि.बो. ने प्रत्येक माह अनुबंध मांग के 75 प्रतिशत के रूप में 1500 के.वी.ए. का बिल जारी किया। इसका परिणाम जून 2003 से जुलाई 2005 की अवधि के अतिरिक्त मांग प्रभारों के लिए 39.76 लाख रु. का परिहार्य व्यय में हुआ। म.प्र.रा.वि.बो. के साथ समझौते में आगे यह प्रावधान था कि यदि उपभोक्ता की औसत मासिक शक्ति गुणक 90 प्रतिशत से कम हो जाती है तो उपभोक्ता को उसके औसत मासिक शक्ति गुणक की प्रत्येक एक प्रतिशत कमी पर ऊर्जा प्रभारों के रूप में बिल की कुल राशि के एक प्रतिशत का भुगतान करना चाहिए।

सितम्बर, अक्टूबर 2004 तथा मई-जुलाई 2005 को छोड़कर जून 2003 से जुलाई 2005 की अवधि के दौरान औसत शक्ति गुणक 0.57 तथा 0.88 के बीच रहा। परिणामस्वरूप संस्थान ने इस अवधि के लिए निम्न शक्ति गुणक के लिए 15.32 लाख रु. अदा किया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अगस्त 2004) के प्रत्युत्तर में संस्थान ने बताया (अगस्त 2004) कि उन्होंने 2000 के.वी.ए. की आवश्यकता परिकलित की थी परन्तु नए परिसर में स्थानान्तरण में देरी के कारण वास्तविक उपभोग मांग से कम हो गया। संस्थान ने आगे बताया (फरवरी 2005) कि अनुबंध 21 जून 2003 से 20 जून 2005 तक दो वर्षों की अवधि के लिए किया गया था तथा बाद में आवश्यकता का पुनः निर्धारण 700 के.वी.ए. किया गया। मांग भार को 2000 के.वी.ए. से 700 के.वी.ए. करने के लिए म.प्र.रा.वि.बो. को एक आवेदन दिया गया था।

यद्यपि लेखापरीक्षा ने पता लगाया (अगस्त 2005) कि म.प्र.रा.वि.बो. ने विद्युत आपूर्ति नियमावली की धारा 7-12 के अनुसार अगस्त 2005 से अनुबंध मांग को केवल 1000 के.वी.ए. तक कम कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध मांग के प्रारम्भिक निर्धारण का वास्तविक आवश्यकता से कोई सम्बन्ध नहीं था, जिसका परिणाम जून 2003 से जुलाई 2005 के दौरान 39.76 लाख रु. की राशि के अपव्यय में हुआ।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2004 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2005 तक प्रतीक्षित था।

#### भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

##### 8.3 सेवा कर की गैर-वसूली के कारण अनियमित व्यय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.), दिल्ली; खड़गपुर; मुम्बई; मो.ने.रा.प्रौ.सं. इलाहाबाद; रा.ओ.अ.सं. मुम्बई और वि.रा.प्रौ.सं. नागपुर अपने ग्राहकों से उनको दी गई परामर्श सेवाओं पर 1.16 करोड़ रु. की राशि के सेवा-कर की वसूली करने में विफल रहे और कर को जमा करने के लिए स्वयं अपनी निधियों में से व्यय वहन किया।

वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 32 और 65 के अनुसार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी परामर्श सेवाओं पर सेवा-कर उद्ग्राह्य है। जुलाई 2001 में इस अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.) सहित लोक निधि वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी परामर्श सेवाओं के लिए ग्राहकों से सेवा-कर को प्रभारित करने का उत्तरदायी बना दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2004) कि भा.प्रौ.सं. दिल्ली ने 16 जुलाई 2001 से 26 दिसम्बर 2002 की अवधि के दौरान प्रदान की गई परामर्श सेवाओं के लिए पांच प्रतिशत की प्रचलित दर पर 21.05 लाख रु. के सेवा कर की वसूली के बिना 4.21 करोड़ रु. प्राप्त किये थे। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर (फरवरी 2004) में संस्थान ने ग्राहकों से

वसूल करने की बजाए अपनी आय में से सेवा कर के रूप में 21.05 लाख रु. जमा किये (अप्रैल 2004)। अतः सेवा कर की वसूली से सम्बन्धित वैधानिक शर्तों का पालन करने में विफलता का परिणाम भा.प्रौ.सं. द्वारा अपनी निधियों में से व्यय वहन करने में हुआ। भा.प्रौ.सं., दिल्ली ने भी तथ्यों की पुष्टि की (फरवरी 2005) और आगे बताया कि उसने 27 दिसम्बर 2002 से ग्राहकों से सेवा कर की वसूली आरम्भ कर दी थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निम्नलिखित संस्थानों द्वारा नीचे दिए गए विवरणानुसार सेवा कर तथा देरी से भुगतान पर ब्याज की अदायगी के कारण अपनी निधियों में से इसी प्रकार के 95.15 लाख रु. की राशि के भुगतान किए गए थे:

क्र.सं.	संस्थान का नाम	प्रदान की गई सेवाओं की अवधि	(लाख रु. में)	
			भुगतान करने का माह	राशि
1.	भा.प्रौ.सं., खड़गपुर	जुलाई 2001 - मार्च 2004	अप्रैल 2004	9.72
2.	भा.प्रौ.सं., मुम्बई	जुलाई 2001 - सितम्बर 2002 अगस्त 2002 - दिसम्बर 2003	जुलाई 2004 अक्टूबर 2004	60.79
3.	मो.ने.रा.प्रौ.सं. <sup>1</sup> , इलाहाबाद	जुलाई 2003 - जून 2004	नवम्बर 2004	2.35
4.	रा.औ.आ.सं. <sup>2</sup> , मुम्बई	जुलाई 1997 - मार्च 2002	मार्च 2003	13.14
5.	वि.रा.प्रौ.सं. <sup>3</sup> , नागपुर	जुलाई 1997 - जुलाई 2001	सितम्बर 2001	9.15
योग				95.15

इस प्रकार इन संस्थानों द्वारा अपने ग्राहकों से सेवा-कर के रूप में कुल 1.16 करोड़ रु. वसूल नहीं किये गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किये जाने पर भा.प्रौ.सं., खड़गपुर ने भूल स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2006) कि वह इस विचार में थे, कि सेवाकर भा.प्रौ.सं. पर लागू नहीं होगा जब तक कि उत्पाद शुल्क विभाग ने मार्च 2004 में सेवाकर के लिए मांग नहीं की। यह भी बताया कि उसके पास ऐसी सेवाओं के लिए अपनी आय में से 9.72 लाख रु. जमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संस्थान ने आगे बताया कि उसने अब कई ग्राहकों से 6 लाख रु. की वसूली कर ली थी और बकाया की वसूली के लिए अन्य के साथ मामला नियमित रूप से लिया जा रहा था। भा.प्रौ.सं. दिल्ली से सम्बन्धित लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2006) कि भा.प्रौ.सं. ने 16 जुलाई 2001 से 26 दिसम्बर 2002 की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार को बढ़ाकर उत्पन्न की गई निधि में से सेवाकर अदा किये। इसी प्रकार का तर्क रा.औ.आ.सं., मुम्बई द्वारा दिया गया था जिसका उत्तर जनवरी 2006 में मंत्रालय ने प्रेषित किया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया (फरवरी 2006) कि भा.प्रौ.सं. को सलाह दी गई थी कि जहां संभव हो सम्बन्धित ग्राहकों से पुरानी सेवाओं के सम्बन्ध में सेवाकर वसूल करने के प्रयास किये जाये। भा.प्रौ.सं. दिल्ली द्वारा

<sup>1</sup> मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

<sup>2</sup> राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई

<sup>3</sup> विश्वेसरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

अतिरिक्त प्रभार से सेवाकर का भुगतान करना सही नहीं था क्योंकि सेवा प्रभार पृथक मद है जिसको अतिरिक्त प्रभार के साथ मिलाया नहीं जा सकता जो कि विशिष्ट प्रकार के व्यय को वहन करने के लिए है।

### केन्द्रीय विद्यालय संगठन

#### 8.4 समझौता ज्ञापन से विचलन करने के कारण निवेश की निष्क्रियता

समझौता ज्ञापन में विचलन करते हुए के.वि.सं. द्वारा विद्यालय के भवन पर कार्य करने से पूर्व भा.प्र.सं. कोलकाता से परामर्श नहीं करने के कारण विवाद हुआ जिसके अनिराकरणीय रहने से परियोजना पर कार्य बन्द हो गया और परिणामस्वरूप दो वर्षों के लिए 1.59 करोड़ रु. का निवेश निष्क्रिय रहा। परियोजना लागत के अधिक समय लगने के कारण 95 लाख रु. तक बढ़ने की संभावना है।

भारतीय प्रबन्धन संस्थान (भा.प्र.सं.), कोलकाता और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) ने मई 1994 में एक समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) पर हस्ताक्षर किये। इस स.ज्ञा. की शर्त के अनुसार भा.प्र.सं. कोलकाता ने विद्यालय के भवन के निर्माण के लिए के.वि.सं. को परिसर के अन्दर चारदीवारी खम्भों सहित पांच एकड़ भूमि चिह्नित की थी। भवन के डिजाइन या तो भा.प्र.सं. कोलकाता के वास्तुकार द्वारा अथवा भा.प्र.सं. की रजामंदी से के.वि.सं. के अधिकृत वास्तुकार द्वारा तैयार किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया (अक्टूबर 2003) कि के.वि.सं. ने 3.11 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर के.लो.नि.वि., कोलकाता के द्वारा भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति प्रदान की (फरवरी 1997)। तथापि, भवन के नक्शे अथवा प्रवेश सङ्केत पर भा.प्र.सं. से परामर्श नहीं लिया था। नींव को भरने के कार्य को पूर्ण करने की नियत तिथि सितम्बर 2000 थी; विद्यालय के भवन के लिए यह मार्च-अप्रैल 2002 थी। के.वि.सं. ने मार्च 1997 और जनवरी 2002 के बीच पांच किश्तों में के.लो.नि.वि. को दो करोड़ रु. भी जारी किये थे। के.लो.नि.वि. ने दिसम्बर 1998 में मिट्टी भरने और नींव को भरने के कार्य को शुरू किया और 1.59 करोड़ रु. की लागत पर दिसम्बर 2002 में पूर्ण किया। तथापि, भवन की अधिरचना के कार्य को शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि भा.प्र.सं. ने परिसर से होकर निर्माण सामग्री और उपकरण को ढोने के लिए अनुमति इस आधार पर नहीं दी थी कि के.वि.सं. द्वारा प्रस्तावित विद्यालय स्थल को जाने वाली प्रवेश सङ्केत एक कालोनी सङ्केत थी जिसके दोनों ओर भा.प्र.सं., कोलकाता के संकाय सदस्यों और अन्य स्टाफ के आवासीय क्वार्टर थे। भा.प्र.सं. कोलकाता के अनुसार भारी ट्रकों का आवागमन वातावरण की शान्ति को पूर्ण रूप से भंग कर देगा और धूल प्रदूषण को उत्पन्न करेगा और सुझाव दिया कि के.वि.सं. को चारदीवारी के साथ वाली परिधीय प्रवेश सङ्केत का प्रयोग करना चाहिए। के.वि.सं. इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था क्योंकि यह सङ्केत प्रस्तावित विद्यालय परिसर से बाहर पड़ने के अलावा अपरिवहनीय थी और के.वि.सं. उसके सुधार पर भारी व्यय को वहन

करने के लिए तैयार नहीं था। प्रवेश सङ्क का मामला अनिराकरणीय रहा और निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप मिट्टी भरने और नींव को भरने पर 1.59 करोड़ रु. का निवेश 18 महीनों के लिए निष्क्रिय रहा।

प्रत्युत्तर में, के.वि.सं. ने बताया (अक्टूबर 2003) कि भा.प्र.सं. कोलकाता को प्रायोजित प्राधिकारी होने के कारण निर्माण अभिकरण को सहयोग देना चाहिए था क्योंकि भवन के निर्माण के लिए भूमि भी उनके द्वारा प्रदान की गई थी। उसने यह भी बताया (सितम्बर 2004) कि निदेशक, भा.प्र.सं. कोलकाता जो विद्यालय प्रबन्धन समिति, केन्द्रीय विद्यालय, जोका का अध्यक्ष भी था को नक्शे की मंजूरी के बारे में सूचित किया गया था। उसने आगे बताया कि अधिरचना के निर्माण के लिए 2.47 करोड़ रु. की प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति मार्च 2003 में प्रदान की गई थी और पूर्ण करने की नियत तिथि सितम्बर 2005 थी। यह कार्य भा.प्र.सं. कोलकाता द्वारा प्रवेश सङ्क के अस्थायी प्रयोग की अनुमति देने के बाद जुलाई 2004 में आरम्भ किया गया था और कार्य की प्रगति पूर्णतया स्थल के लिए प्रवेश सङ्क की उपलब्धता पर निर्भर थी जो कि भा.प्र.सं. कोलकाता के नियंत्रण में थी।

के.वि.सं. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह विवाद स.ज्ञा. के अंतर्गत अपेक्षित वास्तुशिल्पीय नक्शों की भा.प्र.सं. कोलकाता की अनुमति प्राप्त नहीं करने के कारण उत्पन्न हुआ। विवाद 24 जुलाई 2004 तक अनिराकरणीय रहा तथा उसके बाद भी कार्य के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए प्रवेश सङ्क की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट अनुबन्ध नहीं था।

के.वि.सं. ने आगे बताया (मई 2005) कि 38 प्रतिशत कार्य मार्च 2005 तक पूरा हो गया था।

मामला मंत्रालय को मई 2004 में प्रेषित किया गया था। मंत्रालय ने तथ्यों को मानते हुए बताया (फरवरी 2005) कि कार्य पूरा हो गया था और भा.प्र.सं., जोका स्थित के.वि.सं. सफलतापूर्वक कार्य कर रहा था।

मंत्रालय का उत्तर के.वि.सं. के उत्तर के विपरीत था जिसने बताया (मई 2005) कि मार्च 2005 तक केवल 38 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था। के.वि.सं. ने दिसम्बर 2005 में सूचित किया था कि सितम्बर 2005 तक केवल 55 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा ने आगे पता लगाया कि नवम्बर 2005 तक निर्माण कार्य का 65 प्रतिशत पूर्ण हो चुका था और विद्यालय भा.प्र.सं. कोलकाता द्वारा प्रदान किये गये ईंटों की दीवार और टिन की छत वाले अस्थायी भवन से कार्य कर रहा था। अतः कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि के बाद भी 35 प्रतिशत कार्य अभी शेष था।

अतः स.ज्ञा. में विचलन करते हुए के.वि.सं. ने विद्यालय भवन पर कार्य आरम्भ करने और प्राथमिक नक्शों को अंतिम रूप देने से पूर्व भा.प्र.सं. से परामर्श नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप विवाद हुआ जो अनिराकरणीय रहा जिसके कारण परियोजना पर कार्य बन्द हो गया और परिणामस्वरूप 1.59 करोड़ रु. का निवेश 18 महीने निष्क्रिय रहा। इसके अतिरिक्त निर्माण की लागत में पहले ही 95 लाख रु. की बढ़ोत्तरी हो चुकी है।

### राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

#### 8.5 जल प्रभारों की कम वसूली

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) ने लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्धारित दरों पर जल प्रभारों की वसूली की जो रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा अदा किये गये दरों का भाग था। इसका परिणाम 2001-02 से 2004-05 की अवधि के दौरान 32.80 लाख रु. की राशि के जल प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) के पास अपने स्टाफ के लिए दिल्ली में श्री अरबिन्दो मार्ग (343) और पट्टनकलां (134) पर विभिन्न श्रेणियों के 477 आवासीय फ्लैट हैं। इनका आवंटन क्रमशः 1970-1996 के दौरान और मार्च 2001 में किया गया था। लेखापरीक्षा में पता लगाया (मार्च 2003) कि अधिभोगियों से जल प्रभार दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) द्वारा प्रभारित दरों पर वास्तविक उपभोग के आधार पर वसूल नहीं किये जा रहे थे। टाईप I से टाईप V के क्वार्टरों के लिए लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्धारित 9 से 16 रु. प्रतिमाह प्रति क्वार्टर की दरों के बीच वसूलियां प्रभारित की जा रही थीं। निदेशक के बंगले के मामले में 20 रु. प्रति माह प्रभारित किये जा रहे थे।

रा.शै.अ.प्र.प. अरबिन्दो मार्ग पर अपने परिसर में स्थित 343 स्टाफ क्वार्टरों में अलग मीटर प्रतिष्ठापित नहीं करा पाई थी। हालांकि स्टाफ से वसूलियां समान दर से लागू थी, दि.ज.बो. द्वारा रा.शै.अ.प्र.प. से वाणिज्यिक दरों पर बिल लिया गया था यद्यपि कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर के लिए समेकित बिल प्राप्त हुआ था। रा.शै.अ.प्र.प. ने ये तथ्य स्वीकार किये लेकिन बताया (अगस्त 2004) कि स्टाफ क्वार्टरों में जल उपभोग पर व्यय निकालना सम्भव नहीं था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि पट्टनकलां क्वार्टरों में, जहाँ पर जल की आपूर्ति दि.वि.प्रा. द्वारा की जा रही थी, रा.शै.अ.प्र.प. ने प्रत्येक क्वार्टर के लिए 157 रु. प्रति माह की समान दर से भुगतान किया। तथापि, बल्कि वाटर मीटर के कार्य न करने के आधार पर स्टाफ से जल प्रभार 9 रु. से 16 रु. प्रति माह की समान दर से वसूल किये जा रहे थे। अरबिन्दो मार्ग पर रा.शै.अ.प्र.प. परिसर के क्वार्टरों में उपभोग किये गये जल के व्यय का अनुमान लगाने के लिये लेखापरीक्षा ने प्रतिमाह 157 रु. प्रति स्टाफ क्वार्टर

की समान दर को अपनाया जो रा.शै.अ.प्र.प. ने दि.वि.प्रा. को अपने पर्पनकलां क्वार्टरों के लिए अदा की थी। इस आधार पर, 2001-02 से 2004-05 के दौरान श्री अरबिन्दो मार्ग और पर्पनकलां के स्टाफ क्वार्टरों के अधिभोगियों से रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा कुल वसूली योग्य जल प्रभार 35.32 लाख रु. परिकलित किया जिसके बदले रा.शै.अ.प्र.प. ने केवल 2.52 लाख रु. वसूल किये थे। इसका परिणाम 32.80 रु. की कम वसूली में हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर (मई 2005) में रा.शै.अ.प्र.प. ने लगभग 15 वर्षों पहले निर्धारित समान दरों में संशोधन न होने पर खेद प्रकट किया (जून 2005)। उसने यह भी बताया कि परिषद को किसी भी हानि से बचाने को सुनिश्चित करने के लिए दरों को जल्द ही 50 रु. प्रतिमाह तक संशोधित किया जायेगा। मंत्रालय ने भी रा.शै.अ.प्र.प. के विचारों का समर्थन किया (अगस्त 2005)। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रस्तावित 50 रु. प्रतिमाह की समान दर का संशोधन भी रा.शै.अ.प्र.प. पर ही अधिभोगियों की आर्थिक सहायता का भारी भार डालेगा जो कि अग्राह्य है। इसके बजाय रा.शै.अ.प्र.प. को अपने स्टाफ क्वार्टरों में जल्दी ही अलग मीटर लगावाने चाहिए। उस समय तक जब तक की मीटर लगाये जायें, रा.शै.अ.प्र.प. को प्रत्येक अधिभोगी से दि.ज.बो. और दि.वि.प्रा. द्वारा लगाये गये प्रभारों के अनुसार वसूली की दर तुरन्त बढ़ा देनी चाहिए।

#### 8.6 ठेका देने में विलम्ब के कारण हानि

**राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षतिग्रस्त कागज के विक्रय के लिए आदेश देने में विलम्ब का परिणाम 10.70 लाख रु. की हानि में हुआ।**

रा.शै.अ.प्र.प. ने प्रकाशन विभाग मे पड़े क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी कागज (165.335 मीट्रिक टन) का निपटान करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2002) तथा मार्च 2003 में एक निपटान समिति (समिति) का गठन किया। इस समिति ने आगे एक तकनीकी समिति का गठन किया (मई 2003) जिसने 5.75 रु. प्रति किलोग्राम का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया। सितम्बर 2003 में प्रमुख समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रित सूचना (नि.आ.सू.) जारी की गई। कुल मिलाकर नौ बोलियां प्राप्त हुई तथा 'X' फर्म की 21.21 लाख रु. के लिए दूसरी सर्वोच्च बोली की 23 अक्तूबर 2003 में समिति द्वारा अनुशंसा की जिसका 21 नवम्बर 2003 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिया था। 23.61 लाख रु. की सर्वोच्च बोली को पेशगी राशि जमा ना कराने के कारण विचारित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया कि रा.शै.अ.प्र.प. ने 'X' फर्म को कार्य प्रदान करने वाला पत्र 17 दिसम्बर 2003 अर्थात उसके चयन के 56 दिनों बाद भेजा। फर्म ने इस आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि पंचाट पत्र उसे बहुत देर से जारी किया गया था। बाद में नई निविदाएं आमंत्रित की गई (मार्च 2004) तथा ठेका मई 2004 में 'Y' फर्म

को 10.51 लाख रु. में दे दिया गया। इस प्रकार, ठेके को देने में विलम्ब तथा नि.आ.सू. में प्रस्ताव के लिए समय वैधता धारा के विशेष रूप से उल्लेख की विफलता का परिणाम 10.70 लाख रु. की हानि में हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर (मई 2005) में रा.शै.अ.प्र.प. ने 'X' फर्म को प्रस्ताव पत्र भेजने में विलम्ब को स्वीकार किया तथा इसके लिए आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करने में लगे समय को उत्तरदायी ठहराया (जून 2005)। इसने नि.आ.सू. में समय वैधता धारा को शामिल न करने की त्रुटि को भी माना जिससे फर्म को दिसम्बर 2003 में प्रस्ताव को मना करने की अनुमति मिली।

मंत्रालय ने प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण विलम्ब को मानते हुए बताया (जुलाई 2005) कि पंचाट पत्र को जारी करने में कोई दुर्भावना शामिल नहीं थी।

### विश्व भारती

#### 8.7 "समर्पित फीडर" पर निष्क्रिय व्यय

समर्पित फीडर लाइन पर 1.03 करोड़ रु. का निष्क्रिय पूँजीगत व्यय तथा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जेनरेटरों को तैयार रखने के लिए किराया प्रभारों एवं ईन्चन खर्च के कारण 1.25 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

विद्युत की बार-बार कटौती से बचने के लिए, विश्व-भारती (विश्वविद्यालय) ने पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (प.ब.रा.वि.बो.) कोलकाता को एक समर्पित फीडर के जरिए निरन्तर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के कार्य के लिए, वित्तीय अनुमान के प्रस्ताव का आग्रह करते हुए संपर्क किया (जून 1993)। प.ब.रा.वि.बो. ने निम्नलिखित कुछ नियम एवं शर्तों के साथ 86.50 लाख रु. के अनुमान का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अगस्त 1993):

- (क) तीन महीनों की वैधता अवधि के अंतर्गत सम्पूर्ण राशि पेशागी के रूप में जमा कराई जानी थी;
- (ख) विश्वविद्यालय को समर्पित फीडर को लोड शैंडिंग से मुक्त रखने के लिए, विद्युत विभाग पश्चिम बंगाल सरकार, से विशिष्ट अनुमति को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी; और
- (ग) समर्पित फीडर के रूप में कार्य करने वाली 11 केवी उर्ध्वरस्थ लाइन विद्यमान 33/11 के वी उप-केन्द्र बोलपुर से खींची जानी थी और बाद में जब भी प्रस्तावित 132/33 के वी केन्द्र बोलपुर स्थापित हो उससे जोड़ी जानी थी।

इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त पूँजीगत व्यय को विश्वविद्यालय द्वारा वहन करना होगा। विश्वविद्यालय ने नवम्बर 1993 में प्रस्ताव पर सहमति जताई।

तथापि, विश्वविद्यालय ने नियत तिथि तक पेशगी जमा नहीं की; जिसके परिणामस्वरूप प.बं.रा.वि.बो. ने दिसम्बर 1993 में 91.10 लाख रु. का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय ने मार्च 1994 में राशि जमा की। प.बं.रा.वि.बो. ने जून 1994 में कार्य प्रारम्भ किया जिसे मई 1995 में पूरा करना नियत किया गया था। फिर भी विश्वविद्यालय की सहमति से प.बं.रा.वि.बो. द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्य करने के कारण तथापि समर्पित, फीडर का कार्य सितम्बर 1998 में पूरा हुआ था। इसी दौरान प.बं.रा.वि.बो. ने विश्वविद्यालय को फीडर को 'लोड शैडिंग फ्री' घोषित कराने के लिए विद्युत विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए आग्रह करने की सलाह दी (मार्च 1998)। विश्वविद्यालय ने समर्पित फीडर के परिचालन संबंधी मामले को प.बं.रा.वि.बो. के साथ फरवरी 2000 में उठाया था।

मार्च 2001 में, प.बं.रा.वि.बो. ने विश्वविद्यालय को सूचित किया कि समर्पित फीडर को सीधे तौर पर बोलपुर स्थित 132/33 के वी उप-केन्द्र (1997 से चालू) से जोड़कर विद्युत आपूर्ति में स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता था जिसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय को नवम्बर 1993 की सहमति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाना सम्मिलित था। तथापि विश्वविद्यालय (अप्रैल 2001) ने अतिरिक्त व्यय को वहन करने में असमर्थता प्रकट की। चार वर्ष बीत जाने के पश्चात विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित कार्य के लिए प.बं.रा.वि.बो. के पास जनवरी 2005 में 12.03 लाख रु. की अतिरिक्त राशि जमा की। मई 2005 में कार्य पूरा होने के पश्चात्, विश्वविद्यालय ने विद्युत विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार से समर्पित फीडर को लोड शैडिंग से मुक्त घोषित करने के संबंध में आवश्यक अनुमति तथा अधिसूचना के लिए आग्रह किया। इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2005)।

इस प्रकार, समर्पित फीडर की स्थापना से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के सात वर्षों के पश्चात् भी, विश्वविद्यालय लोड शैडिंग में कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका था। इसके परिणामस्वरूप उसने अक्टूबर 1998 से फरवरी 2005 की अवधि के दौरान निजी पार्टियों से किराए के जेनरेटरों द्वारा विद्युत की आपूर्ति को पूरा करने की वैकल्पिक व्यवस्था की थी तथा जैनरेटरों के किराया प्रभारों एवं ईन्धन खर्च के लिए ही 1.25 करोड़ रु. का व्यय किया।

इसके अतिरिक्त, समर्पित फीडर पर 1.03 करोड़ रु. का व्यय निष्क्रिय रहा (नवम्बर 2005)। यह विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत विभाग से लोड शैडिंग मुक्त समर्पित फीडर के संचालन से सम्बन्धित आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के असमर्थता के कारण हुआ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2005 में प्रेषित किया गया था। उन्होंने सत्यापित किया कि विश्वविद्यालय को समर्पित फीडर का लोड शैडिंग मुक्त कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से आवश्यक अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई थी (नवम्बर 2005)।

## अध्याय IX : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### प्रसार भारती

#### 9.1 निर्माता को अनुचित लाभ

एक धारावाहिक के निर्माता को जुलाई 2001 तक अनियमित अतिरिक्त निशुल्क विज्ञापन समय प्रदान करके एक अनुचित रियायत प्रदान की गयी। आगे की प्रसारण अवधि के दौरान निर्माता ने रियायती प्रसारण शुल्क और पहले जितनी ही निशुल्क विज्ञापन समय की कुल अवधि का उपयोग किया। इन कारणों से निर्माता को 10.66 करोड़ रु. का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

प्रसार भारती (प्र.भा.) ने एक प्रायोजित धारावाहिक ‘शक्तिमान’ का प्रसारण किया जो बच्चों के कार्यक्रमों की श्रेणी के अन्तर्गत सितम्बर 1997 में शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1999 के बाद (76 वां एपिसोड) से इस धारावाहिक का प्रसारण रविवार को उच्च ‘क’ श्रेणी (प्रधान काल) स्लॉट में होता था। 22 अक्टूबर 2000 को प्रसारित 130वें एपिसोड तक धारावाहिक के निर्माता से प्रसारण शुल्क 7.20 लाख रु. प्रति एपिसोड की दर से और इसके बाद 90 सैकेन्ड प्रति आधे घंटे की दर से 180 सैकेन्ड के निशुल्क विज्ञापन समय (नि.वि.स.) के साथ 10.80 लाख रु. की दर से प्रभारित हुआ था।

लेखापरीक्षा में पाया कि प्रत्येक आधे घंटे पर 60 सैकेण्ड की अतिरिक्त नि.वि.स. की स्वीकृति शुरू में दी गई थी क्योंकि धारावाहिक को बच्चों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। मार्च 2000 में प्र.भा. ने निर्माता को सूचित किया कि हालांकि कार्यक्रम को पहले से स्वीकृत 104 एपिसोडों के बाद 26 एपिसोडों के लिए विस्तार की मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, अतिरिक्त नि.वि.स. 118 वें एपिसोड को (16 जुलाई 2000 को प्रसारित) से वापस ले लिया जायेगा। इस निर्णय के बावजूद, प्र.भा. ने 16 जुलाई 2000 से आगे भी प्रत्येक प्रसारण पर 120 सैकेण्ड का अतिरिक्त नि.वि.स. प्रदान करना जारी रखा। अभिलेखों पर कोई भी कारण निर्दिष्ट नहीं थे कि प्र.भा. अपना निर्णय क्यों नहीं लागू कर पाया। केवल जुलाई 2001 के बाद ही संशोधित दर कार्ड की शर्तों के अनुसार सामान्य नि.वि.स. 300 सैकेण्डों तक बढ़ा दिया गया था। जुलाई 2000 और जुलाई 2001 की अवधि के बीच निर्माता को अतिरिक्त नि.वि.स. के कारण 4.90 करोड़ रु. का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

जुलाई 2001 में प्रसारण शुल्क के दर कार्ड में संशोधन हुआ था, जिसके अनुसार 22 जुलाई 2001 से 12 अगस्त 2001 (166 वें से 169 वें एपिसोड) तक इस कार्यक्रम के लिए प्रभार्य प्रसारण शुल्क प्रति एपिसोड 20.30 लाख रु. था। 19 अगस्त 2001 (170वां एपिसोड) से 3 नवम्बर 2002 को प्रसारित धारावाहिक के अंतिम एपिसोड (220 वां एपिसोड) तक के लिए प्रसारण शुल्क में पुनः 21.35 लाख रु. प्रति एपिसोड की वृद्धि की थी। तथापि बोर्ड ने इस कार्यक्रम के लिए प्रसारण शुल्क 6 मई 2001 से

10.80 लाख रु. स्थिर करने का निर्णय (जून 2001) करते हुए यह साफ किया कि भविष्य में इस कार्यक्रम के संभावित विस्तार को ध्यान किए बिना प्रसारण शुल्क स्थिर रखा जायेगा।

प्र.भा. द्वारा प्रसारण शुल्क स्थिर किये जाने का कारण यह दर्ज किया था कि कार्यक्रम का टी.आर.पी. उच्च था और रविवार सुबह दू.द. राष्ट्रीय नेटवर्क पर चैनल चलाने वाला एक मात्र कार्यक्रम था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि शुल्क को स्थिर किया जाना न्यायसंगत नहीं था क्योंकि नि.वि.स. पहले ही 22 जुलाई 2001 को 300 सैकेण्ड तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार प्रसारण शुल्क को काफी कम करने के साथ-साथ नि.वि.स. को बढ़ाकर निर्माता को दोहरा लाभ दिया गया। 22 जुलाई 2001 से 3 नवम्बर 2002 की अवधि के लिए इस कारण प्र.भा. द्वारा उठाई गई राजस्व हानि 5.76 करोड़ रु. निकाली थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

अवधि		प्रसारण की संख्या	नये दर कार्ड के अनुसार प्रभारित प्रसारण शुल्क	प्रभारित शुल्क	अंतर	कुल हानि
से	तक					
22.7.2001	12.8.2001	4	20.30	10.80	9.50	38.00
19.8.2001	3.11.2002	51	21.35	10.80	10.55	538.05
योग						<b>576.05</b>

इस प्रकार 16 जुलाई 2000 से 8 जुलाई 2001 तक अतिरिक्त नि.वि.स. के द्वारा और 22 जुलाई 2001 से 3 नवम्बर 2002 तक प्रसारण की रियायती दर के माध्यम से निर्माता को दिया गया कुल अनुचित लाभ 10.66 करोड़ रु. निकाला गया था।

मामला मंत्रालय को मई 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

#### 9.2 टी.वी. प्रसारण पद्धतियों तथा प्रसार कक्षों का चालू न होना

दूरदर्शन मार्च 2002 से सितम्बर 2004 के दौरान निर्मित नौ निम्न शक्ति टी.वी. प्रसारण पद्धतियों के लिए परिचालन तथा अनुरक्षण स्टाफ नियुक्त करने में विफल रहा। फलस्वरूप इन उपकरणों के चालू न होने का परिणाम इनके निष्क्रिय रहने के साथ-साथ 6.74 करोड़ रु. निवेश के निष्क्रिय रहने में हुआ। इसके अतिरिक्त दू.द. मार्च 2001 से मार्च 2005 के दौरान छ: स्टेशनों पर 22.55 करोड़ रु. की लागत पर स्थापित प्रसार कक्षों को उनके पूर्ण होने के 12 से 48 महीनों के उपरान्त भी चालू करने में विफल रहा जिसकी परिणति निवेश की निष्क्रियता में हुई।

प्र.भा. का दूरदर्शन (दू.द.) स्कन्ध अपने विभिन्न कार्यक्रमों का अधिकतम आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर उच्च/निम्न शक्ति प्रसारण पद्धतियाँ प्रतिस्थापित करता है। लेखापरीक्षा ने पता लगाया (अप्रैल 2005) कि उसने मार्च 2002 से सितम्बर 2004 के दौरान 6.02 करोड़ रु. की कुल लागत पर विभिन्न स्टेशनों पर नौ निम्न शक्ति प्रसारण पद्धतियाँ निर्मित की थी। इसके अतिरिक्त उसने मार्च 2005 तक इन पद्धतियों पर 72.08 लाख रु. का व्यय वहन किया। तथापि, ये पद्धतियाँ प्रचालन तथा अनुरक्षण स्टाफ की स्वीकृति न होने के कारण चालू नहीं हुई थीं। स्टेशन-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	मंत्रालय को भेजा गया स्टाफ प्रस्ताव	प्रसारण पद्धति के पूर्ण होने की तिथि	लागत
1.	नि.श.प्र. फतेहाबाद	मई 2003	सितम्बर 2004	0.90
2.	नि.श.प्र. कैथल	मई 2003	मार्च 2004	0.73
3.	नि.श.प्र. खजूवाला	मई 2003	फरवरी 2004	0.58
4.	नि.श.प्र. कोल्हापुर	मई 2003	जनवरी 2003	0.70
5.	नि.श.प्र. मुधौल	मई 2003	जनवरी 2002	0.68
6.	नि.श.प्र. पुंगनूर	मई 2003	जनवरी 2002	0.85
7.	नि.श.प्र. सत्रसाल	मई 2003	मार्च 2003	0.78
8.	नि.श.प्र. सिन्धनूर	मई 2003	मार्च 2002	0.71
9.	नि.श.प्र. भाल्डा	मई 2003	फरवरी 2003	0.81
योग				6.74

लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि क्रम सं. 4 से 9 तक स्टेशनों के लिए स्टाफ की स्वीकृति के प्रस्ताव टी.वी. प्रसारण पद्धतियों के पूर्ण होने की तिथि के 2 से 15 महीनों के उपरान्त ही मंत्रालय को भेजे गए थे। पद्धतियों को समय पर चालू करने के लिए स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दू.द. में कोई निर्धारित पद्धतियाँ या हस्तचालित प्रक्रिया नहीं थी। इस प्रकार इन टी.वी. प्रसारण पद्धतियों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए स्टाफ स्वीकृत न किए जाने का परिणाम 11 से 43 महीनों की अवधि के बीच उपकरणों तथा 6.74 करोड़ रु. के कुल निवेश के निष्क्रिय रहने में हुआ। दू.द. ने दिसम्बर 2005 में सूचित किया कि स्टाफ के परिनियोजन द्वारा, खजूवाला में सितम्बर 2005 में फतेहाबाद, कैथल, कोल्हापुर, मुधौल, पुंगनूर तथा सिन्धनूर में अक्तूबर 2005 में तथा भाल्डा में नवम्बर 2005 में प्रसारण पद्धति चालू की गई थी। तथापि दिसम्बर 2005 तक सत्रसाल में प्रसारण पद्धति को अभी भी चालू किया जाना था।

इसी प्रकार दू.द. ने मार्च 2001 से मार्च 2004 के दौरान 17.73 करोड़ रु. की लागत पर छ: टी.वी. प्रसार कक्ष स्थापित किए थे। ये प्रसार कक्ष मार्च 2005 तक उनके पूर्ण होने के 12 से 48 महीनों के उपरान्त भी चालू नहीं किए गए थे तथा 2004-05 के दौरान उन पर 4.82 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय वहन किया गया था। प्रसार कक्ष-वार विवरण है:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	मंत्रालय को भेजा गया स्टाफ प्रस्ताव	प्रसार कक्ष के पूर्ण होने की तिथि	लागत
1.	पटियाला	मई 2003	मार्च 2001	2.90
2.	कालीकट	मई 2003	मार्च 2002	3.06
3.	मुद्राई	मई 2003	मार्च 2003	7.41
4.	वारांगल	मई 2003	मार्च 2003	2.53
5.	कोयम्बटूर	मई 2003	मार्च 2004	3.61
6.	राजौरी	मई 2003	मार्च 2004	3.04
			योग	<b>22.55</b>

लेखापरीक्षा (अप्रैल 2005) अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में दू.द. ने मई 2005 में बताया कि मंत्रालय द्वारा स्टाफ स्वीकृत न होने के कारण प्रसार कक्ष चालू नहीं किए जा सके थे। उसने आगे बताया कि प्रसार भारती को स्टाफ स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं था। लेखापरीक्षा में पाया कि क्रम संख्या 1 से 4 प्रसार कक्षों के लिए स्टाफ स्वीकृति के प्रस्ताव, प्रसार कक्षों के पूर्ण होने की तिथि से 2 से 26 महीनों के उपरान्त मंत्रालय को भेजे गये थे। इस प्रकार, स्टाफ को स्वीकृत न करने के कारण मार्च 2005 तक प्रसार कक्ष चालू नहीं किए गए थे और इसका परिणाम 22.55 करोड़ रु. के निवेश के निष्क्रिय रहने में हुआ। दू.द. ने दिसम्बर 2005 में बताया कि अन्य केन्द्रों तथा प्रसार कक्षों से स्टाफ के परिनियोजन द्वारा वारांगल में अप्रैल 2005 में, मुद्राई तथा कोयम्बटूर में अगस्त 2005 में तथा पटियाला में नवम्बर 2005 में टी.वी. प्रसार कक्षों को चालू किया गया था।

इस प्रकार टी.वी. प्रसारण पद्धतियों तथा प्रसार कक्षों को चालू करने के लिए स्टाफ की नियुक्ति न होने का परिणाम दू.द. के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने के अतिरिक्त उपकरण और निवेशों की निष्क्रियता में हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2006) कि यद्यपि स्टाफ की पुनः तैनाती द्वारा तकनीकी रूप से तैयार परियोजनाओं को चालू करना प्र.भ. का निरन्तर प्रयास था, प्र.भा. के लिए इन स्टेशनों में व्यवस्था करने में मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं क्योंकि वे वित्त मंत्रालय से मंजूरी न मिलने के कारण रिक्त पदों को भरने की स्थिति में नहीं थे। यह भी बताया

गया कि इन मुश्किलों के बावजूद दू.द. ने स्टाफ के परिनियोजन द्वारा नौ निम्न शक्ति प्रसारण पद्धतियों में से आठ को चालू कर दिया था। तथ्य यही है कि परिचालन स्टाफ से सम्बन्धित मामलों को नहीं सुलझाने का परिणाम पद्धतियों के चालू होने में विलम्ब तथा न चालू होने में हुआ।

### 9.3 अपरिपक्व प्रापण

दूरदर्शन द्वारा दो ट्रांसमीटरों के अपरिपक्व प्रापण का परिणाम जुलाई 2005 तक दो से चार वर्षों के लिए 3.82 करोड़ रु. निष्क्रिय होने में हुआ। उपकरण की गारंटी भी समाप्त हो गई।

दू.द. ने 68 कि.मी. अरीय दूरी के अन्दर दर्शकों तक अपने क्षेत्र का विस्तार करने हेतु मई 1998 में बडोदरा में 140 मीटर ऊंचे स्टील टावर सहित एक 10 के.डब्ल्यू वी.एच.एफ. टी.वी. ट्रांसमीटर को स्थापित करने का अनुमोदन किया। उसने एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) को 1.18 करोड़ की लागत पर गढ़ी हुई सामग्री की आपूर्ति तथा टावर के निर्माण के लिए आदेश दिया (जून 1999)। आपूर्ति सितम्बर 2000 में नियत की गई थी। किन्तु सा.क्षे.उ. दिसम्बर 2004 तक टावर को स्थापित करने में विफल रहा तथा इसके बाद दू.द. ने अपने तकनीकी विनिर्देश को बदलने का निर्णय किया और तदनुसार आपूर्ति फरवरी 2006 में पुनःनियत की गई।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया (दिसम्बर 2004) कि दू.द. को पता था कि फरवरी 2001 तक टावर पर कोई कार्य नहीं किया गया था लेकिन फिर भी एक अन्य केन्द्रीय सा.क्षे.उ. को दू.द.-I के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए प्रस्तावित टी.वी. टावर में स्थापना हेतु ट्रांसमीटर की आपूर्ति का आदेश दे दिया (फरवरी 2001)। 1.95 करोड़ रु. की लागत पर ट्रांसमीटर की आपूर्ति मार्च 2001 में की गई थी। दू.द. ने उसी फर्म को दू.द.-II कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उसी टावर में स्थापना हेतु एक अन्य ट्रांसमीटर की आपूर्ति का आदेश दिया (दिसम्बर 2002)। इस ट्रांसमीटर की आपूर्ति भी 1.87 करोड़ की लागत पर मार्च 2003 में की गई थी। पहले ट्रांसमीटर के लिए गारंटी, प्रेषित माल की प्राप्ति तिथि से 12 महीनों की जबकि दूसरे के लिए 24 महीनों की थी। लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2004) कि टी.वी. टावर का निर्माण न होने के कारण ये ट्रांसमीटर निष्क्रिय पड़े थे। इसके अतिरिक्त टावर की नींव का कार्य फरवरी 2003 में ही प्रारम्भ हुआ तथा टी.वी. टावर के घटकों की आपूर्ति की संशोधित तिथि फरवरी 2006 थी।

इस प्रकार ट्रांसमीटरों के अपरिपक्व खरीद का परिणाम 3.82 करोड़ रु. की लागत पर प्रापण किये गये उपकरण के जुलाई 2005 तक 2 से 4 वर्षों तक निष्क्रिय पड़े रहने में हुआ। इसी दौरान इन ट्रांसमीटरों की गारंटी अवधियां भी समाप्त हो गई थीं जिसने दू.द. को इनकी स्थापना के समय ध्यान में आने वाली किसी त्रुटि के लिए अतिरिक्त

व्यय के जोखिम में भी डाला। उपकरण उनके किफायती जीवन की महत्वपूर्ण अवधि में अप्रयुक्त भी रहे।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

#### 9.4 निधियों का अवरोधन

दिल्ली विद्युत बोर्ड से 62.39 लाख रु. की वापसी के दावे को आगे बढ़ाने में दूरदर्शन की विफलता का परिणाम 5 वर्ष और 5 महीने से अधिक के लिए इस राशि के अवरोधन में हुआ और इसके फलस्वरूप 34.53 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि दिल्ली विद्युत बोर्ड (दि.वि.बो.) ने केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र (के.उ.के.), दूरदर्शन, नई दिल्ली को अगस्त से अक्टूबर 1999 के महीनों के औसत उपभोग के आधार पर अप्रैल 1998 से जुलाई 1999 की अवधि के विद्युत प्रभारों का 62.39 लाख रु का एक अनुपूरक बिल प्रस्तुत किया (दिसम्बर 1999)। के.उ.के. ने इस अनुपूरक बिल का विरोध किया क्योंकि उसने मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिलों का नियमित भुगतान किया था। फिर भी, उसने विद्युत विच्छेदन से बचने के लिए विरोध दर्शाते हुए 62.39 लाख रु अदा किये (दिसम्बर 1999)। उसने दि.वि.बो. से मार्च 2000 में इस राशि को वापस करने का अनुरोध किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2005) कि के.उ.के. ने मार्च 2000 के बाद मामले में अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। इसका परिणाम दि.वि.बो. (अब रि.ऊ.वि.लि.)\* के पास मई 2005 तक, 5 वर्ष और 5 महीने से अधिक के लिए 62.39 लाख रु अवरुद्ध रहने में हुआ और इसके फलस्वरूप भा.स. की ब्याज की औसत उधार दर 10.22 प्रतिशत वार्षिक के आधार पर 34.53 लाख रु के ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में दूरदर्शन ने बताया (सितम्बर 2005) कि मार्च 2005 में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये जाने के बाद उसने मामले को रि.ऊ.वि.लि. के साथ प्राथमिकता के आधार पर अंतिम निपटारे के लिए उठाया था।

मामला मंत्रालय को जून 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित है।

\* रिलायंस उर्जा तथा विद्युत लिमिटेड

सत्यजित राय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता

9.5 स्टाफ क्वार्टरों पर अविवेकपूर्ण निवेश

सत्यजित राय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता ने आवश्यकता का मूल्यांकन किए बिना, 41 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण पर 2.20 करोड़ रु. निवेश किए। परिणामस्वरूप स्टाफ से कम मांग के कारण 63 प्रतिशत क्वार्टर खाली पड़े रहे, जबकि संस्थान को उन्हें मकान किराया भत्ते के रूप में 27.47 लाख रु. अदा करने पड़े थे।

सत्यजित राय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता (संस्थान) ने अक्टूबर 2000 तथा अगस्त 2002 के बीच निदेशक के बंगले सहित बी.सी.डी. तथा ई. टाइप के 41 स्टाफ क्वार्टरों को निर्माण किया। निर्माण पर 2.20 करोड़ रु. की राशि का व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2004) कि 2001-02 तथा 2004-05 के बीच, 26 से 31 क्वार्टरों के मध्य बड़ी संख्या में विभिन्न अवधियों के लिए खाली रहे। संस्थान ने रिक्तियों का कारण समझाते हुए कहा (जुलाई 2004 और दिसम्बर 2004) कि संस्थान के नगरोपान्त स्थित होने के कारण सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तथा रहन -सहन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और कर्मचारियों की एक बड़ी प्रतिशतता ने क्वार्टरों के आबंटन के लिए आवेदन नहीं किया था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2005) कि प्रारंभिक निर्णय संस्थान के कुल 212 स्टाफ के 25 प्रतिशत के लिए क्वार्टरों को उपलब्ध कराने का था। तथापि अभी केवल संस्थान के लिए केवल 75 पदों को स्वीकृत किया गया था, संस्थान की दूरवर्ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए 55 प्रतिशत स्टाफ के लिए क्वार्टरों का प्रावधान किया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि खाली स्टाफ क्वार्टरों का लघु अवधि के ऑफ-लाइन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों के लिए उपयोग किया गया था और कुछ क्वार्टरों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों को किराए पर भी दिया गया था।

मंत्रालय अथवा संस्थान द्वारा स्टाफ क्वार्टरों के लिए संभावित मांग का पता लगाने में किन्हीं प्रयासों के अभाव में स्वीकृत स्टाफ संख्या के 55 प्रतिशत के लिए क्वार्टरों को उपलब्ध कराने का निर्णय मनमाना माना जाएगा जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2005 तक 41 में से 26 क्वार्टर तक खाली पड़े थे। इसी बीच संस्थान ने 2001-2005 की अवधि के लिए अपने स्टाफ को मकान किराया भत्ते के रूप में 27.47 लाख रु. अदा किये थे।

## अध्याय X : श्रम मंत्रालय

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

## क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोलकाता

**10.1 कम्प्यूटराइज्ड कर्मचारी पेंशन प्रणाली में कमियों का परिणाम पेंशनी लाभों के गलत भुगतान में हुआ**

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनी लाभों की गणना करने हेतु देशव्यापी कम्प्यूटराइज्ड कर्मचारी पेंशन प्रणाली प्रारम्भ की।
- आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि डिजाइन में कमी के कारण, प्रोग्राम द्वारा की गई गणनाएं योजना के उपबन्धों के परस्पर -विरोधी थी। इसके कारण पेंशन के सारांशीकरण के 910 मामलों में 34.51 लाख रु. तक कम भुगतान तथा 1462 मामलों में 51.78 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ।
- पूंजी के प्रतिफल (पू.के.प्र.) भी 968 मामलों में 95.46 लाख रु. कम तथा 1581 मामलों में 1.41 करोड़ रु. अधिक परिकलित किये गये थे।
- प्रोग्राम ने 4645 मामलों पर 3.93 लाख रु. प्रतिमाह पेंशन राशि का कम भुगतान तथा 5893 मामलों में 5.36 लाख रु. प्रति माह पेंशन राशि का अधिक भुगतान परिकलित किया (जनवरी 2005 तक)।
- प्रोग्राम में पू.के.प्र. योजना के लिए 235 मामलों में 1.25 करोड़ रु. की राशि के गलत लाभभोगी को स्वीकार किया।

**10.1.1 प्रस्तावना**

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अध्यादेश के बाद अस्तित्व में आया। 1995 में क.भ.नि.सं. ने कर्मचारी पेंशन योजना<sup>1</sup> 1995 (योजना) के अंतर्गत पेंशनी लाभों की गणना करने तथा पेंशन भुगतान आदेशों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित एक प्रोग्राम देशव्यापी कम्प्यूटराइज्ड कर्मचारी पेंशन प्रणाली (क.क.पै.प्र.) को प्रारम्भ किया। प्रोग्राम की संचालन प्रणाली स्को-यूनिक्स ओपन सर्वर 5.0.5 है तथा सॉफ्टवेयर स्को-फोकसबेस पैकेज पर कार्य करता है।

<sup>1</sup> यह योजना 16 नवम्बर 1995 से कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 को प्रतिरक्षित करती थी।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त साल्ट लेक, कोलकाता के कार्यालय से सम्बन्धित नमूना आंकड़ों के आधार पर प्रोग्राम की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के लिए 3 अप्रैल 2000 से 14 जनवरी 2005 की अवधि से सम्बन्धित 24534 कुल अभिलेखों में से 17900 अभिलेखों का चयन किया। आंकड़ों की विश्वसनीयता तथा सामंजस्य के निर्धारण एवं योजना में शासित नियमों के अनुरूप सूचना प्रक्रमण कार्य के निष्पादन के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सल द्वारा विश्लेषण किया था। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को आगामी पैराग्राफों में विस्तार से कहा गया है।

#### 10.1.2 प्रणाली डिजाइन में कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के उपबन्धों के साथ प्रतिकूलता के कारण प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के प्रणाली डिजाइन में बहुत सी कमियां थीं। आवश्यक वैधीकरण जांच जो आंकड़ों को निर्धारित पहुंच में बनाए रखने में सहायता करती है, में भी कमियां पाई गई थीं। अभ्युक्तियां निम्नलिखित हैं :

##### (क) पेंशनी लाभों की गलत गणना

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अनुसार, पेंशन कर्मचारियों को इस आधार पर देय है कि वे परिवार पेंशन योजना 1971 जिसे 1995 में समाप्त किया गया अथवा नई योजना के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त, 16 नवम्बर 1995 से पहले पदभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों की पेंशन भी 16 नवम्बर 1995 को उनकी उम्र अर्थात् (i) 48 वर्षों से कम (ii) 48 वर्षों से अधिक परन्तु 53 वर्षों से कम; तथा (iii) 53 वर्ष अथवा अधिक पर निर्भर थी।

पेंशन फाइलों तथा आंकड़ों के विश्लेषण की नमूना जांच में पाया कि पेंशनी लाभों की गणना में योजना के उपबन्धों से बहुत विचलन थे। क.क.पे.प्र. प्रोग्राम ने कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के सदस्यों को योजना में निर्धारित आयु समूहों के अनुसार ठीक रूप से संवर्ग नहीं किया। इसके अतिरिक्त योजना के उपबन्धों में सेवानिवृत्ति की तिथि (58 वर्ष) पर वांछनीय 24 वर्षों से कम सेवा वाले कर्मचारियों की पेंशन में से आनुपातिक कटौती अपेक्षित है। यद्यपि, प्रोग्राम में इस विशेषता को अन्तर्विष्ट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, वे कर्मचारी जिन्होंने सारांशीकरण तथा पूँजी के प्रतिफल<sup>2</sup> (पूँ.के.प्र.) दोनों को चयन किया, पूँ.के.प्र. की गणना देय पेंशन में से सारांशीकरण की राशि को घटाने के बाद शेष राशि पर की जानी चाहिए। हालांकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम समस्त सारांशीकृत राशि के स्थान पर मूल देय पेंशन का 10/12.5 प्रतिशत घटा देता है।

<sup>2</sup> पूँ.के.प्र. एक एकमुश्त देय राशि है यदि एक सदस्य सामान्य ग्राह्य पेंशन के स्थान पर घटी हुई पेंशन को आहरित करने के लिए चुनता है।

इन कमियों तथा नतीजन क.क.पै.प्र. प्रोग्राम द्वारा गलत परिकलन का परिणाम अप्रैल 2000 से जनवरी 2005 की अवधि के दौरान पेंशन की सारांशीकृत राशि का 910 मामलों में 34.51 लाख रु. तक कम भुगतान तथा 1462 मामलों में 51.78 लाख रु. के अधिक भुगतान में हुआ। पूँजी के प्रतिफल (पूँ.के.प्र.) का भी उसी अवधि के दौरान 968 मामलों में 95.46 लाख रु. का कम परिकलन तथा 1581 मामलों में 1.41 करोड़ रु. का अधिक परिकलन किया गया। इसके कारण 4645 मामलों में 3.93 लाख रु. प्रतिमाह पेंशन राशि का कम भुगतान तथा 5893 मामलों में 5.36 लाख रु. प्रतिमाह पेंशन राशि का अधिक भुगतान किया गया (जनवरी 2005 तक)।

क्षेत्रीय कार्यालय ने अभ्युक्तियों को नोट कर लिया तथा बताया (मार्च 2005) कि मामले को क.भ.नि.सं. मुख्यालय, नई दिल्ली के साथ उठाने के आवश्यकता थी।

#### (ख) पूँ.के.प्र. के लिए गलत लाभभोगी

योजना के पैरा 13(1) के अनुसार पूँ.के.प्र. का लाभ प्राप्त करने के लिए एक सदस्य हेतु तीन विकल्प उपलब्ध हैं। विकल्प दो के अंतर्गत, विधवा (पति/पत्नी) के पुनः विवाह/मृत्यु पर दिवंगत सदस्य के नामित व्यक्ति को मूल मासिक पेंशन के 90 गुणा के बराबर राशि देय है। इन मामलों में पूँ.के.प्र. का लाभभोगी विधवा पति/पत्नी के अलावा एक व्यक्ति (नामित व्यक्ति) होना चाहिए।

यद्यपि, 555 मामलों के सम्बन्ध में जहां पूँ.के.प्र. के दूसरे विकल्प को व्यवहार में लाया गया, के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया कि 1.25 करोड़ रु. की राशि की सम्मिलित 235 मामलों में योजना का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पति, पत्नी (पत्नी /पति) को पूँ.के.प्र. का लाभभोगी दिखाया गया था। परिणामस्वरूप, दो मामलों में पूँ.के.प्र. को वास्तव में विधवा के खाते में जमा दिखाये थे।

क्षेत्रीय कार्यालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2005) कि मृत सदस्यों के मामलों का निपटान क.भ.नि.सं. मुख्यालय नई दिल्ली के अनुमोदन से किया जाएगा।

#### **10.1.3 वैधीकरण जांच का अभाव**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पेंशन योग्य वेतन तथा छोड़ने की तिथि जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटरों के लिए आंकड़ों को स्वीकार्य पहुंच में रखने के लिए वैधीकरण जांचों का समावेश नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पेंशन के चयन की तिथि के फील्ड को खाली छोड़ दिया गया था। विवरण अनुबन्ध-क में दिये गये हैं।

#### 10.1.4 प्रणाली का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इलैक्ट्रोनिक रूप में आंकड़ों में लेने की गति धीमी थी तथा कुछ मैनुअल प्रक्रियाएं अभी भी अपनी जगह पर थी क्योंकि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उन्हें प्रक्रिया में लाने में समर्थ नहीं था। अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं :

##### इलैक्ट्रोनिक आंकड़े लेने की धीमी प्रगति

क.भ.नि.सं. के लेखा कार्य-प्रणाली (भाग-III) के मैनुअल में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में कर्मचारियों की एक मास्टर फाईल सृजन करने का प्रावधान है जिसमें योजना के प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में विवरणों को दिखाया जाता है ताकि वर्कशीट तथा पेंशन भुगतान आदेश (पै.भु.आ.) जारी करते समय रोजगार की दोनों पारियों में गैर-अंशदायी सेवा के साथ-साथ रोजगार से बाहर रहने की अवधियों का पता लगाया जा सके।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जनवरी 2005 तक योजना के कुल 6,91,781 सदस्यों में से केवल 2,21,549 सदस्यों (32 प्रतिशत) के आंकड़ों को कर्मचारियों की मास्टर फाईल में प्रविष्ट किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया (फरवरी 2005) कि सदस्यों की डाटाबेस फाईल में पूरे आंकड़े लेने के प्रयास किए जा रहे थे तथा यह कार्य पूर्ण होने के बाद पेंशन की गणना दिखाने वाली वर्कशीट का स्वचालित सृजन सम्भव हो सकेगा।

#### 10.1.5 निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

प्रणाली डिज़ाइन में कमियों के कारण बहुत से मामलों में प्रोग्राम द्वारा गणनाएं योजना के उपबन्धों के परस्पर-विरोधी पाई गई थी जिसके कारण पेंशनी लाभों का कम /अधिक भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम में आवश्यक वैधीकरण जांचों का भी अभाव था। अतः प्रोग्राम अपने कार्यान्वयन को दस वर्षों के पश्चात भी स्थिर रहने में विफल रहा है।

संगठन को क.क.पै.प्र. प्रोग्राम की समीक्षा करनी चाहिए तथा जहां योजना से विचलन हो वहां आवश्यक परिवर्तन का समावेश करें तथा पर्याप्त वैधीकरण नियंत्रणों का समावेश भी करना चाहिए।

मामला मंत्रालय को मार्च 2002 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2005 तक प्रतीक्षित था।

#### 10.2 स्वर्ण पदकों पर अनियमित व्यय

क.भ.नि.सं. ने भारत सरकार के मितव्ययिता के अनुदेशों तथा मूल नियमावली का उल्लंघन करके अपने कर्मचारियों को स्वर्ण पदकों के वितरण पर 9.32 करोड़ रु. खर्च किए।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) 1952 में स्थापित हुआ था। अपने स्वर्ण जयन्ती वर्ष (2002) का स्मरणोत्सव मनाने के लिए न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी

भविष्य निधि (बोर्ड) ने अपनी विशेष बैठक (दिसम्बर 2002) में अपने प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि की राशि के समकक्ष एक मुश्त वित्तीय लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया। इसमें समाविष्ट कुल अनुमानित व्यय 4.05 करोड़ रु. था। तथापि जब बोर्ड का निर्णय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसने इच्छा व्यक्त की कि सोने या चांदी में समान मूल्य का एक स्थायी स्मृति चिन्ह देने की संभावना की खोज की जाए जो सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसा होगा। तदनुसार बोर्ड ने 28 मार्च 2003 को हुई अपनी 160 वीं बैठक में 2002-2003 के दौरान अपनी नामावली में शामिल प्रत्येक कर्मचारी को तथा 31 मार्च 2003 को न्यासियों के बोर्ड के सदस्यों को भी 8 ग्राम का स्वर्ण पदक प्रदान करने का निर्णय लिया। खनिज धातु व्यापार निगम लि. को 26 जून 2003 को एक आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया गया था और 9.32 करोड़ रु. के मूल्य पर 19461 स्वर्ण पदक खरीदे जो क.भ.नि.सं. के क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुख्यालय द्वारा वितरित किए गए थे। व्यय, "प्रचार/विज्ञापन प्रभार" शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2004) कि क.भ.नि.सं. का अपने कर्मचारियों को एक अग्रिम वेतन वृद्धि अथवा इसके समकक्ष मूल्य की वस्तु प्रदान करने का निर्णय प्रारंभ से ही मूल नियम 27(5) के प्रतिकूल था जो अन्य बातों के अलावा यह कहता है कि अग्रिम वेतन वृद्धि सराहनीय कार्य के पुरस्कार के रूप में अथवा विशेष अनुलब्धियों के एवज में प्रदान नहीं की जा सकती। अपने कर्मचारियों तथा न्यासियों के बोर्ड के सदस्यों को स्वर्ण पदक के प्रापण तथा वितरण पर 9.32 करोड़ रु. व्यय करने की क.भ.नि.सं. की कार्रवाई भी व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के सरकारी व्यय में मित्तव्ययिता को प्रभावी करने के अक्तूबर 1992 के अनुदेशों जिन्हें मार्च 2002 में दोहराया गया था का उल्लंघन थी। इसके अतिरिक्त स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए पात्रता मापदण्डों के अंतर्गत बोर्ड के सदस्यों को शामिल करने का क.भ.नि.सं. का निर्णय वित्तीय औचित्य के मानकों के प्रतिकूल था विशेष रूप से इसलिए कि योजना कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की प्रकृति से अभिप्रेत थी। इस व्यय को "प्रचार/विज्ञापन प्रभार" शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करना अनियमित था क्योंकि यह शीर्ष क.भ.नि.सं. के कार्यकलापों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने पर वहनित व्यय के लिए था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (जुलाई 2004) के प्रत्युत्तर में क.भ.नि.सं. ने बताया (अगस्त 2004) कि सोने के सिक्कों की खरीद पर व्यय बोर्ड की क्षमता में था और स्वर्ण पदक का वितरण प्रचार का एक भाग था। मंत्रालय ने भी क.भ.नि.सं. के विचार का समर्थन किया (अक्तूबर 2005)। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया कि यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों को स्वर्ण पदक का वितरण वित्तीय औचित्य के मूल सिद्धान्तों के पूर्णतया उल्लंघन में था।

**क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नागपुर**

**उप-क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर**

### 10.3 खाली क्वार्टरों के कारण निष्क्रिय पूँजी निवेश

स्टाफ क्वार्टरों के लिए वास्तविक मांग के निर्धारण करने में अनुपयुक्त निर्णय का परिणाम 3.08 करोड़ रु. के निष्क्रिय पूँजी निवेश में हुआ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) की कार्यकारी समिति ने नवम्बर 1995 में नागपुर में 159 स्टाफ क्वार्टरों और एक सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया। बाद में क्वार्टरों की स्वीकृति हेतु कर्मचारियों से प्राप्त की गई इच्छा के आधार पर अक्टूबर 1996 में निर्माण किए जाने वाले क्वार्टरों की संख्या घटाकर 119 कर दी गई थी। तदनुसार, जनवरी 1997 में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (रा.भ.नि.नि.) के साथ 119 क्वार्टरों के निर्माण के लिए एक समझौता निष्पादित किया गया। रा.भ.नि.नि. ने 6.95 करोड़ रु. की लागत पर 119 क्वार्टरों का निर्माण किया तथा उन्हें मई 2000 में क.भ.नि.सं. को सौंप दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2005) कि मांग की कमी के कारण आधिपत्य की तिथि से 119 क्वार्टरों में से 54 क्वार्टर खाली पड़े हुए थे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	श्रेणी	अधिकृत वेतनमान	मकानों की संख्या	आबंटित	रिक्त
1.	I	2550-3049	8	6	2
2.	II	3050-5499	72	39	33
3.	III	5500-8499	32	15	17
4.	IV	8500-11999	6	4	2
5.	V	12,000-15099	1	1	-
		योग	119	65	54

इसके परिणामस्वरूप 3.08 करोड़ रु. का पूँजीगत निवेश जून 2005 तक निष्क्रिय पड़ा रहा क्योंकि क्वार्टर के लिए मांग का सावधानी से निर्धारण नहीं किया गया था।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (महाराष्ट्र) ने उत्तर दिया (जुलाई 2003) कि तत्काल आधार पर उ.क्षे.का. के कर्मचारियों को 40 क्वार्टरों को बेचने और कुछ खाली क्वार्टरों को अन्य संस्थानों के कर्मचारियों में आबंटन के लिए अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (के.भ.नि.आ.) नई दिल्ली को सितम्बर 2002 में भेजा गया था। मंत्रालय ने दिसम्बर 2003 में उत्तर दिया कि क्वार्टरों के निर्माण से पहले उचित पुनरीक्षण किया गया था और तदनुसार क्वार्टरों की संख्या को घटाकर 119 किया गया था। तथापि, चार वर्षों के दौरान अर्थात् 1996 से 2000 तक, जो निर्माण कार्य के पूर्ण होने में व्यतीत हुए थे, बहुत से कर्मचारियों ने निर्माण अग्रिम ले लिया और

अपने निजी घर बना लिए जिसके कारण भी क्वार्टर खाली रहे। के.भ.नि.आ., नई दिल्ली ने सितम्बर 2004 में उत्तर दिया कि क्वार्टरों की बिक्री का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था। मंत्रालय ने नवम्बर 2005 में फिर उत्तर दिया कि जल्द ही लगभग 70 पद भरे जायेंगे और खाली क्वार्टरों की मांग हो जायेगी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 119 क्वार्टरों के निर्माण का निर्णय सितम्बर 1997 में लिया गया था। तब तक मकान किराए भत्ते की गणना मूल वेतन की प्रतिशतता के आधार पर करने के पांचवे वेतन आयोग की विषय सूची में निहित प्रावधान का पता चल चुका था। इस बिंदु पर के.भ.नि.सं. को मकान की मांग पुनरीक्षित की करनी चाहिए थी।

इस प्रकार, के.भ.नि.सं. द्वारा स्टाफ क्वार्टरों के लिए वास्तविक मांग के निर्धारण में सावधानी की कमी का परिणाम 3.08 करोड़ रु. के निष्क्रिय पूंजी निवेश में हुआ।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने इन खाली क्वार्टरों के उपयोग के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। परिणामस्वरूप मई 2000 के बाद से 54 क्वार्टर खाली पड़े हुये हैं।

**अनुबन्ध-क**  
(पैरा 10.1.3 के संदर्भ में)

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	संगठन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पिणियां
<p>पेंशन योग्य वेतन तथा मजदूरी पर वैधीकरण जांच का अभावः प्रणाली में छोड़ने की तिथि को सदस्यों की पेंशन योग्य वेतन तथा मजदूरी दोनों शून्य दिखाई थी (चार मामलों में) यद्यपि पेंशन योग्य सेवा शून्य नहीं थी।</p>	<p>यद्यपि पेंशन योग्य वेतन शून्य दर्शाया गया था, कम्प्यूटर ने पेंशन लागू होने की तिथि के संदर्भ में न्यूनतम पेंशन सही रूप से परिकलित की थी।</p>	<p>प्रोग्राम में सदस्य के पेंशन योग्य वेतन को शून्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए यदि पेंशन योग्य सेवा शून्य से ज्यादा है।</p>
<p>छोड़ने की तिथि पर वैधीकरण का अभावः 11 मामलों में छोड़ने की तिथि को सदस्यों की आयु (अर्थात् योजना से सदस्यता की समाप्ति पर) 58 वर्षों से अधिक थी। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम ने एक मामले में एक सदस्य के छोड़ने की अवैध तिथि 10/23/98 72) स्वीकार की थी।</p>	<p>सदस्यों ने 58 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी और इसके अनुसार पेंशन परिकलित की गयी थी। इसके अतिरिक्त सदस्य की पेंशन उसके छोड़ने की वास्तविक तिथि से अर्थात् अवैध तिथि के बजाय 21.10.1998 के संदर्भ में सही रूप से परिकलित की थी।</p>	<p>कम्प्यूटरीकृत कर्मचारी पेंशन प्रणाली को सदस्य के 58 वर्ष पूरे करने की तिथि या और उसके छोड़ने के बाद की तिथि से जब सदस्य की योजना से सदस्यता समाप्त हो जाती है ऐसी तिथि स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी।</p>

## अध्याय XI : योजना आयोग

### अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान

#### 11.1 ब्याज के भुगतान पर परिहार्य व्यय

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान ने उसे चिरस्थायी पट्टे पर आबंटित भूमि के भूमि किराए के भुगतान में देरी की जिसका परिणाम ब्याज के लिए 19.13 लाख रु. के परिहार्य व्यय में हुआ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (अ.ज.अ.सं.) को उसके परिसर के निर्माण हेतु नरेला में 15.12 एकड़ भूखण्ड आबंटित किया (अगस्त 1994 तथा नवम्बर 1995)। भूखण्ड को चिरस्थायी पट्टे पर कुल 3.02 करोड़ रु. के अधिमूल्य पर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, अ.ज.अ.सं. को कुल अधिमूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से परिकलित 7.56 लाख रु. वार्षिक भूमि किराए का भुगतान करना था। किराया अग्रिम रूप में प्रतिवर्ष जनवरी में देय था।

लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2005) कि दि.वि.प्रा. ने 19.66 लाख रु. भूमि के किराए के बकाया तथा बकाया पर 18.31 लाख रु. ब्याज सहित 37.97 लाख रु. के भुगतान की मांग उठाई थी (दिसम्बर 2003)। अ.ज.अ.सं. ने दि.वि.प्रा. से विलम्बित भुगतान पर ब्याज को माफ करने का आग्रह किया (फरवरी 2004) जिसे दि.वि.प्रा. ने स्वीकार नहीं किया (जुलाई 2004)। दि.वि.प्रा. ने अदेय ब्याज पर 0.82 लाख रु. ब्याज के रूप में (14 सितम्बर 2004 तक) एक ओर मांग उठाई (सितम्बर 2004)। नतीजन, अ.ज.अ.सं. को अदेय ब्याज पर ब्याज सहित भूमि किराए के विलम्बित भुगतान पर अगस्त तथा सितम्बर 2004 में 19.13 लाख रु. ब्याज के रूप में भुगतान करने पड़े।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (मार्च 2005) के प्रत्युत्तर में अ.ज.अ.सं. ने बताया (अप्रैल 2005) कि वित्तीय दबावों तथा ब्याज को माफ करने के निर्णय के मामले को दि.वि.प्रा. के पास प्रेषित करने में कार्यविधिक विलम्ब के कारण विलम्ब हुआ। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भूमि के आबंटन की शर्तों के अनुसार मांग नोटिस की प्रतीक्षा किये बिना भूमि किराये का प्रतिवर्ष अग्रिम भुगतान देय था। अ.ज.अ.सं. की निष्क्रियता के कारण ब्याज प्रभारों के लिए 19.13 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

भा.स. ने दि.वि.प्रा. को दण्डस्वरूप ब्याज के भुगतान को स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2005) कि विलम्ब इस कारण हुआ क्योंकि दि.वि.प्रा. द्वारा नागरिक सुख सुविधाएं जैसे पानी, मल व्यवस्था तथा विद्युत उपलब्ध नहीं करायी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि पट्टे की भूमि पर दि.वि.प्रा. द्वारा भूमि किराए के उद्ग्रहण का नगर प्राधिकरणों द्वारा दी जाने वाली नागरिक सुख-सुविधाओं के प्रावधानों के साथ कोई लेना-देना नहीं है।

अध्याय XII : जहाजरानी मंत्रालय

चेन्नई पत्तन न्यास

12.1 निर्णय लेने में देरी के कारण परिहार्य व्यय

चेन्नई पत्तन की निकर्षण आवश्यकताओं के लिए बाहस्त्रोतों तथा एक निजी निकर्षण स्त्रोत को रखने के बीच निर्णय लेने में विफलता के कारण न्यास द्वारा आदेशित एक निकर्षण पोत की सुपुदर्गी में देरी का परिणाम 2.61 करोड़ रु. के परिहार्य व्यय में हुआ।

चेन्नई पत्तन न्यास ने पत्तन में आवश्यक गहराई को अपने निकर्षण पोत कोलेरून तथा भारतीय निकर्षण निगम (भा.नि.नि.) के निकर्षण पोतों को लगाकर अनुरक्षण किया।

पत्तन निकर्षण पोत कोलेरून ने अपना 20 वर्ष का किफायती समय 1996 में पूरा कर लिया था तथा उसे बदलने की आवश्यकता थी। पत्तन ने कोलेरून को बदलने के लिए एक निकर्षण पोत को क्रय करने का निर्णय लिया (अगस्त 1996)। निविदाएं आमंत्रित करने के बाद पत्तन न्यास ने कोचीन शिपियार्ड लिमिटेड (को.शि.लि.) को 24 महीनों के अन्दर एक निकर्षण पोत की सुपुदर्गी के लिए 52.24 करोड़ रु. लागत का एक कार्य आदेश दिया (नवम्बर 2000)।

इसी दौरान मंत्रालय सचिव (जहाजरानी) द्वारा निकर्षण की उच्च लागत को ध्यान में लाया गया तथा पत्तन न्यास को निर्माण के दौरान निकर्षण पोत को बेचने की सम्भावना तथा इसके बाद उसे पत्तन में निकर्षण के लिए किराये पर लेने की संभावना की जांच करने का सुझाव दिया (सितम्बर 2001)। इस सुझाव पर अमल करते हुए, पत्तन न्यास ने भा.नि.नि. से निकर्षण पोत खरीदने के लिए सम्पर्क किया (जनवरी 2002)। भा.नि.नि. उनके साथ एक लम्बी अवधि के निकर्षण ठेके के कार्यान्वयन (10 से 20 वर्ष) की शर्त पर राजी हुआ। परन्तु मंत्रालय बिना कोई कारण दर्शाए पत्तन के भा.नि.नि. के साथ ऐसी लम्बी अवधि के ठेके के लिए सहमत नहीं था (अप्रैल 2003)। इसके बाद, पत्तन न्यास ने उनके शिपियार्ड से सीधे तौर पर निकर्षण पोत की बिक्री हेतु को.शि.लि. के साथ सम्पर्क किया। तदनुसार, को.शि.लि. ने जून 2003 में कार्यवाही प्रारम्भ की।

को.शि.लि. ने अक्टूबर 2003 में निर्माण (लागत: 56.23 करोड़ रु.) पूरा किया। क्योंकि को.शि.लि. निकर्षण पोत को सीधे तौर पर बेचने की कार्यवाही कर रहा था, पत्तन न्यास ने उन्हें निकर्षण पोत को उनके पास रखने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन मार्च 2004 में, पत्तन न्यास ने को.शि.लि. से कहा कि यदि वह निकट भविष्य में निकर्षण पोत की बिक्री न कर सके तो निकर्षण पोत उन्हें सौंप दिया जाए। इसी दौरान, पत्तन

न्यास ने अक्तूबर 2003 से रखरखाव इत्यादि के प्रभारों के लिए तथा प्रत्याशित खरीदारों के लिए परीक्षण व्यवस्था हेतु को.शि.लि. को 40 लाख रु. के प्रभारों की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया। पत्तन न्यास ने निकर्षण पोत की सुपुर्दगी मई 2004 में प्राप्त की।

इसी दौरान, निकर्षण पोत कोलेरून को अक्तूबर 2002 में बन्द कर दिया था। पत्तन न्यास द्वारा निविदाएं आमंत्रित (फरवरी 2003) करने के बाद योजन तथा वियोजन प्रभारों के लिए 60 लाख रु. के भुगतान के अतिरिक्त डा. अम्बेडकर गोदी बन्दरगाह को गहरा करने (अनुमानित मात्रा 8.67 लाख क्यू.मी.) तथा टर्निंग सर्कल अप्रौच चैनल इत्यादि में निकर्षण (अनुमानित मात्रा 7.15 लाख क्यू.मी.) के रखरखाव का कार्य 84 रु. से 96.50 रु. प्रति क्यू. मी. के बीच की दर पर भा.नि.नि. को सौंप दिया (जून 2003)। भा.नि.नि. ने सितम्बर 2003 में कार्य शुरू किया तथा इसे मार्च 2004 में पूर्ण कर दिया।

2004-05 के दौरान पत्तन न्यास ने अपने नए निकर्षण पोत को लगाया तथा 8.91 लाख क्यू.मी. निकर्षण किया। नये निकर्षण पोत के लिए औसत निकर्षण लागत मूल्यहास को सम्मिलित करके 61.68 रु. प्रति क्यू.मी. परिकलित की।

प्रारम्भ में पत्तन न्यास ने साध्यता अध्ययन में एक नये निकर्षण पोत के अधिग्रहण को सबसे किफ़ायती विकल्प के रूप में सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया (मई 1996)। यहाँ तक कि जनवरी 2002 में प्रस्तावित निकर्षण पोत की क्षमता तथा उपयुक्तता की जांच के लिए गठित समिति ने निष्कर्ष निकाला कि निर्माणाधीन पोत सबसे किफ़ायती था। फिर भी चेन्नई पत्तन न्यास ने निर्माणाधीन निकर्षण पोत को बेचने के लिए मंत्रालय के सुझाव को स्वीकार कर लिया।

दिसम्बर 2003 में जब मंत्रालय ने पत्तन न्यास को तुलनात्मक अध्ययन तैयार करने का सुझाव दिया तो पत्तन न्यास ने अपने पहले अध्ययन के विपरीत बताया कि निजी निकर्षण पोत की बजाए बाह्य स्रोत सस्ता था। यद्यपि, नए निकर्षण पोत की सुपर्दगी प्राप्त करने तथा इसके संचालन के बाद पत्तन न्यास ने मंत्रालय को बताया (अक्तूबर 2004) कि भा.नि.नि. को काम पर रखने के बजाए निकर्षण पोत का संचालन ज्यादा किफ़ायती था। पत्तन द्वारा अपने विचार में इस बदलाव पर मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (अक्तूबर 2005)।

इस प्रकार पत्तन न्यास तथा मंत्रालय द्वारा विचारों में बदलाव निकर्षण विकल्पों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में गंभीर कमियों की ओर इशारा करता है।

पत्तन न्यास ने भा.नि.नि. को जून 2003 में निकर्षण के रखरखाव सहित निकर्षण के कार्य को सौंपते समय अपने निकर्षण पोत की बिक्री के निर्णय के कारण स्पष्टतया नव निर्मित निकर्षण पोत को उपयोग में लाने की संभावनाओं पर विचार नहीं किया था। यदि

पत्तन न्यास द्वारा सितम्बर 2003-मार्च 2004 के दौरान नए निकर्षण पोत को निकर्षण के रखरखाव के लिए प्रयोग किया जाता तो उन्हें भा.नि.नि. को 7.58 करोड़ रु. के भुगतान की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा यह कार्य अनुमानित लागत 4.97 करोड़ रु. में हो जाता तथा इस तरह 2.61 करोड़ रु. की बचत होती।

इस प्रकार एक निकर्षण पोत के निर्माण तथा आपूर्ति का कार्य आदेश देने के बाद पत्तन न्यास तथा मंत्रालय के परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण निकर्षण पोत की सुपुर्दग्धी देरी से हुई जिसके परिणामस्वरूप 2.61 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2005 में प्रेषित किया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2005 तक प्रतीक्षित था।

## 12.2 राजस्व की हानि

संवेदनशील ए.बी.जी. क्रेनों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए गैर-घाट आरक्षण योजना वाले पत्तन उपभोक्ताओं पर उपयुक्त प्रभार उदग्रहीत नहीं करने के चेन्नई पत्तन न्यास के निर्णय का परिणाम मई 2005 तक 1.24 करोड़ रु. की कुल राशि के राजस्व की निरन्तर हानि में हुआ।

जून 1997 और जून 1998 के बीच चेन्नई पत्तन न्यास (चे.प.न्या.) ने आठ वर्षों की अवधि के लिए जहाज को हवा के रुख पर लाने वाले चार 10 टन विद्युत स्तरीय समुद्रतटीय क्रेनें (ए.बी.जी. क्रेनों) किराये पर ली थीं। इन नई क्रेनों के लिए उपयुक्त किराये प्रभारों के निर्धारण लम्बित होने से पत्तन ने इन क्रेनों की आपूर्ति घाट आरक्षण योजना<sup>1</sup> (घा.आ.यो. प्रचालक) के अंतर्गत दो पत्तन उपभोक्ताओं के साथ-साथ इन क्रेनों को दरों के प्रतिमान (द.के.प्र.) में 10 टन क्रेनों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए लागू दरों<sup>2</sup> पर किराया प्रभार वसूल करने पर अन्य उपभोक्ताओं को दी।

पत्तन के मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (मु.यां.इ.) ने नवम्बर 1998 में उपभोक्ताओं से वसूली योग्य किराये के प्रभारों की दरों को निर्धारित करने के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (वि.स. और मु.ले.अ.) को हाल ही में संस्थापित ए.बी.जी. क्रेनों के विवरण प्रस्तुत किये। समुद्रतटीय क्रेनों की संख्या जिनके लिए प्रभार घाट किराये प्रभारों में सम्मिलित थे और आपूर्ति की गई नई क्रेनों के लिए अलग से प्रभार उदग्रहीत करने आदि के सम्बन्ध में 27 महीनों की लम्बी अवधि के विचार विमर्श के पश्चात

<sup>1</sup> घाट आरक्षण योजना के अंतर्गत दो घाट जिनमें से प्रत्येक के साथ एक समुद्रतटीय क्रेन थी, नियमित घाट भाड़े और जलयान से संबंधित अन्य प्रभारों के अतिरिक्त घाट आरक्षण भाड़े की अदायगी, लाइसेंसधारियों के जलयानों द्वारा न घेरे जाने की अवधि में इन घाटों का पत्तन द्वारा उपयोग जैसी विशेष शर्तों पर दो लाइसेंसधारियां के लिए आरक्षित किये गये थे।

<sup>2</sup> मार्च 2000 तक प्रति अर्ध पारी अथवा उसके भाग के लिये न्यूनतम 822.50 रु. सहित 1592.50 रु. प्रति क्रेन प्रति पारी की दर पर तथा उसके बाद अर्ध पारी अथवा उसके भाग के लिये न्यूनतम 1645 रु. सहित 3185 रु. प्रति क्रेन प्रति पारी की दर पर।

मु.यां.इं. ने प्रति अर्ध पारी अथवा उसके भाग के लिए न्यूनतम 7500 रु. सहित 15000 रु. प्रति क्रेन प्रति पारी की दर प्रस्तावित की (मार्च 2001)। वि.स. और मु.ले.अ. ने ए.बी.जी. क्रेनों के लिए उनकी उच्च क्षमता और उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए उच्च दरों के निर्धारण को तर्कसंगत ठहराते हुए सभी उपभोक्ताओं से उनकी संस्थापना की तिथि से विभेदक लागत की वसूली का प्रस्ताव किया (मई 2001)। चे.प.न्या. के अध्यक्ष ने मई 2001 में प्रस्ताव को मंजूरी दी। तथापि नवम्बर 2002 में अध्यक्ष की अध्यक्षता में पत्तन के विभागाध्यक्षों की हुई बैठक में केवल घा.आ.यो. प्रचालकों से बढ़े हुए प्रभारों की वसूली करने का निर्णय लिया था।

चूंकि द.के.प्र. में घाट किराये प्रभार (घा.कि.प्र.) में केवल एक समुद्रतटीय क्रेन के प्रभार शामिल थे, चे.प.न्या. ने ए.बी.जी. क्रेनों को अतिरिक्त क्रेनों के रूप में प्रयोग करने के लिए बढ़ी हुई दरों को अन्य पत्तन उपभोक्ताओं पर भी लागू करना चाहा। अतः नवम्बर 2002 में गैर-घा.आ.यो. प्रचालकों को उगाही की बढ़ी हुई दरों से बाहर रखने का निर्णय न्यायसंगत नहीं था।

चे.प.न्या. द्वारा ए.बी.जी. क्रेनों की अतिरिक्त आपूर्ति पर गैर-घा.आ.यो.प्रचालकों को बढ़े हुए प्रभारों के क्षेत्र से बाहर रखने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण निरन्तर आधार पर राजस्व की हानि हुई जो मई 2005 तक 1.24 करोड़ रु. संचित हुई। इसके अतिरिक्त जून 1997 से सितम्बर 2001 की अवधि से सम्बन्धित विभेदक प्रभारों के प्रति घा.आ.यो. प्रचालकों पर 77.76 लाख रु. की मांग की वसूली अभी तक नहीं हुई थी (नवम्बर 2005)।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2005) निम्नलिखित आधार पर गैर-घा.आ.यो. प्रचालकों से ए.बी.जी. क्रेनों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए प्रभारों की गैर उगाही को न्यायसंगत बताया:

(i) अक्टूबर 2002 में द.के.प्र. के सामान्य संशोधन तक, क्रेनों की संख्या जिसके लिए प्रभार, घाट किराया प्रभारों में शामिल थे का उल्लेख द.के.प्र. में विशेष रूप से नहीं किया गया था। अतः क्रेनों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए प्रभारों को उद्ग्रहीत करने की आवश्यकता नहीं थी। आगे पत्तन द्वारा विभेदक किराया प्रभार वसूल करने के प्रारंभिक प्रस्ताव पर पत्तन के उपभोक्ताओं द्वारा आपत्ति इस आधार पर उठाई गई थी कि द.के.प्र. में विभेदक लागत को वसूलने का कोई प्रावधान नहीं था।

(ii) महापत्तन शुल्क प्राधिकरण (म.प.शु.प्रा.) द्वारा अपनाए गए समग्र लागतोपरि दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शुल्क मदें वार्तव में लागत आधारित नहीं हो सकती।

(iii) जब भी नये उपकरण खरीदे अथवा किराये पर लिए गए तब नई दरों का निर्धारण द.के.प्र. को अस्थिर करेगा और उच्च शुल्क के कारण उपकरणों के समूह में जोड़े गए नवीनतम उपकरण के कम उपयोग का कारण बनेगा। आगे म.प.शु.प्रा. की टिप्पणी के अनुसार समान सेवाओं के लिए एक ही शुल्क होना चाहिए।

(iv) नये उपकरण की पूंजीगत लागत की गैर-वसूली, अधिप्राप्ति की तिथि तथा शुल्कों के अगले सामान्य संशोधन के बीच सीमित एक अल्पावधि घटना होगी। मार्च 2000 और अक्तूबर 2002 में शुल्क के संशोधन के लिए दो सामान्य पुनरावलोकन प्रस्तावों में ए.बी.जी. क्रेनों के लिए वसूली योग्य किराये का ध्यान रखा होगा।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था:

(क) मंत्रालय ने उन क्रेनों जिनके प्रभार, घाट किराया प्रभारों में शामिल थे की संख्या को दर्शाते हुए इस तथ्य को ध्यान में नहीं लिया कि केवल एक समुद्रतटीय क्रेन का प्रयोग किया गया था। आगे पत्तन ने अक्तूबर 2002 में द.के.प्र. में संशोधन के दौरान म.प.शु.प्रा. को स्पष्ट कर दिया था कि घाट के संयुक्त किराया प्रभारों में केवल एक क्रेन के लिए प्रभारों को शामिल किया गया था। पत्तन न्यास ने इन क्रेनों के लिए उपयुक्त किराया प्रभारों के लम्बित निर्धारण तक इन क्रेनों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए 10 टन क्रेनों पर लागू दरों से प्रभार भी वसूल किये।

आगे, द.के.प्र. में विशिष्ट प्रावधान था (अक्तूबर 2002 तक) कि जब भी पत्तन उपभोक्ताओं को किराये की क्रेन उपलब्ध कराई जायेगी, पत्तन द्वारा वहन किये गये वास्तविक प्रभारों की वसूली उनसे की जायगी। अतः मंत्रालय का उत्तर कि द.के.प्र. में कोई प्रावधान नहीं था तर्कसंगत नहीं था।

(ख) जब भी एक नई मशीनरी खरीदी जायेगी उस की उपयुक्त दर निर्धारित करने के लिए पत्तन की नियम पुस्तिका में एक विशिष्ट प्रावधान था। उच्च क्षमता और उत्पादकता सहित ए.बी.जी. क्रेनें अधिक संवेदनशील थीं और 2 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी सहित 4.66 करोड़ रु. प्रति वर्ष की एक भारी लागत पर किराये पर ली गई थीं। जब प्रदान की गई सेवा में परिवर्तन हुआ हो अथवा एक भारी लागत पर एक नई सुविधा का सृजन हुआ हो तो म.प.शु.प्रा. ने एक पृथक दर का सुझाव भी दिया था (फरवरी 2001)। अतः उच्च दर निर्धारित करने का औचित्य था और पत्तन न्यास ने भी आरम्भ में पत्तन की नियम पुस्तिका और द.के.प. के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया था।

(ग) मंत्रालय का अभिमत घा.आ.यो. प्रचालकों पर भी लागू होगा परन्तु पत्तन न्यास ने उनके लिए दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया।

अतः एक बड़ी लागत पर संवेदनशील ए.बी.जी. क्रेनों के संस्थापन और अतिरिक्त आपूर्ति पर बढ़ी हुई दरों की उगाही से गैर-घा.आ.यो. प्रचालकों को बाहर रखने को न्यायसंगत ठहराने वाला मंत्रालय का उत्तर न्यायसंगत नहीं था और पत्तन के वित्तीय हित में नहीं था।

### 12.3 पत्तन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से निर्मित भवनों में खाली इकाईयाँ

पत्तन न्यास ने कार्यालय स्थल के आबंटन के लिए अयथार्थवादी उच्च आधार किराया नियत किया और अन्य प्रतिबन्धक शर्तों को लागू किया जिसका परिणाम 1.19 करोड़ रु. के राजस्व की हानि में हुआ।

कन्टेनर टर्मिनल के समीप आवास के प्रावधानों के लिए पत्तन उपभोक्ताओं से मांग की पूर्ति के लिए चेन्नई पत्तन न्यास के न्यासियों के बोर्ड (बोर्ड) ने 4.84 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर तहखाना, भूमितल, पांच उच्च तलों को समाविष्ट करते हुए लगभग 4200 वर्ग मी. के कुल निर्मित क्षेत्र के एक कार्यालय परिसर के निर्माण को अनुमोदित किया (अप्रैल 1996)। निर्माण 4.53 करोड़ रु. की लागत पर नवम्बर 2000 में पूर्ण हुआ। कार पार्किंग के लिए निर्मित तहखाने को समाविष्ट करते हुए कुल निर्मित क्षेत्र 4512.91 वर्ग मी. था।

पत्तन न्यास ने (क) 2 प्रतिशत मूल्यहास (ख) 5 प्रतिशत रखरखाव (ग) 20 प्रतिशत भवन की अनुमानित लागत पर वापसी तथा ब्याज (घ) उपरोक्त तत्वों पर 30 प्रतिशत कर की गणना करने के उपरान्त भवन का मासिक किराया मूल्य 377 रु. प्रति वर्ग मीटर परिकलित किया था (जनवरी 2001)। यद्यपि क्षेत्र में बाजार किराया 130 रु. तथा 215 रु. प्रति व.मी. की सीमा के बीच था, पत्तन न्यास ने आबंटन के लिए उपरोक्त मूल किराया लागू करने का निर्णय इस आधार पर लिया (अप्रैल 2001) कि कार्यालय परिसर पर्याप्त सुविधाओं सहित हाल ही में निर्मित किया गया था।

पत्तन न्यास ने न्यूनतम आरक्षित किराया नियत करने में विलम्ब के कारण भवन के निर्माण के सात महीनों के उपरान्त केवल जुलाई 2001 में कार्यालय स्थल के आबंटन के लिए निविदा आमंत्रित की। इकाईयों के आबंटन (प्रत्येक तल दो इकाईयों में विभाजित किया गया था) के लिए पट्टावधि तीन वर्ष थी और बोर्ड के विवेक पर विस्तरणीय थी।

निविदा की अन्य शर्तों में (i) अप्रतिदेय प्रीमियम के रूप में एक वर्ष के पट्टा किराए का भुगतान तथा प्रतिभूति जमा के रूप में एक वर्ष का पट्टा किराया (ii) लाइसेंस शुल्क की दर में 10 प्रतिशत वार्षिक की (संयोजित) बढ़ोतरी, (iii) भवन के चारों तरफ आनुपातिक सामान्य खुले क्षेत्र के लिए 38 रु. प्रति व.मी. पर अतिरिक्त उगाही, (iv) तहखाने में कार पार्किंग के लिए उसी दर पर जो आबंटित कार्यालय स्थल के लिए

लागू है पृथक लाइसेंस शुल्क समाविष्ट है। 16 बेचे गए निविदा अभिलेखों के प्रति चतुर्थ तल पर केवल एक इकाई के लिए एक प्रस्ताव (390 रु. प्रति व.मी. प्रतिमाह) प्राप्त हुआ था।

पत्तन न्यास ने फर्म को प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए चतुर्थ तल पर एक इकाई आबंटित की (नवम्बर 2001)। आगे पत्तन न्यास ने फर्म के अनुरोध पर उसे समान दर पर चतुर्थ तल पर दूसरी इकाई भी आबंटित की (दिसम्बर 2001)। तथापि लाइसेंसधारी ने दोनों इकाईयों को नवम्बर 2004 में खाली कर दिया।

पत्तन न्यास ने बाकी तलों की जगह को 41 इकाईयों में पुनर्विभाजित किया और समान शर्तों पर फरवरी 2002 में दूसरी निविदा आमंत्रित की। यद्यपि 20 निविदा अभिलेखों की बिक्री हुई लेकिन कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

पत्तन न्यास ने न्यूनतम आरक्षित किराए का उल्लेख किए बिना अप्रैल 2002 में तीसरी निविदा आमंत्रित की। पूर्व निविदा की अन्य समस्त शर्तें समान रही। 17 इकाईयों को प्रस्ताव के आधार पर द्वितीय तथा तृतीय तलों पर समस्त इकाईयां 215 रु. प्रति व.मी. की दर से आबंटित की गई (जून 2002)। 200 रु. न्यूनतम किराया निर्धारित करके चौथी निविदा (जुलाई 2002) की कोई प्रतिक्रिया प्रकाश में नहीं आई।

पत्तन न्यास ने अपनी पांचवीं निविदा (जुलाई 2003) में लाइसेंस शुल्क में वार्षिक बढ़ोतारी की दर को 5 प्रतिशत तक (संयोजित) कम करने के अतिरिक्त कार पार्किंग के लिए दर को 60 रु. प्रति व.मी. प्रतिमाह तक कम किया। खुले क्षेत्र के लिए अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के भुगतान की निविदा शर्त भी वापस ले ली गयी थी। आगे, पट्टा अवधि दस वर्ष नियत की गई थी लेकिन बोलीकर्ता को समस्त तल के लिए दर को उद्धृत करना था। इस निविदा के लिए भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। दिसम्बर 2003 में द्वितीय तथा तृतीय तलों के आबंटियों ने परिसर खाली कर दिया।

कार्यालय परिसर के अभी तक निविदाकृत किए गए किराया योग्य क्षेत्र में सामान्य क्षेत्रों का आनुपातिक भाग जैसे गलियारा/प्रतीक्षा कक्ष, सीढ़ी, लिफ्ट तथा प्रसाधन समाविष्ट थे। पत्तन न्यास ने बारंबार कम प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर के.लो.नि.वि. नियम पुस्तक के अनुसार, सामान्य आच्छादित क्षेत्र को असमाविष्ट करके किराया योग्य क्षेत्र पुनः परिकलित किया (अप्रैल 2004)। इस प्रकार पूर्व निविदाकृत किया गया 3662 व.मी. क्षेत्र (भूमि तल तथा चतुर्थ तल के अलावा अन्य तल) कम होकर 2079 व.मी. हो गया था।

पत्तन न्यास ने संशोधित क्षेत्र को अपनाते हुए तथा प्रत्येक तल को चार से छः इकाईयों में पुनर्विभाजित करते हुए अप्रैल 2004 में छठी निविदा आमंत्रित की जिसमें अप्रतिदेय प्रीमियम की शर्त वापस ले ली गयी थीं। लाइसेंस शुल्क, प्रत्येक पांच वर्ष के उपरान्त

30 प्रतिशत की वृद्धि सहित 1 रु. प्रति व.मी. प्रति वर्ष नियत किया गया था। दस वर्षों के लिए आरक्षित प्रारम्भिक प्रीमियम 6 प्रतिशत गुणक छूट की अनुमति प्रदान करने के उपरान्त 2 प्रतिशत की वाष्पिक वृद्धि सहित 130 रु. प्रति व.मी. (तहखाने के लिए 60 रु. प्रति व.मी.) की दर के आधार पर नियत किया गया था। दस वर्षों के लिए प्रारम्भिक प्रीमियम आंबटन की तिथि से एक माह के अन्दर भुगतान किया जाना था। प्रस्तावों के आधार पर द्वितीय, तृतीय तलों की समस्त इकाईयों तथा पूरे तहखाने का अगस्त 2004 से 10 वर्षों के लिए आंबटन किया गया था।

इसके उपरान्त जुलाई 2004 तथा अक्टूबर 2004 में दो निविदाएं (सातवीं तथा आठवीं) समान शर्तों पर आमंत्रित की गयी थीं। पत्तन न्यास ने इन दो निविदाओं के आधार पर अक्टूबर 2004 से प्रथम तल पर एक इकाई एवं पंचम तल पर समस्त इकाईयाँ और दिसम्बर 2004 से चतुर्थ तल पर समस्त इकाईयाँ आंबटित की। छः से आठ निविदाओं के अंतर्गत कार्यालय स्थल के आंबटन 132 रु. तथा 141 रु. प्रति व.मी. के बीच प्रारम्भिक प्रीमियम के आधार पर किए गए थे। मई 2005 तक प्रथम तल की चार इकाईयाँ तथा समस्त भूमि तल खाली रहा।

उपरोक्त घटना की श्रृंखला दर्शाती करती है कि भवन के लिए वास्तविक मासिक किराया 2001 में लगभग 130 रु. प्रति व.मी. था। पत्तन न्यास ने भवन से होने वाले किराए की प्रत्याशा में इस तथ्य की अनदेखी की कि इसका निर्धारण तथा निवेश की वापसी मूल्यहास आदि पर आधारित परिकलन न हो कर इसके निवेश पर किराये की प्रचलित बाजार दर होगी। लेकिन पत्तन न्यास ने उच्चतर स्तर पर न्यूनतम आरक्षित किराया निर्धारित करने के अलावा प्रथम चार निविदाओं में लिए अतिरिक्त शर्त अर्थात् लम्बी पट्टा अवधि के कोई वचनबद्धता किए बिना अप्रतिदेय प्रीमियम का भुगतान, खुली जगह के लिए अतिरिक्त उदग्रहण आदि लागू की। पांचवीं निविदा तक किराया योग्य क्षेत्र में सामान्य आच्छादित क्षेत्र का आनुपातिक भाग समाविष्ट था।

यदि पत्तन न्यास ने बाजार वास्तविकताओं के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाया होता तो नवम्बर 2000 से मई 2005 के दौरान खाली रहे क्षेत्र के कारण 1.19 करोड़ रु. (130 रु. प्रति व.मी. पर परिकलित) के राजस्व की हानि से बचा जा सकता था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2005) कि पत्तन न्यास ने प्रारंभ में निवेश पर वापसी के सिद्धान्त पर आधारित आरक्षित मूल्य निर्धारित किया तथा जब उस विकल्प से कोई मनोवांछित परिणाम नहीं निकला तब पत्तन की दरों के पैमाने और बाजार दर के आधार पर आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के अगले विकल्प का अनुसरण किया गया। मंत्रालय ने आगे बताया कि आरक्षित मूल्य 130 रु. प्रति व.मी. तक कम करने के बावजूद कुछ इकाईयाँ खाली रहीं।

मंत्रालय के उत्तर पत्तन की कार्खाई के लिए स्वीकार्य औचित्य नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाजार वास्तविकताओं की अनदेखी की। इसके अतिरिक्त प्रतिबन्धक शर्तों के वित्तीय प्रभाव का परिमाण नहीं लगाया गया था और आधार किरायों को निर्धारित करते समय उन्हें ध्यान में नहीं रखा गया था।

### कोचीन पत्तन न्यास

#### 12.4 एक निजी कम्पनी को अनुचित लाभ

कोचीन पत्तन न्यास ने पट्टे की भूमि के आबंटन की शर्तों में अनुबंध के अनुसार प्रीमियम राशि के प्रेषण में विलम्ब के कारण 31.96 लाख रु. का दांडिक ब्याज उद्ग्रहीत नहीं करके एक निजी कम्पनी को अदेय लाभ प्रदान किया।

कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) ने एक टैंक फार्म के निर्माण के लिए कोंकण स्टोरेज सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (फर्म) को पट्टे पर वाणिज्यिक श्रेणी में लगभग 4.79 एकड़ भूमि 71.85 लाख रु. के प्रीमियम पर आबंटित की (जून 2000)। पट्टे की अवधि 4.13 लाख रु. प्रति एकड़ के वार्षिक किराए पर 30 वर्षों की थी। आबंटन की शर्तों में अनुबंध था कि फर्म को आबंटन आदेश की तारीख से 15 दिनों के अन्दर भूमि को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए ऐसा ना होने पर आबंटन आदेश के 16वें दिन से किराया प्रोद्भूत होगा। फर्म से एक वर्ष के पट्टा किराया (19.90 लाख रु.) के बराबर प्रतिभूति जमा, प्रीमियम राशि (71.85 लाख रु.) और अर्ध वार्षिक किराया (9.90 लाख रु.) अग्रिम रूप में प्रेषित करना अपेक्षित था। फर्म ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और जुलाई 2000 में 19.80 लाख रु. की प्रतिभूति जमा और 9.90 लाख रु. की अग्रिम अर्धवार्षिक किश्त को प्रेषित किया। तथापि जैसा कि आबंटन आदेश में अपेक्षित था प्रीमियम राशि को अग्रिम में प्रेषित नहीं किया गया। अपितु इसे मार्च 2001 से नवम्बर 2002 के बीच चार किश्तों में प्रेषित किया गया था।

को.प.न्या. को देय भुगतान में विलम्ब होने की अवस्था में आबंटन आदेश के खण्ड 21 के अनुसार 24 प्रतिशत वार्षिक दर पर दण्डस्वरूप ब्याज उद्ग्रहण करने का प्रावधान था। लेकिन आबंटन की शर्तों के अनुसार प्रीमियम राशि को विलम्ब से प्रेषित करने के लिए फर्म पर कोई दण्डस्वरूप ब्याज उद्ग्राह्य नहीं किया गया था। विलम्ब के लिए 31.96 लाख रु. का दण्डस्वरूप ब्याज परिकलित किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में (अप्रैल 2003) को.प.न्या. ने प्रारम्भ में दण्डस्वरूप ब्याज की वसूली न करने का समर्थन किया तथा तर्क दिया कि प्रीमियम राशि के प्रेषण के लिए फर्म के समय को बढ़ा दिया था क्योंकि उस समय वे नकदी संकट का सामना कर रहे थे और सख्त कार्यवाही करने के परिणाम में निवेशक मुकर सकते थे। यह भी बताया गया था कि आदेश का खण्ड 21 केवल देयताओं पर लागू होता था न कि भुगतान पर, जो भूमि को अधिकार में लेने के लिए पूर्व शर्त थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि आबंटन के लिए प्रीमियम का अग्रिम प्रेषण पूर्व अपेक्षित था और जब बोली लगाने वाले ने आबंटन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो पत्तन न्यास को प्रीमियम देय हो गया। को.प.न्या. ने जून 2003 में मामले को न्यासी के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया तथा बोर्ड ने मामले को उपसमिति को भेज दिया। समिति का अंतिम निर्णय प्रतीक्षित था (सितम्बर 2005)।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2005 तक प्रतीक्षित था।

### कोलकाता पत्तन न्यास

#### 12.5 निवेश पर परिहार्य हानि

कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा सरकार के निदेशों का उल्लंघन करके यू.एस.-64 योजना में निवेश के साथ-साथ इकाईयों को पुनः प्राप्त करने में समय पर कार्रवाई में असफलता का परिणाम 8.07 करोड़ रु. की परिहार्य पूंजीगत हानि में हुआ।

दिसम्बर 1994 में भारत सरकार ने सा.क्षे.उ. उपक्रमों तथा पत्तन न्यासों के पास पड़े भविष्य निधि (भ.नि.) के शेषों को ऐसे इक्विटी आधारित म्यूचअल फंडों में निवेश पर स्पष्ट रोक लगाई थी जिसमें स्टेबाजी तथा जोखिम के तत्व हैं। परन्तु कोलकाता पत्तन न्यास (पत्तन न्यास) के भ.नि. के न्यासियों ने (अंशदायी/गैर-अंशदायी), जिन्होंने पहले ही जनवरी/जुलाई 1994 में भारतीय यूनिट फ्रेस्ट (भा.यू.ट्र.) की यू.एस.-64 योजना (योजना) की 57.33 लाख इकाईयों में 9.83 करोड़ रु. निवेशित किए थे, जुलाई 1995 तथा अगस्त 1995 के बीच 48.83 लाख इकाईयों में 7.60 करोड़ रु की अतिरिक्त राशि निवेश की। उसने अगले चार वर्षों के दौरान योजना की 35.60 लाख इकाईयों में लाभांश तथा बोनस की 4.82 करोड़ रु की राशि को भी पुनः निवेशित किया। योजना में जुलाई 2000 में 1.42 करोड़ इकाईयों में कुल निवेश की गई राशि 22.25 करोड़ रु थी।

जहाजरानी मंत्रालय ने काफी समय बाद दिसम्बर 2002 में स्पष्ट किया कि पत्तन न्यासों द्वारा वापसी की दर, जोखिम घटकों इत्यादि सहित सभी सम्बन्धित घटकों पर विचार करने के बाद उन्हें भा.यू.ट्र. में निवेश की अनुमति प्रदान की गई थी।

इसी बीच, भा.यू.ट्र. ने जुलाई 1998 में घोषणा की कि योजना के संचय 1098 करोड़ रु. तक ऋणात्मक हो चुके थे। यह जून 1999 में समाप्त राजकोषीय वर्ष के पहले छः महीनों में 1500 करोड़ रु की राशि के यू.एस.-64 की इकाईयों के प्रतिदान के बाद हुआ। इन प्रगतियों के बावजूद पत्तन न्यास ने योजना में अपने निवेश को बनाए रखा। जुलाई 2000 में 13.75 प्रतिशत लाभांश घोषित किया गया, जो जुलाई 2001 में घट कर 10 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, भा.यू.ट्र. ने उनकी यू.एस.-64 इकाईयों की

बिक्री तथा पुनः खरीद को स्थगित कर दिया। इसके बाद भा.यू.ट्र. द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1999 तथा 2000 के दौरान, पत्तन न्यास ने इनके भ.नि. शेष को दूसरी जमाओं तथा बंधक पत्रों में निवेश किया था तथा क्रमशः 14 प्रतिशत तथा 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अर्जित किया। फिर भी पत्तन न्यास ने योजना में इनके शेषों को ऐसी जमाओं अथवा निधियों में लगाने पर विचार नहीं किया जबकि वापसियों पर गिरावट की प्रवृत्ति तथा इनके रिजर्व में महत्वपूर्ण कटाव हो रहा था। मार्च 2003 में, भा.यू.ट्र. ने पत्तन न्यास को सूचित किया कि उन्होंने जून 2003 से योजना को समाप्त करने का निर्णय ले लिया था। नतीजन, पत्तन न्यास ने विचार किया (अप्रैल 2003) कि सभी प्राप्तियों को स्थायी ब्याज की उच्च दरों पर चिन्हित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना वित्तीय रूप से लाभदायक होगा तथा योजना की सभी 1.42 करोड़ इकाईयों को निवेश की कुल लागत 22.25 करोड़ रु. के विपरीत 14.18 करोड़ रु में छुड़ा लिया (मई 2003)। इसका परिणाम 8.07 करोड़ रु की पूंजीगत हानि में हुआ।

अतः पत्तन न्यास की एक ऐसी योजना जिसमें सट्टेबाजी तथा जोखिम के तत्व हैं, में निवेश का निर्णय जो सरकार के वर्तमान निदेशों का उल्लंघन था, के साथ ही पत्तन के इकाईयों को छुड़ाने में समय पर कार्रवाई में असफलता का परिणाम 8.07 करोड़ रु की परिहार्य हानि में हुआ।

पत्तन न्यास ने अगस्त 2005 में बताया कि भ.नि. के न्यासियों ने जुलाई 2001 में यू.एस.-64 योजना के सम्बन्ध में लाभांश की दरों में गिरावट की आंशका नहीं की थी। मंत्रालय ने भी अक्टूबर 2005 में पत्तन न्यास के विचारों का समर्थन किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न्यासियों ने भा.यू.ट्र. की जुलाई 1998 की इस घोषणा को अनदेखा कर दिया था कि इस योजना के संचय ऋणात्मक हो गये थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पत्तन न्यास के उत्तर को सत्यापित करने के प्रयास में भविष्य निधि के न्यासियों की बैठक का विवरण मांगा जिसमें योजना को बन्द करने से पहले योजना पर घटती वापसी के सम्बन्ध में मामलों पर विचार किया गया था।

ये अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे तथा पत्तन न्यास ने बताया कि न्यासियों ने निवेश के मामले में नियमित आधार पर बैठकें नहीं की थी। इसलिए, इस निर्णय का कोई भी साक्ष्य नहीं था कि घटती वापसियों तथा क्षीण रिजर्व होने के बावजूद यू.एस.-64 इकाईयों को रखने के न्यास के निर्णय पर विचार किया गया था। यह न्यास के वित्तीय प्रबन्धन में गंभीर अपर्याप्तता को उजागर करता है।

**नौसैनिक अभियान्त्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता**

### 12.6 आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ

क्रय आदेश की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक उपकरण के लिए जो कि अस्थापित रहा, को भुगतान जारी करके एक आपूर्तिकर्ता को अदेय लाभ के परिणामस्वरूप **59.78 लाख रु.** का निष्फल व्यय हुआ जिससे खरीद का मुख्य उद्देश्य निष्फल हुआ।

जहाजरानी मंत्रालय ने नौसैनिक अभियान्त्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता (नौ.अ.अ.सं.) को अगस्त 1998 में अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय संस्था द्वारा "निर्धारित प्रशिक्षण तथा प्रमाणीकरण के मानक एवं समुद्र यात्रियों की देखरेख" के अनुरूप इसकी प्रशिक्षण सुविधाओं को अद्यतन करने के लिए उपसाधनों सहित पुराने नौसैनिक नोदन इंजिन को क्रय तथा संस्थापित करने के लिए 60 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2001)। इंजन की आपूर्ति तथा संस्थापन के लिए क्रय आदेश मार्च 2001 में इंजन की आपूर्ति तथा संस्थापन के लिए किसी समय सारणी को विर्निदिष्ट किए बिना 58.35 लाख रु. की लागत पर मैसर्स मैरीटाईम इंजिनियर्स (आपूर्तिकर्ता) को दिया गया था।

क्रय आदेश में साफतौर पर यह दर्शाया गया था कि कोई मद अप्रयोज्य, क्षतिग्रस्त अथवा विशेष विवरण के समरूप न होने पर सरसरी तौर पर आपूर्तिकर्ता की लागत पर अस्वीकार कर दी जाएगी तथा भुगतान इंजन के परिवहन, फलीभूत संस्थान तथा संतोषजनक चालू करने के साथ-साथ परीक्षण के पश्चात जारी किया जाएगा। अगस्त 2001 में आपूर्तिकर्ता द्वारा परिवहन के दौरान, इंजन संस्थान के परिसर में गिर गया। उसके बाद, दुर्घटना के कारण क्षति होने से मशीन को जून 2005 तक संस्थापित तथा चालू नहीं किया जा सका। इंजन को पूर्ण रूप से खोलने तथा उसकी आंतरिक कमियों में सुधार के लिए पूरी मरम्मत की आवश्यकता थी। लेकिन संस्थान ने आपूर्तिकर्ता को जुलाई 2001 तथा 2002 के बीच बिक्री कर सहित 59.78 लाख रु. का समस्त भुगतान कर दिया जबकि क्रय आदेश में इंजन के सफलता पूर्वक संस्थापन तथा संतोषजनक चालू करने के साथ-साथ परीक्षण की शर्तों को पूरा नहीं किया था।

संस्थान ने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2005) कि इंजन की पूरी मरम्मत लगभग पूर्ण हो चुकी थी तथा इंजन को परीक्षण से सम्बन्धित गतिविधियों को पूरा करने के पश्चात ही भंडार में लिया जाएगा।

उत्तर में क्रय आदेश में दर्शायी गई शर्तों का उल्लंघन करके समस्त भुगतान जारी करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया। पिछले चार वर्षों से इंजन के असंस्थापन ने इसके क्रय के उद्देश्य जिसमें संस्थान के सैन्य छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था को निष्फल कर दिया। अतः संस्थान द्वारा 59.78 लाख रु. का निष्फल व्यय वहन किया गया।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2005 में प्रेषित कर दिया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2005 तक प्रतीक्षित था।

### मोरमुगाव पत्तन न्यास

#### 12.7 निष्कल निवेश

पत्तन न्यास के बिना किसी विशिष्ट उपयोगिता योजना के 2.46 करोड़ रु. में 20,500 वर्ग मीटर भूमि को खरीदने का परिणाम खरीद के छः वर्ष बाद भी भूमि खाली पड़ी रहने में हुआ।

मोरमुगाव पत्तन न्यास (पत्तन न्यास) ने भविष्य की पत्तन विकास कार्यों तथा अन्य उपयोगी सेवाओं के लिए वास्को योजना एवं विकास प्राधिकरण (वा.यो.वि.प्रा.) द्वारा प्रस्तावित 20,500 वर्ग मीटर भूमि को 2.46 करोड़ रु की कुल लागत पर खरीदने का प्रस्ताव किया (जून 1998)। भारत सरकार ने अगस्त 1998 में प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से मंजूरी इस शर्त पर दी थी कि व्यय पत्तन द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से वहन किया जाएगा। तदनुसार पत्तन न्यास ने वा.यो.वि.प्रा. से भूमि को 2.46 करोड़ रु में खरीदा तथा एक हस्तांतरण करार को कार्यान्वित किया (मई 1999)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मंत्रालय ने पत्तन को सलाह दी (अगस्त 1999) कि उक्त भूमि के उपयोग के लिए योजना को प्रेषित करें और अतिक्रमण को रोकने के उपाय करें। यद्यपि, पत्तन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 1999) कि भूमि को कन्टेनर फ्राइट स्टेशन के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है परन्तु भूमि वास्तव में अप्रभोज्य पड़ी रही (जून 2005)।

इसके अतिरिक्त, हस्तांतरण करार में प्रावधानों के बावजूद कि समस्त खरीद के मूल्य के भुगतान करने पर बिक्री विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत किए जाएंगे, पत्तन ने भूमि का पंजीकरण अपने नाम से पूर्ण नहीं करवाया था (जून 2005)।

पत्तन ने उत्तर दिया (मार्च 2005) कि यद्यपि अनेक कम्पनियों ने उपरोक्त भूमि में बल्क क्लीन कार्गो के भण्डारण में दिलचस्पी दिखाई थी, केवल एक कम्पनी उपयोगिता योजना के साथ आगे आई थी। पत्तन ने आगे बताया कि भूमि के रा.रा. 17-के समीपवर्ती होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति है तथा पत्तन क्षेत्र में भूमि की कमी को देखते हुए पत्तन के लिए एक परिसम्पत्ति है। बिक्री विलेख के सम्बन्ध में वा.यो.वि.प्रा. से फरवरी 2005 में उसे कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया था।

उत्तर दर्शाता था कि मो.प.न्या. के पास पत्तन सेवाओं के लिए भूमि का प्रयोग करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं थी और इसके बदले में वे निजी पार्टियों का प्रस्तावों के साथ आने का इन्तजार कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, पत्तन द्वारा इस भूमि के अधिग्रहण

पर खर्च की गई निधियों को भूमि में निष्क्रिय निवेश करने के बजाय, जोकि किसी स्थिति में पत्तन का मुख्य व्यवसाय नहीं था, उत्पादकता राजस्व प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2005 तक प्रतीक्षित था।

### मुंबई पत्तन न्यास

#### 12.8 परिहार्य व्यय

ठेकेदार द्वारा एक निकर्षण पोत के पुनर्निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा न करने को पंचाट के ध्यान में लाने में पत्तन की विफलता के कारण 41 लाख रु. के सीमा शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में परिहार्य भुगतान किया गया। बाद में लेखापरीक्षा के उल्लेख करने पर ठेकेदार से 47.06 लाख रु. की राशि (6.06 लाख रु. के ब्याज सहित) की वसूली की गई।

मुंबई पत्तन न्यास (पत्तन न्यास) ने 2000-01 तथा 2001-02 दो वर्षों के लिए पोत के रखरखाव को कार्यान्वित करने हेतु एक विदेशी ठेकेदार को लगाया (नवम्बर 2000)। ठेके की साधारण शर्त के खंड 70.2 में प्रावधान था कि यदि निविदाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 30 दिन पहले की तिथि तक विधि -निर्माण में परिवर्तन के कारण ठेकेदार की लागत में कोई वृद्धि या कमी हुई हो तो उसे ठेके की कीमत में जोड़ या कम कर देना चाहिए। विशेष विनियोगों की शर्तों में खण्ड 54.13 तथा 73.1 (क) में ठेकेदार को कार्य के निष्पादन से अथवा सामग्री तथा उपकरण की आपूर्ति से सम्बन्धित अथवा उत्पन्न समय-समय पर लागू सभी करों, शुल्कों तथा अन्य प्रभारों के भुगतान की जिम्मेदारी को आदेशित किया गया।

ठेकेदार ने न्यास पर निकर्षण में प्रयोग के लिए दो निकर्षण पोतों का आयात किया (नवम्बर 2000)। निविदाओं को प्रस्तुत करने के समय (जून 2000) तथा ठेके के प्रथम वर्ष में निकर्षण पोतों के आयात के समय निकर्षण पोत के आयात पर सीमा शुल्क से छूट दी गई थी। यद्यपि, छूट को वापिस ले लिया गया था तथा मार्च 2001 से पांच प्रतिशत कर भुगतान योग्य हो गया था। नतीजन, ठेकेदार ने ठेके के दूसरे वर्ष के लिए दो निकर्षण पोतों का आयात (सितम्बर 2001) करते समय कुल 6.88 करोड़ रु. सीमा शुल्क का भुगतान किया था। ठेकेदार ने विधि-निर्माण में परिवर्तन के कारण उठाई गई प्रभावित अतिरिक्त लागत की शर्त के संदर्भ में पत्तन से शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा किया। पत्तन द्वारा दावा नामंजूर किया गया था तथा मामले को पंचाट को प्रेषित कर दिया गया था (अक्टूबर 2001)।

ठेकेदार द्वारा पत्तन का ठेका पूर्ण करने के बाद दोनों निकर्षण पोतों का पुनर्निर्यात किया था (दिसम्बर 2001)। पुनर्निर्यात के आयात के छः माह के अन्दर होने के कारण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत ठेकेदार को भुगतान किए गए सीमा शुल्क पर 85

प्रतिशत दर पर 5.85 करोड़ रु. की सीमा शुल्क वापसी की पात्रता थी। तथापि ठेकेदार ने एक निकर्षण पोत पर 5.44 करोड़ रु. के शुल्क वापसी का दावा किया। दूसरे निकर्षण पोत पर शुल्क वापसी का दावा नहीं किया था क्योंकि ठेकेदार का दावा नहीं किये गये शुल्क वापसी के आधार पर दूसरे निकर्षण पोत को अन्य कार्य के लिए बिना शुल्क भुगतान किए दोबारा आयात करने का इरादा था।

बाद में पंचाट के निर्णय (जनवरी 2003) में ठेकेदार के प्रतिपूर्ति के दावे को कायम रखा तथा न्यास को 5.44 करोड़ रु. की शुल्क वापसी का समायोजन करने के बाद निर्णय की तिथि से भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज सहित 6.88 करोड़ रु. शुल्क की प्रतिपूर्ति करने को कहा था।

यद्यपि, पत्तन मामले का सत्यापन करने में असफल रहा तथा पत्तन ने देय राशि की गणना के समय पंचाट के तथ्य का मूल्यांकन नहीं किया क्योंकि ठेकेदार द्वारा स्वयं के कारणों से दूसरी निकर्षण पोत पर 0.41 करोड़ रु. की राशि की शुल्क पापसी का दावा नहीं किया गया जिसे निकाला नहीं गया था। परिणामस्वरूप पत्तन ने ब्याज को छोड़कर 41 लाख रु. के अधिक भुगतान को सम्मिलित करके एक लाख रु के ब्याज सहित 1.45 करोड़ रु. अदा किए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (दिसम्बर 2003) के प्रत्युत्तर में मु.प.न्यास ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया (सितम्बर 2004) तथा उससे 6.06 लाख रु. के ब्याज सहित 47.06 लाख रु. की वसूली की (अक्टूबर 2004)। मंत्रालय ने उपरोक्त वसूली की पुष्टि की (जून 2005)।

### 12.9 अदावित नौभार की बिक्री प्राप्तियों से बिक्री व्ययों की कम वसूली

अदावित नौभार के बिक्री व्यय, वास्तविक व्ययों की जांच किए बिना बिक्री प्राप्तियों से 10 प्रतिशत की एक समान दर पर वसूल किए गए थे। इसका परिणाम 1998-99 से 2003-04 की अवधि के दौरान 7.97 करोड़ रु. की कम वसूली में हुआ।

अवतरण के दो माह के भीतर निकाले न गए अथवा अदावित नौभार को पत्तन न्यास द्वारा सीमा शुल्क/पत्तन न्यास शुल्कों की देय राशि की प्राप्ति के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (अधिनियम) में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए बेचा जाता है।

अधिनियम की धारा 63 में निहित प्रावधानों के अनुसार धारा 61 या 62 के अंतर्गत हुई प्रत्येक बिक्री की आय का उपयोग सर्वप्रथम बिक्री के व्ययों के भुगतान के लिए किया जाएगा। मुम्बई पत्तन न्यास के बोर्ड के न्यासियों के प्रासंगिक निर्णय के अनुसार (जून 1968), बिक्री व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर परिकलित किए जाने अपेक्षित थे। तथापि, इसके बाद मुम्बई पत्तन न्यास (पत्तन न्यास) के अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिया गया था (जुलाई 1991) कि 1989-90 से बिक्री व्ययों की वसूली बिक्री प्राप्तियों से 10

प्रतिशत की एक समान दर से की जानी चाहिए। पत्तन न्यास के पास इस निर्णय का कोई आधार उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया (मार्च 2004) कि 1998-99 से 2002-03 के बीच अदावित नौभार की बिक्री पर पत्तन न्यास द्वारा वहनित वास्तविक व्यय, ऐसे नौभार की बिक्री से प्राप्त राशियों के 11 प्रतिशत से 28 प्रतिशत<sup>3</sup> के बीच रहे थे। 2003-04 में बिक्री व्यय इस तथ्य के कारण असामान्य रूप से 217 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था कि ई-नीलामी बोली की नई पद्धति प्रारम्भ होने के कारण केवल कुछ नौभार बेचे जा सके थे। पत्तन न्यास ने इन बिक्रियों से 82.71 करोड़ रु. की बिक्री प्राप्तियां हासिल की थी और 1998-2004 के दौरान इन बिक्रियों पर 16.24 करोड़ रु. का व्यय वहन किया था परन्तु 7.97 करोड़ रु. की कम वसूली को शामिल करते हुए बिक्री व्ययों के प्रति केवल 8.27 करोड़ रु. वसूल किए थे।

मंत्रालय ने प्रत्युत्तर दिया (दिसम्बर 2004) कि लेखापरीक्षा ने प्रतिष्ठान के व्यय को परिकलित करते समय वास्तव में नीलामी बिक्री सम्बन्धित कार्य में भाग ले रहे कर्मचारियों के वेतन की बजाय गोदी नीलामी बिक्री शाखा के कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी पर विचार किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 1990 से पूर्व जब वास्तविक आधार पर व्यय वसूल किए गए थे तब ऐसे व्ययों में स्थापना व्यय, गोदाम, बिक्री अनुभाग तथा लेखापरीक्षा स्टाफ के वेतन समाविष्ट थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मुम्बई पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने पिछले छः वर्षों के दौरान वास्तविक बिक्री व्ययों को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक बिक्री व्ययों की आबंटन दर का संशोधन अनुमोदित किया था (दिसम्बर 2004)। अतः लेखापरीक्षा में इंगित किए बिक्री व्यय तथा इसकी वसूली के बीच के अन्तराल को पत्तन न्यास द्वारा वसूली की प्रतिशतता को बढ़ाकर समाप्त किया जा सकता था।

#### तूतीकोरिन पत्तन न्यास

##### 12.10 गोदाम का अनावश्यक निर्माण

मौजूदा भंडारण क्षमता के कम आकलन और भविष्य की मांग के अवास्तविक प्रक्षेपण के आधार पर एक अतिरिक्त गोदाम के निर्माण का परिणाम 1.62 करोड़ रु. राशि की निधि के अवरोधन में हुआ।

तूतीकोरिन पत्तन के पास सामान्य नौभार के लिए तीन गोदाम थे जिनमें से दोकों आदि के आवागमन के लिए गलियारा छोड़ने के बाद प्रत्येक की तल क्षमता\* नौभार के भरण और घनत्व के अनुसार लगभग 7,000 टन थी।

<sup>3</sup> 1998-99 – 11 प्रतिशत, 1999-2000 – 28 प्रतिशत, 2000-01 – 26 प्रतिशत, 2001-02 – 16 प्रतिशत, 2002-03 – 15 प्रतिशत, 2003-04 – 217 प्रतिशत

\* गोदाम  $\vdash$  5220 वर्ग मी. गोदाम || एवं ||| - प्रत्येक 4860 वर्ग मी.

पत्तन उपभोक्ताओं की अतिरिक्त गोदाम क्षमता की मांग (फरवरी 1997) के बाद पत्तन के यातायात विभाग ने अगले पांच वर्षों के दौरान नौभार की मात्रा जिसे भंडारण की आवश्यकता पड़ सकती थी का एक अध्ययन किया (अप्रैल 1997)। इस अध्ययन में तीन मौजूदा गोदामों में सामान्य नौभार की वार्षिक उपयोग क्षमता दो महीनों की औसत मार्गस्थ अवधि सहित 1.50 लाख टन अनुमानित थी। भंडारण आवश्यकता को 1997-98 के लिए 2.19 लाख टन पर तथा 2000-01 तथा 2001-2002 में बढ़ाकर 2.46 लाख टन पर प्रक्षेपित करते हुए अध्ययन में एक अतिरिक्त गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव की परियोजना निवेश समिति द्वारा अनुशंसा की गई (अगस्त 1998) तथा अगस्त 1998 में पत्तन के न्यास मंडल द्वारा उसे मंजूरी दी गई। 5700 टन तल क्षमता वाले अतिरिक्त गोदाम का निर्माण 1.62 करोड़ रु. की लागत से अगस्त 2002 में पूर्ण हुआ।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

(i) तीन पुराने गोदामों की उपयोग क्षमता का अनुमान और 1997-2002 के दौरान नौभार के लिए आवश्यक भंडारण के वार्षिक प्रक्षेपण का आधार दर्ज नहीं किया गया था। 1994-95 से 1996-97 के दौरान तीन गोदामों में जो कुल वार्षिक वास्तविक नौभार का आवागमन हुआ था वह सामान्य नौभार की एक से चार माह की मार्गस्थ समय सीमा सहित केवल 85,279 और 88,720 टन के बीच रहा था। तथापि यातायात विभाग ने अत्यधिक बढ़ोत्तरी का कोई आधार दर्शाये बिना 1997-2002 के लिए 2.19 लाख और 2.46 लाख टन प्रतिवर्ष के बीच भंडारण की आवश्यकता का प्रक्षेपण किया (अप्रैल 1997)। अतिरिक्त गोदाम के निर्माण के प्रस्ताव की जांच के लिए विशेष रूप से गठित की गई परियोजना निवेश समिति ने भी प्रक्षेपित भंडारण आवश्यकता में अत्यधिक बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त गोदाम के औचित्य का पुनः मूल्यांकन नहीं किया था।

(ii) तीन पुराने गोदामों की अनुमानित 1.50 लाख टन वार्षिक उपयोग क्षमता के प्रति पत्तन ने 2002-03 के दौरान तीन पुराने गोदामों में 2.37 लाख टन के नौभार को समायोजित किया। यह तीन मौजूदा गोदामों की उपलब्ध वार्षिक क्षमता के गलत अनुमान को दर्शाता था।

(iii) 5700 टन को समायोजित करने के भूतल स्थान वाला नया गोदाम अपने शुरू होने से मई 2005 तक 34 महीनों में से 29 महीने खाली पड़ा रहा था। नये गोदाम में शेष पांच महीनों के दौरान 41 दिन, 90 से 2880 व.मी. के बीच का भूतल स्थान घेरने वाले नौभार का भंडारण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन मौजूदा गोदामों में खाली भूतल स्थान नये गोदामों में 26 दिन रखे गये नौभार के भण्डार के लिए पूर्णतया पर्याप्त था। शेष 15 दिनों के दौरान मार्गस्थ समय पर प्रभावी नियंत्रण से मौजूदा तीन

गोदामों में अधिक नौभार को रखने के लिए पर्याप्त जगह उत्पन्न की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त अगस्त 2002 से मार्च 2005 के दौरान तीन पुराने गोदामों की समग्र क्षमता का उपयोग भी नीचे दिये गये विवरण के अनुसार खराब था।

वर्ष	तीन पुराने गोदाम					अतिरिक्त गोदाम	
	भंडारण की गई मात्रा (टन)	उपलब्ध क्षेत्र* (वर्ग मी.)	उपयोग किया गया वास्तविक क्षेत्र (वर्ग मी.)	रिक्त स्थान (वर्ग मी.)	रिक्त स्थान की प्रतिशतता	भंडार की गई मात्रा (टन)	उपयोग किया गया वास्तविक क्षेत्र (वर्ग मी.)
2002-03	2,36,879	36,30,420 @	9,11,840 @	27,18,580 @	75 @	4837	9200 @
2003-04	1,31,867	54,68,040	28,49,100	26,18,940	49	4566	41,960
2004-05	58,710	54,53,100	3,37,610	51,15,490	94	1488	450

\* वार्षिकीकरण किया गया दिवस वार क्षेत्र

@ अगस्त 2002 से मार्च 2003 की अवधि हेतु

अतः पत्तन न्यास द्वारा उपलब्ध क्षमता के कम आकलन के साथ-साथ भविष्य के यातायात के अवास्तविक प्रक्षेपण के आधार पर एक अतिरिक्त गोदाम के निर्माण के परिणाम 1.62 करोड रु. की पत्तन की निधियों का अगस्त 2002 से परिहार्य अवरोधन में हुआ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर नवम्बर 2005 तक प्रतीक्षित था।

#### विशाखापटनम पत्तन न्यास

##### 12.11 संस्थागत बाण्डों में निवेश पर ब्याज की अप्राप्ति

विशाखापटनम पत्तन न्यास द्वारा प्रतिदान की अदायगी में देरी तथा भुगतान नहीं करने वाली कम्पनी के बाण्डों की संस्थागत बिक्री में निवेश करने के अविवेकपूर्ण निर्णय का परिणाम 78.25 लाख रु. की हानि में हुआ।

लोक उद्यम विभाग (लो.उ.वि.), भारत सरकार (भा.स.) ने दिसम्बर 1991 में लोक क्षेत्र उद्यमों की अधिशेष निधियों के निवेश के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों ने अन्य निर्देशों के अतिरिक्त यह भी विनिर्दिष्ट किया था कि:-

- निवेशों की परिपक्वता एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथापि बैंकों के पास सावधि जमाओं के सम्बन्ध में निवेश तीन वर्षों की अवधि तक हो सकता था।

प्राप्त दस्तावेज एक स्थापित साख मूल्यांकन अभिकरण द्वारा मूल्यांकित किए जाने चाहिए थे तथा उच्चतम सुरक्षा दर्शाने वाला उच्चतम साख मूल्यांकन प्रदान किया जाना चाहिए था।

भूतल परिवहन मंत्रालय ने सितम्बर 1996 तथा अप्रैल 1997 में सुझाव दिया कि समस्त पत्तन न्यासियों को अधिशेष निधियों को निवेशित करते समय लो.उ.वि. द्वारा जारी अनुदेशों को ध्यान में रखना चाहिए।

विशाखापटनम पत्तन न्यास (वि.प.न्या.) ने दिसम्बर 1999 तथा जनवरी 2000 के दौरान औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा लिमिटेड (कम्पनी) के 13.75 प्रतिशत बाण्डों की संस्थागत बिक्री में आरक्षित निधि (8.64 करोड़ रु.) तथा भविष्य निधि (2.44 करोड़ रु.) के अंतर्गत उपलब्ध शेषों से 11.08 करोड़ रु. निवेशित किए। कम्पनी ने आबंटन की तिथि से तीन वर्षों में प्रतिदेय प्रति बाण्ड 1 लाख रु. अंकित मूल्य वाले 1108 बाण्ड 28 फरवरी 2000 को आबंटित किए। बाण्डों के पूर्णतया प्रतिदेय होने तक निर्धारित तिथि को मूलधन वापिस करने तथा उस पर ब्याज के भुगतान की गारंटी उड़ीसा सरकार ने प्रदान की थी। कम्पनी ने अक्टूबर 2001 तक चार अर्धवार्षिक अवधियों के लिए 13.75 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान किया और उसके बाद भुगतान नहीं किया गया। कम्पनी ने 11.08 करोड़ रु. की प्रतिदान प्राप्तियों और अक्टूबर 2001 से फरवरी 2003 की अवधि के लिए 1.82 करोड़ रु. की राशि के ब्याज की अदायगी 23 दिसम्बर 2003 को ही की।

वि.प.न्या.ने 31 दिसम्बर 2003 को 13.75 प्रतिशत की दर पर मार्च 2003 से दिसम्बर 2003 की अवधि के ब्याज के लिए कम्पनी पर 1.50 करोड़ रु. का एक दावा प्रस्तुत किया। तथापि लेखापरीक्षा ने देय राशि 1.55 करोड़ रु. की निकाली थी। कम्पनी ने प्रतिदान में विलम्ब की अवधि के लिए केवल 8.5 प्रतिशत पर ब्याज देना प्रस्तावित किया। वि.प.न्या. ने अगस्त 2004 में कम्पनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और देय राशि के पूर्ण और अंतिम समाधान के रूप में 76.63 लाख रु. प्राप्त किए। इस प्रक्रिया में वि.प.न्या. ने 78.25 लाख रु. के राजस्व की हानि उठायी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उचित वित्तीय मूल्यांकन किए बिना वि.प.न्या. ने तीन वर्ष की अवधि के लिए संस्थागत बिक्री के लिए निर्गम बाण्डों में अपनी निधियाँ निवेशित की। किसी अभिकरण द्वारा निवेश का साख मूल्यांकन नहीं किया गया था। निवेश केवल इस आधार पर किया गया था कि उड़ीसा सरकार ने बाण्डों के प्रतिदान पर मूलधन की वापसी तथा ब्याज के भुगतान की गारंटी दी थी। तथापि, कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा इस तथ्य पर कि 1996-99 के दौरान कम्पनी ने हानियां वहन की थी, पर विचार नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि वि.प.न्या. द्वारा जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से सम्पर्क स्थापित किया गया तो उसने इस सम्बन्ध में कोई

कार्रवाई करने में अपनी असमर्थता जाहिर की (जनवरी 2003) क्योंकि यह निर्गम संस्थागत बिक्री के लिए था और इसके नियामक कार्यक्षेत्र में नहीं आता था। इसके बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होने को देखते हुए वि.प.न्या. के लिए कम्पनी में निवेश करने से पूर्व उच्चतर स्तर की सतर्कता बरतना आवश्यक था।

अतः लो.उ.वि. के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए वि.प.न्या. ने कम्पनी के बाण्डों की संस्थागत बिक्री में निवेश करने के निर्णय का परिणाम 78.25 लाख रु. की हानि में हुआ।

वि.प.न्या. ने बताया (मई 2004) कि लो.उ.वि. के दिशानिर्देश इस पर लागू नहीं थे। मंत्रालय ने वि.प.न्या. द्वारा दिए गए मई 2004 के उत्तर का समर्थन किया (जून 2004)। यह तर्कसंगत नहीं था क्योंकि भूतल परिवहन मंत्रालय ने अधिशेष निधियों के निवेश पर लो.उ.वि. के दिशानिर्देशों का अनुसरण करने के लिए विशेषरूप से सितम्बर 1996 तथा अप्रैल 1997 में समस्त पत्तन न्यासियों को अनुदेश दिए थे। इसके अतिरिक्त सावधानी बरतने की सामान्य आवश्यकता में वित्तीय दस्तावेज का उच्च साख मूल्यांकन और जारी करने वाली कम्पनी के विस्तृत वित्तीय मूल्यांकन को प्राप्त करना शामिल होगा।

#### **विशाखापटनम गोदी श्रमिक बोर्ड**

##### **12.12 गलत व्याख्या के कारण व्याज की कम प्राप्ति**

**विशाखापटनम गोदी श्रमिक बोर्ड ने अपने संकल्प की गलत व्याख्या के कारण 2.88 करोड़ रु. की कम प्राप्ति की।**

विशाखापटनम गोदी श्रमिक बोर्ड (वि.गो.श्र.बो.) के उपाध्यक्ष ने विशाखापटनम पत्तन न्यास (वि.प.न्या.) के पास 20 करोड़ रु. के निवेश करने के लिए इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान की (अक्टूबर 2000) कि, वि.प.न्या. से वह व्याज देने को कहा जाये जो निधियों को दीर्घावधि योजना में निवेश करने से प्राप्त होता। इसको निवेश समिति के ध्यान में लाया गया था। वि.प.न्या. ने 25 करोड़ रु. का एक अतिरिक्त अस्थायी ऋण लिया (अक्टूबर 2000) और बताया कि ऋण की शर्तें आपसी सहमति से तय की जा सकती थीं।

वि.गो.श्र.बो. ने अक्टूबर 2000 में हुई अपनी बैठक में भारतीय दूरभाष उद्योग द्वारा प्रस्तावित 12 प्रतिशत प्रति वर्ष व्याज की कूपन दर का संज्ञान लेते हुए वि.प.न्या. के पास 20 करोड़ रु. के निवेश पर 12 प्रतिशत वार्षिक का व्याज संग्रह करने का निश्चय किया और आगे भविष्य में निवेशों के लिए वि.प.न्या. से प्रचलित व्याज दर पर संग्रहीत करने का निर्णय लिया।

वि.गो.श्र.बो. ने अक्तूबर 2000 से मार्च 2002 के दौरान वि.प.न्या. के पास समग्र रूप से 72.50 करोड़ रु. निवेशित किए। वि.प.न्या. ने मार्च 2003 तक टुकड़ों में राशि वापस की। वि.प.न्या. ने उसके द्वारा परिकलित ब्याज का भी टुकड़ों में भुगतान किया।

यद्यपि वि.गो.श्र.बो. का संकल्प स्पष्ट था कि भविष्य के निवेशों के लिए ऐसे निवेश की तिथि पर ब्याज की प्रचलित दर लागू होगी, वि.प.न्या. ने प्रत्येक निवेश की समस्त अवधि के लिए निवेश की तिथि पर प्रचलित दर अपनाने के बजाय विभिन्न दरों पर वि.गो.श्र.बो. को भुगतान योग्य ब्याज परिकलित किया। वि.प.न्यास द्वारा लागू की गई दरें थीं

अवधि	ब्याज की दर (प्रतिशत)
5 अक्तूबर 2000 से 25 सितम्बर 2001 तक	12.00
26 सितम्बर 2001 से 28 दिसम्बर 2001 तक	10.25
29 दिसम्बर 2001 से 31 मार्च 2002 तक	9.48
1 अप्रैल 2002 से 11 मार्च 2003 तक (अंतिम भुगतान)	8.00

इसके अतिरिक्त वि.गो.श्र.बो. तथा वि.प.न्या. के बीच समय-समय पर जारी ब्याज की दरों पर कोई लिखित करार नहीं था। वि.गो.श्र.बो. ने अपने निवेश पर देय ब्याज परिकलित नहीं किया बल्कि केवल वि.प.न्या. द्वारा भुगतान किए गए ब्याज को स्वीकार किया। लेखापरीक्षा ने प्रत्येक निवेश की तिथि पर उचित ब्याज की दरें लागू करते हुए निवेश पर देय ब्याज के रूप में 15.36 करोड़ रु. परिकलित किए। तथापि वि.प.न्या. ने ब्याज के प्रति समग्र रूप से 12.48 करोड़ रु. अदा किए। इसके कारण 2.88 करोड़ रु. की कम प्राप्ति हुई।

वि.गो.श्र.बो. ने किन्हीं शर्तों का मसौदा नहीं बनाने को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2004) कि वि.प.न्या. द्वारा वि.गो.श्र.बो. से विचार-विमर्श करके ब्याज की दरें संशोधित की थीं क्योंकि वि.गो.श्र.बो. ने निश्चय किया था कि ब्याज की लागू दरें समय-समय पर प्रचलित बाजार दरें होंगी। मंत्रालय ने गोदी श्रमिक बोर्ड के उत्तर का समर्थन किया (सितम्बर 2004)।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संकल्प बहुत स्पष्ट था कि वि.प.न्या. के पास परवर्ती निवेश, निवेश की तिथि पर ब्याज की प्रचलित दर पर होगा। इसके अतिरिक्त वि.प.न्या. और वि.गो.श्र.बो. विभिन्न केन्द्रीय विधानों के अंतर्गत सृजित सुस्पष्ट विधिक सत्ता रखते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक सत्ता का प्रबन्धन संबंधित सत्ता के श्रेष्ठ वित्तीय हित में कार्य करने के लिए बाध्य है तथा वित्तीय निवेशों को सुस्पष्ट अनुबन्ध द्वारा अधिशासित किया जाना चाहिए।

### 12.13 राजस्व की हानि

**विशाखापटनम गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा कोरोमडल उर्वरक लिमिटेड की उगाही दर को बढ़ाने में विफलता के कारण 70.25 लाख रु. के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।**

जनवरी 1994 से पूर्व, कोरोमडल उर्वरक लिमिटेड (कम्पनी) विशाखापटनम पत्तन स्थित उर्वरक घाट में अपने श्रमिकों को नियुक्त करके उर्वरक नौभार प्रबन्ध के लिए एक रूपया प्रति टन का भुगतान किया करती थी। एक रूपया प्रति टन की दर का उल्लेख नवम्बर 1990 में कम्पनी और विशाखापटनम गोदी श्रमिक बोर्ड (वि.गो.श्र.बो.) के बीच कार्यान्वित हुए अनुबन्ध में किया गया था। जनवरी 1994 में वि.गो.श्र.बो. ने उगाही को बढ़ाकर दो रु. प्रति टन करने का निश्चय किया परन्तु कम्पनी की स्वीकृति लेने के लिए उसके साथ मामले को नहीं उठाया। उगाही को बढ़ाने के लिए कोई औपचारिक अनुबन्ध भी कार्यान्वित नहीं किया था।

वि.गो.श्र.बो. ने नवम्बर 1996 में नवम्बर 1994 से मार्च 1996 की अवधि के लिए दो रु. प्रति टन की बढ़ी दर से बिल प्रस्तुत किया। अप्रैल 1996 से मार्च 1998 की अवधि के लिए बिल सितम्बर 1998 में प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात बिल नियमित रूप से प्रस्तुत किये गये। नवम्बर 1994 से मई 2005 की अवधि के लिए दो रु. प्रति टन से परिकलित देय उगाही 1.26 करोड़ रु. थी।

अक्तूबर 1998 में कम्पनी ने अभिमत लिया कि उगाही की दर बढ़ाकर दो रु. प्रति टन करने का वि.गो.श्र.बो. का निर्णय उन्हें सूचित नहीं किया गया था और पहले की तरह एक रूपया प्रति टन का भुगतान करने का प्रस्ताव किया। अन्ततः मामला नवम्बर 1990 में किये गये अनुबन्ध के अनुसार मध्यरथ को भेज दिया गया। मध्यरथ ने अपने मई 2003 के निर्णय में 1 जनवरी 1999 से उगाही को बढ़ाकर 1.50 रु प्रति टन करने के लिए पार्टियों को नया अनुबन्ध करने की सलाह दी। जहां कम्पनी ने अगस्त 2003 में निर्णय को स्वीकार कर लिया, वि.गो.श्र.बो. ने न तो नई दरों को अपनाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया न ही कम्पनी के साथ नया अनुबन्ध करने के लिए कोई कदम उठाये। कम्पनी ने नवम्बर 1994 से मई 2005 की अवधि के लिए एक रूपया प्रति टन के पुराने दर पर 55.75 लाख रु. अदा किये।

वि.गो.श्र.बो. द्वारा कम्पनी पर उगाही, उगाही दर में संशोधन और कम्पनी के साथ समझौते के औपचारिकीकरण के लिए दावों को प्रस्तुत करने की समस्त प्रक्रिया का विलम्बकारी ढंग से निपटाया जाना प्रतीत होता है। दावों को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया, उगाही दर को बढ़ाया गया और कम्पनी को सूचित किया गया परन्तु मामले को कम्पनी की सहमति और अनुबन्ध के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया और अन्ततः मध्यरथ द्वारा निर्णय देने के बाद भी वि.गो.श्र.बो. द्वारा उगाही को दिये गये निर्णय की दर पर लागू नहीं किया।

नवम्बर 1994 से मई 2005 की अवधि के लिए दो रु. प्रति टन दर से परिकलन करने पर कम्पनी द्वारा वि.गो.श्र.बो. को 1.26 करोड़ रु. की राशि देय थी। प्राप्ति केवल 55.75 लाख रु. थी। अतः 70.25 लाख रु. की सीमा तक उगाही की कम प्राप्ति हुई। यदि 1 जनवरी 1999 से भी वि.गो.श्र.बो. ने 1.50 रु. प्रति टन से उगाही को परिकलित किया होता, तो मई 2005 तक की अवधि के लिए उसे 19.30 लाख रु. का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2004 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

### अध्याय XIII : कपड़ा मंत्रालय

#### राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता

##### 13.1 परिहार्य व्यय

**रा.फै.प्रौ.सं., कोलकाता द्वारा अनुबन्ध मांग की मात्रा के अवास्तविक निर्धारण के कारण विद्युत प्रभारों के भुगतान पर 27.16 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।**

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता (रा.फै.प्रौ.सं.) ने सितम्बर 1999 में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (प.बं.रा.वि.बो.) के साथ अपने कार्यालय परिसर में 1999-2000 से 2003-04 तक पांच वर्षों के लिए उच्च वोल्टेज विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया था। समझौते में पहले दो वर्षों के लिए अनुबन्ध मांग 600 के.वी.ए. और 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में क्रमशः 700 के.वी.ए., 800 के.वी.ए. और 1000 के.वी.ए. का प्रावधान था। वास्तविक उपभोग, अनुबन्ध मांग से कम होने पर भी रा.फै.प्रौ.सं. को निर्धारित दरों पर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (वा.न्यू.प्र.रा.) अदा करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2000 से मार्च 2004 की अवधि के लिए वास्तविक विद्युत उपभोग कम था और अनुबन्ध मांग के केवल 15 और 36.9 प्रतिशत के बीच रहा था। इस अवधि के दौरान वा.न्यू.प्र.रा. के प्रति रा.फै.प्रौ.सं. द्वारा किया गया 27.16 लाख रु. का व्यय अपनी विद्युत आवश्यकता का अधिक व्यवहारिक और वास्तविक अनुमान लगाने पर अधिकांशतः परिहार्य था।

अगस्त 2002 की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में, रा.फै.प्रौ.सं. ने मार्च 2003 में प.बं.रा.वि.बो. के पास अनुबन्ध मांग के संशोधन का प्रस्ताव रखा और नवम्बर 2003 में एक नया समझौता निष्पादित हुआ। इस समझौते के द्वारा जनवरी 2004 से अनुबन्ध मांग आगामी तीन वर्षों के लिए घटा कर 300, 400 और 450 के.वी.ए. कर दी गई और उसके बाद अगले दो वर्षों के लिए 500 के.वी.ए. नियत की गई थी।

जुलाई 2005 की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में रा.फै.प्रौ.सं. ने बताया (जुलाई 2005) कि अनुबन्ध मांग रा.फै.प्रौ.सं. मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त किये विशेषज्ञों के एक सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित की गई थी। इसके साथ ही रा.फै.प्रौ.सं. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया था।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2005) कि अनुबन्ध मांग इसी परिसर में निर्मित होने वाले पटसन निर्माता विकास परिषद (प.नि.वि.प.) और परिधान निर्यात प्रोत्साहन परिषद

(प.नि.प्रो.प.) कार्यालयों के लिए आवश्यक अतिरिक्त विद्युत को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई थी। तथापि, प.नि.प्रो.प. भवन के निर्माण में काफी विलम्ब हुआ। प.नि.वि.प. भवन का निर्माण शुरू ही नहीं हुआ और इसी परिसर में निर्मित होने वाले लड़कों और लड़कियों के छात्रावास का भी बाद में परित्याग हो गया। अतः वास्तविक विद्युत उपभोग अनुबन्ध मांग से कहीं कम बना रहा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि केन्द्र के आगे विकास के लिए गुंजाइश थी और नये शैक्षिक, प्रशासनिक और छात्रावास खण्डों का जल्द ही निर्माण किया जायेगा और इस प्रकार वर्तमान अनुबन्ध मांग की प्राप्ति हो जायेगी।

तथापि, वास्तविकता यह थी कि फरवरी 2000 से मार्च 2004 की अवधि के दौरान प.नि.प्रो.प. और प.नि.वि.प. द्वारा विद्युत उपभोग को सुनिश्चित किये बिना अनुबन्ध मांग की मात्रा का निर्धारण किया गया था।

## अध्याय XIV : शहरी विकास मंत्रालय

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

#### 14.1 दि.वि.प्रा. की ओर से निष्क्रियता

आबंटन की शर्तों के निरन्तर उल्लंघनों के बावजूद एक भूखण्ड के आबंटन को रद्द करने की कार्रवाई समय पर नहीं करने के कारण दि.वि.प्रा. 92.06 लाख रु. की महत्वपूर्ण भूमि से वंचित रहा। 43.45 लाख रु. के संघटन शुल्क भी वसूल नहीं हुए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (नाजूल भूमि का निपटान) अधिनियम 1981 के अध्याय-II के नियम 6(V) में दिया गया है कि प्राधिकरण मास्टर प्लान के अंतर्गत उन उद्योगपतियों जिन्हें अपने उद्योग असमरूप क्षेत्रों से समरूप क्षेत्रों में स्थानांतरण करने की आवश्यकता है, को पूर्व निर्धारित दरों पर नाजूल भूमि पट्टे पर देगा। उस पट्टा समझौता में यह अनुबंध है कि पट्टेदार प्राधिकरण की अनुमति के बिना भूमि अथवा उसके किसी भाग को न बेचेगा अथवा हस्तांतरण करेगा। इसके अतिरिक्त, पट्टेदार को भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के दो वर्षों के अन्दर अपने भवन का निर्माण करना आवश्यक है। पट्टेदार की मृत्यु की घटना होने पर, जिस व्यक्ति को स्वामित्व मिलता है उसे ऐसे हस्तांतरण की सूचना तीन महीने के अन्दर प्राधिकरण को देनी होगी। समझौता की शर्तों का उल्लंघन करने की घटना में प्राधिकरण भूमि पट्टेदार को कोई मुआवजा दिए बिना भूमि तथा उस पर बने भवन के स्वामित्व को पुनः प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने सितम्बर 1966 में मै. रैक्स आटो इण्डस्ट्रीज को रेवाड़ी लाईन औद्योगिक क्षेत्र, फेस-II (मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र) में 605 वर्ग गज माप का एक औद्योगिक भूखण्ड सं. सी-183 आबंटित किया। किंतु पट्टेदार ने निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भवन का निर्माण नहीं किया। जून 1978 तक समय को बढ़ाने की अनुमति दी गई। इसे बढ़ाने के बावजूद, भवन का निर्माण नहीं किया गया। नियतभागी की मई 1988 में मृत्यु हो गई परन्तु पट्टे की शर्तों के उल्लंघन में भूखण्ड के स्वामित्व के हस्तांतरण की कोई सूचना नहीं दी गई। दि.वि.प्रा. ने पट्टे की शर्तों के उल्लंघन पर दिसम्बर 1992 तथा जून 1996 में सामान्य कारण बताओ नोटिस के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की।

नियतभागी के मृत्यु के 10 वर्षों बाद अगस्त 1998 में, फर्म के दिवंगत स्वामी की माता (पार्टी) ने दि.वि.प्रा. से भवन के निर्माण को पूरा करने में समय को बढ़ाने तथा भूखण्ड का उसके नाम हस्तांतरण करने का आग्रह किया। मई 1999 में भूखण्ड को उसके नाम हस्तांतरित कर दिया गया था तथा जनवरी 2001 में निर्माण के लिए जून 2001 तक के समय का विस्तार 14 जुलाई 2001 तक देय भूमि किराया तथा 14 मार्च 2001 तक

भूमि किराए पर ब्याज सहित 1.10 करोड़ रु के संघटन शुल्क के भुगतान की शर्त पर प्रदान किया गया।

उसके बाद, पार्टी के अभिवेदन पर दि.वि.प्रा. के उप सभापति ने 1968 से 1975 तथा 31 अगस्त 1998 से 18 जून 2001 तक की अवधि के संघटन शुल्क को माफ कर दिया। जून 2001 में 43.45 लाख रु का एक संशोधित मांग पत्र जारी किया गया। परन्तु पार्टी ने फिर से समस्त राशि को माफ करने के लिए अभिवेदन दिया, जिस पर सहमति नहीं बन पाई। क्रेता ने सितम्बर 2002 में भूखण्ड की पुनः बिक्री कर दी। सम्पत्ति के अधिभोगी ने जनवरी 2003 में अनधिकृत निर्माण किया तथा भूखण्ड को शत-प्रतिशत ढक दिया। पट्टा समझौता के अन्तर्गत आवश्यक इन कार्रवाइयों की प्राधिकरण से कोई स्वीकृति नहीं ली गई।

बाद में, दि.वि.प्रा. को अनधिकृत निर्माण तथा पार्टी द्वारा भूखण्ड को बेचने की एक शिकायत प्राप्त हुई (जनवरी 2003)। अन्ततः दि.वि.प्रा. ने मई 2003 में भूखण्ड के आबंटन को रद्द कर दिया। अधिभोगी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समुख मामले को उठाया, जिन्होंने पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के लिए सरकारी परिसर अधिनियम, 1971 के अंतर्गत बेदखल प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के आदेश दिए। बेदखल प्रक्रियाएं जारी हैं (दिसम्बर 2005)। इसके साथ ही, दि.वि.प्रा. ने दि.न.नि. कमिशनर को मई/जून 2003 में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई प्रारम्भ करने का आग्रह किया।

स्पष्टतया दि.वि.प्रा. भूखण्ड की यथास्थिति का पता लगाकर पट्टे की शर्तों को लागू करने तथा अपने हितों की रक्षा करने में विफल रहा, विशेषतौर पर निर्माण की अवधि के दौरान जिससे समय पर कार्रवाई करके भूखण्ड का पुनः स्वामित्व निश्चित किया जा सकता था। वास्तव में, जनवरी 2003 में शिकायत प्राप्त होने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। दि.वि.प्रा. ने भूखण्ड का स्वामित्व तभी प्राप्त किया जब पार्टी स्वयं जून 2001 में संशोधित संघटन शुल्क जमा कराने में असफल रही। दि.वि.प्रा. की ओर से निरन्तर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप उसे प्रचलित बाजार दर से 92.06 लाख रु मूल्य के महत्वपूर्ण भूखण्ड से वंचित होना पड़ा तथा भूमि किराया तथा उस पर ब्याज सहित 43.45 लाख रु. के संघटन शुल्क की वसूली नहीं हुई।

मामले को प्राधिकरण/मंत्रालय को अगस्त 2005 में प्रेषित कर दिया था। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2005) कि बेदखल करने की कार्रवाईयां प्रगति में थी तथा आगे बताया कि बेदखली के आदेशों तथा सम्पत्ति के प्रत्यक्ष स्वामित्व को प्राप्त करने के बाद यदि सम्पत्ति को प्रचलित बाजार दरों पर बेच दिया जाए तो दि.वि.प्रा. को कोई वित्तीय हानि नहीं होगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पट्टा समझौतों की शर्तों को लागू कराने तथा भूखण्ड के स्वामित्व को पुनः प्राप्त करने के साथ-साथ संघटन शुल्क को वसूल करने में दि.वि.प्रा. की ओर से निष्क्रियता का कोई औचित्य नहीं था। सम्पत्ति को

सम्भावित बाजार दर पर बेचने का तर्क उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह स्थिति पहले भी होती यदि प्राधिकरण आबंटन की शर्तों को लागू करवाने में समय पर कार्रवाई करके सम्पत्ति का पुनः स्वामित्व प्राप्त करता।

#### 14.2 ब्याज की हानि

सा.ज.प्र. में ब्याज की कम दर पर निवेश करने के कारण 72.90 लाख रु. की राशि के ब्याज की हानि हुई।

दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 23(3) में उपबंध है कि दि.वि.प्रा. अपनी निधि में से ऐसी राशि जो नियमों द्वारा निर्धारित हो, को अपने चालू बैंक खाते में रख सकता है और उक्त राशि से अधिक किसी राशि को इस प्रकार से निवेश करे जो कि केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किया जाये। जिस बैंक में अतिरिक्त राशि का निवेश किया जा सके उसका निर्धारण करने के लिए दि.वि.प्रा. ने जनवरी 1998 में एक निवेश समिति गठित की जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्य लेखा अधिकारी, सदस्यों के रूप में निदेशक (एल.सी.) और वित्तीय सलाहकार (एच) और सचिव के रूप में व.ले.अ. (लेखा) थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.वि.प्रा. ने सिंडीकेट बैंक में 205 करोड़ रु. (22 मार्च 2004 को 6.10 प्रतिशत की दर पर 170 करोड़ रु. और 24 मार्च 2004 को 6.05 प्रतिशत की दर से 35 करोड़ रु. ) तीन साल और एक दिन के लिए निवेश किये। तथापि, उसी काल के दौरान और उसी अवधि के लिए ब्याज की प्रचलित दर 6.21 प्रतिशत थी जिसका अन्य स्वायत्त निकायों ने सिंडीकेट बैंक से लाभ उठाया था। दि.वि.प्रा. द्वारा ब्याज की उच्चतम दर का लाभ उठाने में विफलता का परिणाम 72.90 लाख रु. के ब्याज की हानि में हुआ।

मंत्रालय ने सितम्बर 2005 में बताया कि निवेश की तिथि को उनकी सूची में राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त मोहरबंद उद्धरण और प्राप्त उच्चतम दरों को ध्यान में रखा गया था और तदनुसार निवेश किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निवेश के समय ब्याज की उच्चतर दर उपलब्ध थी और दि.वि.प्रा. के लिए स्वतंत्र रूप से निवेश की तिथि को प्रचलित ब्याज की दर का पता लगाना संभव होना चाहिए था ताकि केवल प्राप्त उद्धरणों पर निर्भर न रहकर सर्वाधिक लाभकारी दर का पूरा लाभ उठाया जा सके।

दि.वि.प्रा. ने यह भी बताया (सितम्बर 2005) कि उनकी निवेश प्रक्रिया में संशोधन कर दिया गया था। अब मोहरबंद निविदा प्राप्त होने के बाद उच्चतम दरें उद्धृत करने वाले पहले तीन बैंकों को उन की दरों को बढ़ाने का एक और मौका दिया जा रहा था। इन

बैंको द्वारा दरों को बढ़ाने के मामले में उनके साथ निवेश उनसे बातचीत द्वारा तय दर अथवा उच्चतम उद्धृत दर पर किया गया था।

#### 14.3 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण तथा अप्राधिकृत निर्माण को नियमित किया जाना

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दि.वि.प्रा. की भूमि पर एक निजी विद्यालय द्वारा अतिक्रमण तथा विद्यालय भवनों के अप्राधिकृत निर्माण को नियमित किया। तथापि उसने दस वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी क्षति प्रभारों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जो 35.07 लाख रु. परिकलित की गई थी।

दि.वि.प्रा. (विकसित नजूल भूमि का निपटान) की नियमावली 1981 के नियम 5 के साथ पठित नियम 20 के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा की गयी सिफारिश पर दि.वि.प्रा. विद्यालयों को स्थापित करने एवं चलाने के लिए शैक्षणिक समितियों को भूमि आबंटित करता है। दि.वि.प्रा. द्वारा भूमि, वर्तमान नियमों के अनुसार विशेष रूप से उल्लिखित शर्तों के परिपूर्ण होने के अधीन तथा निर्धारित दरों पर आबंटित की जाती है। भूमि के आबंटन के लिए नियत प्रीमियम, भूमि किराया आदि के भुगतान की शर्तों की पालना में चूक होने पर आबंटन रद्द होने के साथ लंबित शुल्कों की वसूली की कार्रवाई हो सकती है। दि.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 40/40-ए में प्राधिकरण के शुल्क का भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली का उपबन्ध है।

दि.वि.प्रा. ने अप्रैल 1988 में डी.ए.वी. कालेज प्रबन्धन समिति को एक विद्यालय के निर्माण के लिए 8 लाख रु. प्रति एकड़ पर सरस्वती गार्डन में 3.228 एकड़ माप का एक भूखण्ड आबंटित किया। मई 1988 में प्रीमियम तथा भूमि किराए के 16.40 लाख रु. के भुगतान पर जुलाई 1988 में प्लाट, समिति को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके उपरान्त इलाके के निवासियों ने स्थल पर विद्यालय के निर्माण पर आपत्ति की। प्रबन्धन समिति ने फरवरी 1989 में दि.वि.प्रा. से एक वैकल्पिक स्थल के आबंटन का अनुरोध किया। डी.ए.वी. कालेज प्रबन्धन समिति ने औपचारिक आबंटन की प्रतीक्षा किए बिना अगस्त 1989 में पश्चिम विहार में एक भूखण्ड पर विद्यालय के निर्माण के लिए रिजर्व बैंक स्टाफ सहकारी आवास समिति के साथ एक अनुबन्ध किया। दि.वि.प्रा. ने दिसम्बर 1989 में पश्चिम विहार में स्थित 2.492 एकड़ माप के उसी प्लॉट को 23.75 लाख रु. प्रति एकड़ की दर से औपचारिक रूप से समिति को प्रस्तावित किया। महाविद्यालय प्रबन्धन समिति ने प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के बजाय विद्यालय का निर्माण प्रारम्भ किया जो 1990 तथा 1995 के बीच तीन चरणों में पूर्ण हुआ था।

यद्यपि यह भूमि भा.रि.बैं. स्टाफ सहकारी आवास समिति की न होकर दि.वि.प्रा. की सम्पत्ति थी, दि.वि.प्रा. ने 5 अगस्त 1993, जब इसने विद्यालय को अतिक्रमण तथा अप्राधिकृत निर्माण मानते हुए समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। समिति कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर देने में विफल

रही तथा दि.वि.प्रा. ने 12 अगस्त 1993 को अप्राधिकृत निर्माण को सील करने के आदेश जारी किए। समिति ने इसके उपरान्त उसी दिन अर्थात् 12 अगस्त 1993 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया और इसके बाद दि.वि.प्रा. ने अप्राधिकृत अतिक्रमण को नियमित करने का प्रस्ताव 25 अगस्त 1993 को इस शर्त के अधीन प्रस्तुत किया कि आबंटन चालू दरों पर किया जाएगा और स्थल के अप्राधिकृत कब्जे की अवधि के लिए क्षतियों का भुगतान समिति द्वारा किया जाएगा। इन शर्तों की स्वीकृति पर दिसम्बर 1993 में 23.75 लाख रु. प्रति एकड़ की दर पर भूमि समिति को आबंटित की गई। समिति ने प्रीमियम जून 1996 में जमा कराया। दि.वि.प्रा. ने जनवरी 1999 में समिति को एक नोटिस जारी किया जिसके अनुसार उसके लिए 35.07 लाख रु. की राशि के क्षति प्रभारों का भुगतान करना आवश्यक था। क्षति प्रभारों का भुगतान करने के जुलाई 1998 में दिए गए आश्वासन के बावजूद समिति क्षति प्रभारों का भुगतान करने में विफल रही। तथापि, आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी तथा क्षति प्रभार का भुगतान जून 2005 तक अर्थात् नोटिस जारी करने की तिथि से सात वर्षों की समाप्ति के उपरान्त भी नहीं किया गया।

अपने हितों की रक्षा करने में दि.वि.प्रा. के निरुत्साही दृष्टिकोण ने समिति को दि.वि.प्रा. की भूमि का अप्राधिकृत कब्जा लेने और इसके उपरान्त कोई प्रतिक्रिया प्राप्त किए बिना तीन वर्षों से अधिक की अवधि में एक विद्यालय भवन का निर्माण करने में भी समर्थ बनाया था। यद्यपि समिति ने रिजर्व बैंक स्टाफ सहकारी आवास समिति से 1989-90 में स्थल का कब्जा लिया था और निर्माण प्रारम्भ कर दिया था, दि.वि.प्रा. अतिक्रमण तथा अप्राधिकृत निर्माण का संज्ञान लेने में अगस्त 1993 तक विफल रहा जब इसका सामना मूलतः एक पूरे हो चुके कार्य से हुआ था। इसके उपरान्त क्षति प्रभार लगाए गए थे और यद्यपि समिति ने क्षति प्रभारों का भुगतान करने का वचन दिया था फिर भी दि.वि.प्रा. ने जनवरी 1999 में केवल सामान्य नोटिस जारी करने के सिवाय क्षति प्रभारों की वसूली के लिए कोई अर्थपूर्ण कार्रवाई नहीं की। दि.वि.प्रा. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि को पुनः ग्रहण करने अथवा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में अपने शुल्कों की वसूली के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे। परिणामस्वरूप अप्राधिकृत अतिक्रमण नियमित किया गया, किंतु भूमि के आबंटन/नियमन की तिथि से ग्यारह वर्षों से अधिक अंतराल के बावजूद 35.07 लाख रु. के क्षति प्रभार वसूल नहीं हुए।

दि.वि.प्रा. ने जुलाई 2005 में बताया कि यद्यपि समिति मांगे गए भुगतान को किए बिना वैकल्पिक स्थल के अप्राधिकृत कब्जे के लिए दोषी थी, वर्तमान आबंटन के लिए प्रचलित आंचलिक दर पर भुगतान करने के लिए बाध्य कर उसे पहले ही कुछ सीमा तक दण्डित किया जा चुका है। चूंकि मूल प्लॉट को देना संभव नहीं था, अतः क्षति प्रभारों को संशोधित करने का निर्णय लिया था। समिति ने नियत संशोधित प्रभारों के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन किया था जिसे अभी भी अंतिम रूप से निपटाया जाना बाकी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एक समिति को उनके अनियमित कब्जे वाली भूमि पर दखल और निर्माण कार्य करने की अनुमति केवल समितियों की ओर से दि.वि.प्रा. के हितों के विरुद्ध अनुमान पर आधारित ऐसी कार्रवाईयों को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त जनवरी 1999 से छः वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक क्षति प्रभारों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में प्रेषित किया गया था तथा एक अनुस्मारक जुलाई 2005 में जारी किया गया था। उनका उत्तर दिसम्बर 2005 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय XV : युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय

### भारतीय खेलकूद प्राधिकरण

#### 15.1 निम्न शक्ति गुणक के कारण जुर्माना

भारतीय खेलकूद प्राधिकरण ने शक्ति गुणक को निर्धारित स्तर पर अनुरक्षित न रखने के कारण अगस्त 1997 से जनवरी 2001 की अवधि के लिए 1.95 करोड़ रु. का जुर्माना अदा किया।

दिल्ली विद्युत बोर्ड (दि.वि.बो.)<sup>1</sup> की विद्युत आपूर्ति के लिए प्रभावी शुल्क दर 1997-2001 की अवधि के दौरान 0.85 शक्ति गुणक पर आधारित थी। उपभोक्ताओं से कार्य करने की उपयुक्त स्थिति में पर्याप्त क्षमता के शन्ट कैपसिटरों की स्थापना और रखरखाव करने की अपेक्षा थी जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति का औसत शक्ति गुणक 0.85 से कम न हो जाये। यदि औसत शक्ति गुणक 0.85 से कम हो जाए तो दि.वि.बो. निर्धारित दरों पर अधिशुल्क की उगाही करती थी।

भारतीय खेलकूद प्राधिकरण, इन्दिरा गांधी स्टेडियम के लिए दि.वि.बो. की उ.क्ष. लाईन से विद्युत की आपूर्ति कर रहा था, जिसका शक्ति गुणक 0.48 से 0.79 के बीच था जोकि 0.85 के निर्धारित शक्ति गुणक से कम था। अतः दि.वि.बो. ने अगस्त 1997 से जनवरी 2001 की अवधि के लिए 1.95 करोड़ रु की राशि का निम्न शक्ति गुणक अधिभार उद्ग्रहीत किया। ऐसी स्थिति इसके दोषपूर्ण शन्ट कैपसिटरों के कारण उत्पन्न हुई थी। यदि भा.खे.प्रा. ने शन्ट कैपसिटरों के अधिग्रहण एवं रखरखाव तथा 0.85 के निर्धारित शक्ति गुणक पर विद्युत आपूर्ति को नियमित करने के लिए समय पर कार्यवाही की होती तो इस व्यय से बचा जा सकता था।

भा.खे.प्रा. ने बताया (मार्च 2002) कि उ. क्ष. आपूर्ति के बिन्दु पर निम्न शक्ति गुणक के 0.4 से 0.7 के बीच रहने के कारणों की जाँच भेल द्वारा की गई थी जिसने 1993 में शक्ति गुणक सुधार पैनल के प्रावधान के लिए 56 लाख रु का एक प्राकलन प्रस्तुत किया था। लेकिन ज्यादा लागत होने के फलस्वरूप वे अनुशंसा को लागू नहीं कर सके। भा.खे.प्रा. ने बताया कि वर्तमान हस्तचालित नियंत्रण पैनल को पुनः सक्रिय कर दिया गया है और ये वांछित शक्ति गुणक को अनुरक्षित रखने में सफल रहे हैं। उत्तर यथेष्ट रूप से औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि भा.खे.प्रा. ने पैनल की अनुमानित लागत के तीन गुणा से ज्यादा जुर्माना पहले ही अदा कर दिया था।

<sup>1</sup> विद्युत वितरण के निजीकरण के पश्चात कार्यों को बी.एस.ई.एस.लि. को हस्तांतरित कर दिया गया है।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### 15.2 निष्क्रिय उपकरण

**भारतीय खेलकूद प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) 1.10 करोड़ रु. मूल्य के खरीदे गए (1988-2004) उपकरण का उपयोग करने में विफल रहा।**

भा.खे.प्रा. के उपकरण के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित मामलों में 1988-2004 के बीच खरीदे गए उपकरण का उपयोग नहीं हुआ था।

(क) भा.खे.प्रा. ने 20.76 लाख रु. की लागत पर एक मशीन आयात की थी (नवम्बर 1988) जिसकी क्षमता प्रतिदिन 14,400 मिट्टी के कबूतर बनाने की थी। मशीन, रेंज की वास्तविक आवश्यकता और मिट्टी के कबूतरों के आयात की तुलना में विनिर्माण की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन किये बिना डा.करनी सिंह चांदमारी रेंज के लिए उपार्जित की गई थी। 1991 और 1995 के बीच केवल 3.13 लाख मिट्टी के कबूतरों का निर्माण किया गया था और उसके बाद मशीन निष्क्रिय पड़ी रही। इसे बेचने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में भा.खे.प्रा. ने बताया (दिसम्बर 2005) कि आयातित मिट्टी के कबूतरों की तुलना में इस मशीन से निर्मित मिट्टी के कबूतरों को मितव्यी नहीं पाया गया था। संभवतः इस पहलू पर उपकरण की खरीद के समय विचार नहीं किया गया था।

(ख) एफ्रो-एशियन खेलों के लिए 40.79 लाख रु. की कुल लागत पर अक्तूबर 2001 में मौजूदा हस्तचालित लक्ष्य पद्धति को विद्युतीय प्रचालित परम्परागत लक्षित बाक्स पद्धति द्वारा बदल दिया था। तथापि लक्ष्य पेपर रोल की अनुलब्धता के कारण, जिसे आयात करने की आवश्यकता थी, इन मशीनों को कोचिंग कैम्पों के दौरान अभ्यास के लिए निशानेबाजों द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किये जाने पर भा.खे.प्रा. ने दिसम्बर 2005 में बताया कि देशी लक्ष्य पेपर रोल के निर्माण का एक स्रोत विकसित किया जा चुका है। किंतु लेखापरीक्षा में पाया कि उपकरण उपार्जित करने की तिथि अर्थात् अक्तूबर 2001 से नवम्बर 2005 तक अप्रयुक्त रहे।

(ग) स्टॉक रजिस्टर की जांच से पता चला कि अप्रैल 1993 तथा अगस्त 2003 के बीच उपार्जित 23.82 लाख रु. की लागत के खेलकूद उपकरण उप-केन्द्र गुवाहटी में 10 माह से 10 वर्षों की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े थे (जुलाई 2004)। भा.खे.प्रा. ने बताया (जून 2004) कि जब भी केन्द्र को आवंटित किया जाता था इनका उपयोग राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं इत्यादि में किया जाता था। तथापि लेखापरीक्षा ने

पाया कि इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन गुवाहटी में नहीं किया गया था। अतः उपकरण पूर्ण रूप से निष्क्रिय थे।

(घ) नेताजी सुभाष दक्षिण केन्द्र, बंगलौर ने 2001-02 से 2003-04 के दौरान 25.02 लाख रु. की लागत के खेलकूद उपकरण खरीदे थे और उन्हें विभिन्न उप-केन्द्रों में वितरित किया यद्यपि वहां सम्बन्धित विद्या विशेष के लिए या तो कोच नहीं थे अथवा केन्द्रों में ऐसी विद्या का अभाव था। अतः इन मदों पर किया गया 25.02 लाख रु. का व्यय अप्रयुक्त रहा। केन्द्र ने बताया (अगस्त 2004) कि मदों का उपयोग अतिशीघ्र किया जायेगा।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### 15.3 अग्राह्य व्यय

भारतीय खेलकूद प्राधिकरण ने अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और उनके वैयक्तिक कर्मचारियों आदि को उपलब्ध कराए गए वाहनों और मोबाइल फोन पर 72.03 लाख रु. का अनियमित व्यय किया गया।

भा.खे.प्रा. की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1984 में एक पंजीकृत समिति के रूप में की गई थी। भा.खे.प्रा. के शासी निकाय में युवा मामले एवं खेलकूद केन्द्रीय मंत्री उसके अध्यक्ष (पदेन) के रूप में, युवा मामले एवं खेलकूद के लिए केन्द्रीय राज्य मंत्री उसके उपाध्यक्ष (पदेन) के रूप में और 24 अन्य सदस्य हैं। भा.खे.प्रा. के संस्थापन प्रलेख (सं.प्र.) के अनुसार शासी निकाय के गैर सरकारी सदस्यों और पदेन सदस्यों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार केवल या.भ./दै.भ. दिया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि भा.खे.प्रा. ने 2000-2004 के दौरान युवा मामले और खेलकूद के केन्द्रीय और राज्य मंत्रियों को क्रमशः शासी निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हैसियत के रूप में तथा साथ ही उनके वैयक्तिक कर्मचारियों को किसाए के वाहन के उपयोग पर 22.49 लाख रु व्यय किये। इसने 1997-98 से 2002-03 के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके वैयक्तिक सहायकों और विशेष ऊँटी पर उनसे जुड़े अधिकारियों को दिए गये मोबाइल फोन पर भी 7.44 लाख रु का व्यय किया। इसे मंत्रालय द्वारा भी स्वीकार किया गया था (नवम्बर 2005)। इसके अतिरिक्त, भा.खे.प्रा. ने 2000-2005 के दौरान उपरोक्त वर्णित मंत्रियों को उपलब्ध कराई स्टाफ कारों के रखरखाव और पैट्रोल पर 42.10 लाख रु व्यय किये। सं.प्र. के प्रावधानों के अन्तर्गत कुल 72.03 लाख रु का व्यय ग्राह्य नहीं था और अनियमित था।

#### 15.4 ब्याज का परिहार्य भुगतान

भारतीय खेलकूद प्राधिकरण द्वारा न्यायालय में मुकदमे को उचित रूप से प्रस्तुत करने में विफलता का परिणाम 12.75 लाख रु. के परिहार्य ब्याज भुगतान में हुआ।

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद समिति (समिति) पटियाला के दिल्ली केन्द्र का मई 1987 में भारतीय खेलकूद प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) के साथ विलय हुआ। विलय से पूर्व उसने एक राष्ट्रीय खेलकूद लॉटरी का खेल प्रवर्तित किया था। द्वारा 29 सितम्बर 1984 को हुआ और 5.70 लाख रु. जीती हुए टिकट के धारक दावेदार को समिति द्वारा इस आधार पर पुरस्कार देने से इन्कार किया गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत टिकट की प्रामाणिकता संदेहपूर्ण थी। दावेदार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 8 जुलाई 1985 को समिति के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। समिति के विलय के फलस्वरूप भा.खे.प्रा. मई 1989 से मुकदमे का अनुसरण कर रहा था।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि 1989 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बचाव वकील की अनुपस्थिति के कारण एकपक्षीय निर्णय दिया और बाद में दावेदार को 8 जुलाई 1985 से अदायगी की तिथि तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ-साथ 5.70 लाख रु. की पुरस्कृत राशि के भुगतान करने का भा.खे.प्रा. को निर्देश देते हुए अप्रैल 2002 में डिगरी पारित की। दावेदार को मुकदमे की लागत के लिए 0.10 लाख रु. भी प्रदान किये। लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.खे.प्रा. के कानूनी कक्ष को निर्णय के बारे में जुलाई 2003 में ही पता चला। उस समय तक मामला अपील के लिए कालातीत हो गया था। भा.खे.प्रा. ने अन्ततः 27 फरवरी 2004 को 5.70 लाख रु. की पुरस्कृत राशि के अतिरिक्त ब्याज के रूप में 12.75 लाख रु. और मुकदमे की लागत के रूप में 0.10 लाख रु. अदा किये।

अतः मुकदमे का उचित रूप से अनुसरण करने में भा.खे.प्रा. में विफलता का परिणाम अपील करने के मौके को खोने के अलावा 12.75 लाख रु. के परिहार्य ब्याज भुगतान में हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय : XVI

### **16.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति**

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाते ही इन प्रतिवेदनों में उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों पर की गई उपचारात्मक/शोधक कार्रवाई को दर्शाते हुए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु, अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) के प्रस्तुतीकरण को तीन महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करें और सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर का.टि. लेखापरीक्षा द्वारा भली-भांति पुनरीक्षित कराकर, संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत करें।

31 मार्च, 2004 को समाप्त हुई अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (स्वायत्त निकायों) में शामिल पैराग्राफों पर का.टि. की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति (**परिशिष्ट-VIII**) की समीक्षा से प्रकट हुआ कि उपरोक्त अनुदेशों के बावजूद, मंत्रालयों ने अधिकांश पैराग्राफों के सम्बन्ध में उपचारात्मक/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। 110 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थीं, में से 38 पैराग्राफों पर अन्तिम का.टि. प्रतीक्षित थीं जबकि 72 पैराग्राफों के सम्बन्ध में का.टि. बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई थी।

72 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. प्राप्त नहीं हुई थीं, में से 35 पैराग्राफ शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के मार्च 1989 से मार्च 1993 को समाप्त वर्षों के प्रतिवेदनों से सम्बन्धित थे।

(डा. अं.कु. बनर्जी)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली  
दिनांक ७ मार्च २०१६

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली  
दिनांक १० मार्च २०१६

## परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ 1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2004-2005 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
<b>कृषि और सहकारिता</b>			
1.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इमफाल	24.42	शून्य
2.	नारियल विकास बोर्ड, कोची	2000.00	शून्य
3.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	2330.00	शून्य
4.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगाँव	7000.00	शून्य
5.	राष्ट्रीय कृषि विस्तारण प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	350.00	शून्य
6.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगाँव	1600.00	शून्य
		<b>13304.42</b>	शून्य
<b>कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा</b>			
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	162696.00	शून्य
		<b>162696.00</b>	शून्य
<b>पशु पालन और डेरी उद्योग</b>			
8.	भारतीय पशु- चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	65.00	शून्य
		<b>65.00</b>	शून्य
<b>रसायन एवं उर्वरक</b>			
9.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली	1046.00	शून्य
		<b>1046.00</b>	शून्य
<b>कोयला एवं खान</b>			
10.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
<b>वाणिज्य</b>			
11.	कृषि तथा प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	61.03	शून्य
12.	कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखे), बंगलौर	6341.32	शून्य
13.	कॉफी बोर्ड (पूल निधि लेखे), बंगलौर	शून्य	शून्य
14.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई	शून्य	शून्य
15.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन	शून्य	शून्य
16.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली	शून्य	शून्य
17.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता	शून्य	शून्य

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
18.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई	शून्य	शून्य
19.	निर्यात निरीक्षण परिषद, कोलकाता	शून्य	शून्य
20.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोची	4533.30	शून्य
21.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम	10140.00	शून्य
22.	मसाला बोर्ड, कोची	शून्य	शून्य
23.	चाय बोर्ड, कोलकाता	10317.00	शून्य
24.	तम्बाकू बोर्ड, गुन्दूर	2642.50	शून्य
		34035.15	शून्य
<b>उपभोक्ता मामले</b>			
25.	भारतीय मानक व्यूरो, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
<b>संस्कृति</b>			
26.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद	200.54	शून्य
27.	एसियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	565.00	शून्य
28.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह	690.00	शून्य
29.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी	580.00	शून्य
30.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	1236.84	शून्य
31.	पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	295.63	शून्य
32.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली	588.93	शून्य
33.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	1609.50*	शून्य
34.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	38.00	शून्य
35.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	455.00	शून्य
36.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	340.00	शून्य
37.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	790.03	शून्य
38.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता	2960.21	शून्य
39.	कला संक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	154.75	शून्य
40.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	725.00	शून्य
41.	नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं संग्रहालय, नई दिल्ली	714.00	शून्य
42.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	330.80	शून्य
43.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	173.35	शून्य
44.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला	390.57	शून्य
45.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	969.22	शून्य

\* (उ.पू.) के लिए 734.50 लाख रु. सहित।

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
46.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	880.00	शून्य
47.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	1184.71	शून्य
48.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	276.90	शून्य
49.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थन्जावुर, तमिलनाडू	284.85	शून्य
50.	विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता	669.05	शून्य
51.	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	294.22	शून्य
		<b>17397.10</b>	शून्य
<b>रक्षा</b>			
52.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग	63.11	शून्य
53.	जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकाल खेलकूद संस्थान, पहलगाँव	21.43	शून्य
54.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी	67.61	शून्य
		<b>152.15</b>	शून्य
<b>विदेश मामले</b>			
55.	हज समिति	शून्य	शून्य
56.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली	5750.00	शून्य
57.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली	165.00	शून्य
		<b>5915.00</b>	शून्य
<b>पर्यावरण एवं वन</b>			
58.	भारतीय केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	1950.00	शून्य
59.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	760.00	शून्य
		<b>2710.00</b>	शून्य
<b>वित्त</b>			
60.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद	शून्य	शून्य
61.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
		<b>शून्य</b>	शून्य
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>			
62.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	28900.00	शून्य
63.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	97.00	शून्य
64.	केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	3531.00	शून्य
65.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1239.00	शून्य
66.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2457.07	शून्य
67.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	240.00	शून्य
68.	भारतीय केन्द्रीय औषधि परिषद, नई दिल्ली	96.90	शून्य
69.	चित्रंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	1795.00	शून्य

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
135.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	880.00	शून्य
136.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	440.00	शून्य
137.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, बड़ोदरा	76.00	शून्य
138.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली	1100.00	शून्य
139.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
140.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	5375.55	शून्य
141.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद	शून्य	शून्य
142.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासनिक संस्थान, नई दिल्ली	535.33	शून्य
143.	राष्ट्रीय ढाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	671.00	शून्य
144.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	655.00	शून्य
145.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	760.00	शून्य
146.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	672.50	शून्य
147.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	522.50	शून्य
148.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	1550.00	शून्य
149.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	889.00	शून्य
150.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	1962.00	शून्य
151.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोजीकोड	2098.50	शून्य
152.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र	1122.50	शून्य
153.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	1100.00	शून्य
154.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	2382.50	शून्य
155.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्वर	1265.00	शून्य
156.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	1459.00	शून्य
157.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरथकल	2300.00	शून्य
158.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली	1925.00	शून्य
159.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	2010.00	शून्य
160.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई	666.66	शून्य
161.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली	540.00	शून्य
162.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली	58866.00	शून्य
163.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	7217.36	शून्य
164.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, ईटानगर	1350.00	शून्य
165.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	1682.70	शून्य
166.	भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं संस्कृति का इतिहास परियोजना, नई दिल्ली	169.82	शून्य
167.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	3130.00	शून्य
168.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	539.45	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
169.	संत लोगोंवाल अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़	1100.00	शून्य
170.	सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	1512.50	शून्य
171.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	855.00	शून्य
172.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	2109.45	शून्य
173.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	190260.00	शून्य
174.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	4279.62	शून्य
175.	विश्वेस्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	1650.00	शून्य
176.	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	4023.31	शून्य
		<b>560047.84</b>	शून्य
<b>कृषि- ग्रामीण उद्योग</b>			
177.	नारियल जटा बोर्ड, कोची	1942.00	10.00
178.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	54338.00	151.00
		<b>56280.00</b>	<b>161.00</b>
<b>सूचना एवं प्रसारण</b>			
179.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	101078.00*	8593.00
180.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली	142.26	शून्य
		<b>101220.26</b>	<b>8593.00</b>
<b>श्रम एवं रोजगार</b>			
181.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	2340.00	शून्य
182.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली		शून्य
183.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली		शून्य
184.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश	457.96	शून्य
		<b>2797.96</b>	शून्य
<b>विधि एवं न्याय</b>			
185.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	94.00	शून्य
186.	राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, (सं.क्षे.) चंडीगढ़	5.00	शून्य
		<b>99.00</b>	शून्य
<b>विद्युत</b>			
187.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो, नई दिल्ली	36.00	शून्य
188.	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली	645.05	शून्य
189.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	1412.00	शून्य
		<b>2093.05</b>	शून्य

\* बैंक समायोजन द्वारा प्रसार भारती में प्रतिनियुक्ति पर समझे गए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन तथा छुट्टी वेतन अंशदान के 10240 लाख रु. तथा गैर योजना संशोधन के अंतर्गत प्रसार भारती के पास 569 लाख रु. अप्रयोज्य शेष रहे।

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
रेलवे			
190.	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
ग्रामीण विकास			
191.	उन्नत जातियों के कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद, नई दिल्ली	6985.00	शून्य
192.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	1641.90	शून्य
		<b>8626.90</b>	शून्य
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
193.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	4505.00	शून्य
194.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	4810.00	शून्य
		<b>9315.00</b>	शून्य
जहाजरानी			
195.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई	शून्य	शून्य
196.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन	शून्य	300.00
197.	भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान, मुम्बई	300.00	शून्य
198.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नेवशेवा	शून्य	शून्य
199.	कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड, कांडला	शून्य	शून्य
200.	कांडला पत्तन न्यास, गाँधीधाम	शून्य	शून्य
201.	कोलकाता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता	952.00	शून्य
202.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता	952.00	शून्य
203.	मोरमुगांव पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य
204.	अध्यक्ष मुम्बई पत्तन न्यास पहले मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
205.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य
206.	नया मंगलौर पत्तन न्यास	शून्य	शून्य
207.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप	शून्य	शून्य
208.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई	शून्य	शून्य
209.	महापत्तन शुल्क प्राधिकरण, चेन्नई	200.00	शून्य
210.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन	शून्य	शून्य
211.	विजाग गोदी श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
212.	विजाग पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
		<b>2404.00</b>	<b>300.00</b>
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान			
213.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	126647.00	शून्य
		<b>126647.00</b>	<b>शून्य</b>

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>			
214.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	1028.00	शून्य
215.	केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेन्सी, नई दिल्ली	115.00	शून्य
216.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली	137.00	शून्य
217.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	133.00	शून्य
218.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून	495.00	शून्य
219.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद	1225.00	शून्य
220.	डा. श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अस्थि संबंधी विकलांग संस्थान, कोलकाता	580.00	शून्य
221.	आत्मविमोह, प्रमास्तिकीय घात, मानसिक विकलांगता और बहुविध विकलांगता पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
222.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	560.00	शून्य
223.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	286.00	शून्य
224.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, कटक	1017.00	शून्य
		<b>5576.00</b>	शून्य
<b>दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी</b>			
225.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	1627.00	शून्य
226.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, अं.भ.नि.लेखा	शून्य	शून्य
		<b>1627.00</b>	शून्य
<b>कपड़ा</b>			
227.	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर	16331.50	शून्य
228.	पटसन निर्माता विकास परिषद, कोलकाता	3870.00	शून्य
229.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	3755.00*	शून्य
230.	कपड़ा समिति, मुम्बई	525.00	शून्य
		<b>2448.15</b>	शून्य
<b>शहरी विकास एवं गरीबी उन्नमूलन</b>			
231.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
232.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	89.00	शून्य
233.	लक्ष्मीप भवन विकास बोर्ड, कवारती	शून्य	शून्य
234.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली	190.00	शून्य
235.	राजधानी समाधि समिति, नई दिल्ली	180.00	शून्य
		<b>459.00</b>	शून्य

\* वे. एवं ले. अ. (हथकरघा) द्वारा भुगतान किये गये 225 लाख रु.।

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
जल संसाधन			
236.	बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी	शून्य	शून्य
237.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	2568.00	शून्य
238.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	शून्य	शून्य
239.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	2100.00	शून्य
		<b>4668.00</b>	<b>शून्य</b>
युवा मामले और खेलकूद			
240.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	900.00	शून्य
241.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	4351.00	शून्य
242.	भारतीय खेलकूद प्राधिकरण, नई दिल्ली	13893.00	शून्य
		<b>19144.00</b>	<b>शून्य</b>
	कुल जोड़	<b>1229067.32</b>	<b>9054.00</b>

**परिशिष्ट - II**

(पैराग्राप्त 1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय  
जिनकी 2004-2005 की सूचना दिसम्बर 2005 तक प्राप्त नहीं हुई थी

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
<b>संस्कृति</b>	
1.	दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड, नई दिल्ली
2.	खुदा बक्श ओरियन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना
3.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय बोर्ड, कोलकाता
4.	रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड, रामपुर
5.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली
<b>पर्यावरण एवं वन</b>	
6.	पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई
7.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, नई दिल्ली
<b>विधि</b>	
8.	राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
<b>मानव संसाधन विकास</b>	
9.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था, नई दिल्ली
<b>जहाजरानी</b>	
11.	मुम्बई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास

**परिशिष्ट - III**

(पैराग्राफ 1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प. (क.श.से) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2004-05 के दौरान जारी किए गए अनुदान

(लाख रु. में)

कं. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	त्रहण
<b>कृषि तथा सहकारिता</b>			
1.	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ	2925.00	शून्य
2.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद	1332.00	शून्य
3.	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ	14863.28	शून्य
<b>परमाणु ऊर्जा</b>			
4.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुम्बई	1377.00	शून्य
5.	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	920.00	शून्य
6.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई	960.00	शून्य
7.	भौतिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	1035.12	शून्य
8.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधी नगर	6800.00	शून्य
9.	साहा नाभिकीय भौतिक विज्ञान संस्थान, कोलकाता	5328.00	शून्य
10.	टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	13764.90	शून्य
11.	टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई	8226.16	शून्य
<b>जीव-प्रौद्योगिकी</b>			
12.	डी.एन.ए. अंगुली-छाप एवं निदान विद्या केन्द्र, हैदराबाद	13.00	शून्य
13.	जीव संसाधन एवं वहनीय विकास संस्थान, इम्फाल	3.37	शून्य
14.	जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	5.00	शून्य
15.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुडगांव	21.00	शून्य
16.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे	16.92	शून्य
17.	राष्ट्रीय प्लान्ट जीनोम अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	10.95	शून्य
18.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	28.85	शून्य

कं. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
<b>रसायन एवं उर्वरक</b>			
19.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	985.80	शून्य
20.	कीटनाशी प्रतिपादन प्रौद्योगिकी संस्थान, गुडगांव	273.65	शून्य
<b>नागर विमानन</b>			
21.	भारतीय ऐरो क्लब, सफदरजंग हवाई अड्डा	100.00	शून्य
<b>वाणिज्य</b>			
22.	अभियान्त्रिकी निर्यात प्रवर्तन परिषद, कोलकाता	1507.06	शून्य
23.	भारतीय निर्यात संगठन संघ	650.00	शून्य
24.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान,	460.53	शून्य
25.	भारतीय गुणवत्ता परिषद	20.00	शून्य
26.	चमड़ा निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोलकाता	73.42	शून्य
27.	खेलकूद सामान निर्यात प्रोत्साहन परिषद	142.49	शून्य
<b>कम्पनी मामले</b>			
28.	भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग	156.00	शून्य
<b>संस्कृति</b>			
29.	नव नालंदा महाविहार, बिहार	385.00	शून्य
<b>रक्षा</b>			
30.	छावनी बोर्ड, अहमदनगर	195.00	शून्य
31.	छावनी बोर्ड, बैरकपुर	167.00	शून्य
32.	छावनी बोर्ड, चक्रशता	129.00	शून्य
33.	छावनी बोर्ड, क्लीमेंट टाउन	117.00	शून्य
34.	छावनी बोर्ड, दानापुर	124.00	शून्य
35.	छावनी बोर्ड, फिरोजपुर	165.00	शून्य
36.	छावनी बोर्ड, कसौली	102.00	शून्य
37.	छावनी बोर्ड, खास्योल	112.00	शून्य
38.	छावनी बोर्ड, लैंसडॉन	121.00	शून्य
39.	छावनी बोर्ड, रामगढ़	141.00	शून्य
40.	छावनी बोर्ड, रानीखेत	351.38	शून्य
41.	छावनी बोर्ड, वैलिंगटन	161.62	शून्य
42.	रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान	1219.00	शून्य
<b>पर्यावरण एवं वन</b>			
43.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली	2689.48	शून्य
44.	गोविन्द वल्लभ पंत हिमालयीन पर्यावरण एवं विकास संस्थान	806.00	शून्य

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

कं. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
45.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	4870.59	शून्य
46.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	570.63	शून्य
47.	भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर	453.70	शून्य
<b>वित्त</b>			
48.	भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली	190.00	शून्य
49.	भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम	5000.00	शून्य
50.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.	31600.00	शून्य
51.	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	45.00	शून्य
52.	ग्रामीण सहायता एवं विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक	4279.98	शून्य
53.	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद	150.00	शून्य
54.	राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली	179.04	शून्य
55.	पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण	100.00	शून्य
56.	भारतीय राज्य औद्योगिक विकास बैंक	2117.50	शून्य
<b>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग</b>			
57.	धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, थन्जावुर	173.70	शून्य
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>			
58.	अखिल भारतीय स्पीच एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	911.00	शून्य
59.	कैंसर अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	150.00	शून्य
60.	केन्द्रीय संयुक्त भवन परिसर परिषद	258.00	शून्य
61.	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	250.00	शून्य
62.	गांधी ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण न्यास संस्थान, तमिलनाडू	73.00	शून्य
63.	गुजरात कैन्सर अनुसंधान संस्थान	150.00	शून्य
64.	भारतीय चिकित्सा संघ, नई दिल्ली	25.00	शून्य
65.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	584.00	शून्य
66.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई	545.00	शून्य
67.	कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, वर्धा	1000.00	शून्य
68.	लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं समवर्गी रोग संस्थान, नई दिल्ली	1520.00	शून्य
69.	राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	77.00	शून्य
70.	राष्ट्रीय जैविक संस्थान	4000.00	शून्य
71.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई	475.00	शून्य

कं. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
72.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर	700.00	शून्य
73.	नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र	90.00	शून्य
74.	उत्तर-पूर्वी इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग	7000.00	शून्य
75.	भारतीय पारचर संस्थान, कूनूर	900.00	शून्य
76.	राज्य परिवार नियोजन सेवा परियोजना में नवीनता अधिकरण, लखनऊ	4623.00	शून्य
77.	वल्लब्हाई पटेल वक्ष संस्थान, नई दिल्ली	1000.00	शून्य
78.	स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं, चेन्नई	1200.00	शून्य
<b>मानव संसाधन विकास</b>			
79.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	70.00	शून्य
80.	अविनाश गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा महिला संस्थान, कोयम्बटूर	952.70	शून्य
81.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	439.68	शून्य
82.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	21.00	शून्य
83.	केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	1512.71	शून्य
84.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	1531.73	शून्य
85.	केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली	8053.23	शून्य
86.	दयालबाग शिक्षण संस्थान, आगरा	477.09	शून्य
87.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली	83600.00	शून्य
88.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	1111.25	शून्य
89.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	808.39	शून्य
90.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	634.99	शून्य
91.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	10900.00	शून्य
92.	जामिया हमर्दद, नई दिल्ली	607.39	शून्य
93.	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा	958.00	शून्य
94.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	135.00	शून्य
95.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	0.50	शून्य
96.	श्री चन्द्रशेखरन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय, कांचीपुरम	60.50	शून्य
97.	राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	100.00	शून्य
98.	राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	100.00	शून्य
99.	राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ	100.00	शून्य
100.	राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	100.00	शून्य
101.	राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे	100.00	शून्य
102.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	1231.18	शून्य

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

कं. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	त्रण
औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन			
103.	केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	442.00	शून्य
भारी उद्योग एवं सार्वजिक उपक्रम			
104.	तरल नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पालघाट, केरल	300.00	शून्य
सूचना एवं प्रसारण			
105.	भारतीय बाल चलचित्र समिति, मुम्बई	215.00	शून्य
106.	भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, पुणे	930.31	शून्य
107.	भारतीय जन संचार संस्थान	439.60	शून्य
108.	सत्यजीत राय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता	386.00	शून्य
सूचना प्रौद्योगिकी			
109.	उन्नत परिकलन विकास केन्द्र, पुणे	4300.00	शून्य
110.	इलैक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी उपकरण केन्द्र	410.00	शून्य
111.	इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग - अधिकृत कम्प्यूटर पाठ्यक्रम	670.00	शून्य
112.	इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात प्रोत्साहन परिषद	850.00	शून्य
113.	अनुप्रयुक्ति सूक्ष्म तरंग इलैक्ट्रॉनिक्स अभियान्त्रिकी अनुसंधान समिति, मुम्बई	2100.00	शून्य
लघु उद्योग			
114.	केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई	92.00	शून्य
115.	केन्द्रीय उपकरण डिजाइन संस्थान, बालानगर, हैदराबाद	255.00	शून्य
116.	केन्द्रीय उपकरण कक्ष प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता	320.00	शून्य
117.	राष्ट्रीय सीमेन्ट एवं भवन सामग्री परिषद, हरियाणा	300.00	शून्य
118.	राष्ट्रीय उद्यमशील एवं लघु व्यापार विकास संस्थान	84.00	शून्य
119.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	708.00	शून्य
श्रम एवं रोजगार			
120.	बाल श्रम उन्मूलन प्रोत्साहन योजना समिति, वेल्लोर	106.41	शून्य
121.	राष्ट्रीय अनुदेशात्मक जनसंचार संस्थान, चेन्नई	204.00	शून्य
122.	स्माइल परियोजना समिति, सलेम	92.77	शून्य
महासागर विकास			
123.	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवाएं केन्द्र, हैदराबाद	1398.00	शून्य
124.	राष्ट्रीय अंटार्टिक एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र, गोवा	4423.00	शून्य
125.	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	12125.00	शून्य

कं. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
<b>कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन</b>			
126.	केन्द्रीय सिविल सेवाएं सांस्कृतिक एवं खेलकूद बोर्ड, नई दिल्ली	40.00	शून्य
127.	गृह कल्याण केन्द्र	40.00	शून्य
128.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	220.50	शून्य
129.	संस्कृति विद्यालय	551.50	शून्य
<b>योजना</b>			
130.	अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	410.14	शून्य
<b>विद्युत</b>			
131.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	893.79	शून्य
<b>ग्रामीण विकास</b>			
132.	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण, नई दिल्ली	500.00	शून्य
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>			
133.	जिला पुनर्वास केन्द्र, विजयवाड़ा	231.00	शून्य
134.	डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	100.00	शून्य
135.	लिवेन्शिल्फ विशाखापटनम मानसिक विकलांग संघ	43.31	शून्य
136.	मानसिक विकास केन्द्र विजयवाड़ा	72.26	शून्य
137.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	100.00	शून्य
138.	राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान	401.00	शून्य
<b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी</b>			
139.	अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	663.00	शून्य
140.	आर्यभट्ट निरीक्षण सम्बन्धी विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल	700.00	शून्य
141.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	608.00	शून्य
142.	बोस संस्थान, कलकत्ता	1383.00	शून्य
143.	द्रव क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर	200.00	शून्य
144.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर	227.00	शून्य
145.	भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ, कोलकाता	2320.00	शून्य
146.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बैंगलोर	2600.00	शून्य
147.	भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, मुम्बई	1168.00	शून्य
148.	भारतीय उष्णाकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे	798.00	शून्य
149.	भारतीय राष्ट्रीय अभियान्त्रिकी अकादमी, नई दिल्ली	100.00	शून्य

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

कं. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	त्रट्टण
150.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	628.00	शून्य
151.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, कोलकाता	181.00	शून्य
152.	इन्डो फ्रैंच उन्नत अनुसंधान प्रवर्तन केन्द्र	775.00	शून्य
153.	इन्डो यू एस एस और टी फोरम	400.00	शून्य
154.	अन्तर्राष्ट्रीय धातु विज्ञान पाउडर एवं नई सामग्री उन्नत अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	2800.00	शून्य
155.	जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बैंगलोर	1550.00	शून्य
156.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	243.00	शून्य
157.	राष्ट्रीय जांच एवं अशंशोधन प्रयोगशालाएं प्रत्यापन बोर्ड, नई दिल्ली	399.00	शून्य
158.	रमन अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर	1920.00	शून्य
159.	सत्येन्द्रनाथ बोस राष्ट्रीय आधारिक विज्ञान केन्द्र, कोलकाता	845.00	शून्य
160.	सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	2509.00	शून्य
161.	विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली	520.00	शून्य
162.	वाडिया हिमालयी भूगर्भशास्त्र संस्थान, देहरादून	1135.00	शून्य
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान			
163.	परामर्श विकास केन्द्र, नई दिल्ली	50.00*	शून्य
अन्तरिक्ष			
164.	राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला	435.00	शून्य
165.	राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण, हैदराबाद	1400.00	शून्य
166.	उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, शिलांग	500.00	शून्य
167.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	3329.00	शून्य
सांख्यिकी			
168.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता	5282.00	शून्य

\* 18.12.2004 से सी.डी.एस. को स्वायत्त संगठन का दर्जा मिला।

कं. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	त्रहण
<b>कपड़ा</b>			
169.	अखिल भारतीय हथकरघा विपणन वस्त्र सहकारी समिति, नई दिल्ली	262.39	शून्य
170.	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद	884.47*	शून्य
171.	बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ	190.90	शून्य
172.	हथकरघा निर्यात (संवर्धन) परिषद, चेन्नई	349.83*	शून्य
173.	भारतीय पटसन औद्योगिक अनुसंधान संघ, कोलकाता	299.97	शून्य
174.	राष्ट्रीय पटसन विविधता केन्द्र, कोलकाता	578.00	शून्य
175.	दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, कोयम्बूरू	175.70	शून्य
176.	सिथेंटिक और रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	200.77*	शून्य
177.	ऊन अनुसंधान, थाने	66.25	शून्य
<b>पर्यटन</b>			
178.	भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	126.22	शून्य
179.	होटल प्रबंधन खान पान तकनीक और प्रायोगिक पोषण संस्थान, बंगलौर	275.00	शून्य
180.	होटल प्रबंधन खान पान तकनीक और प्रायोगिक पोषण संस्थान, गुवाहाटी	5.00	शून्य
181.	होटल प्रबंधन खान पान तकनीक और प्रायोगिक पोषण संस्थान, ग्वालियर	59.79	शून्य
182.	होटल प्रबंधन सरकारी बहुशिल्प यौगिक संस्थान, गुजरात	457.45	शून्य
183.	होटल प्रबंधन संस्थान, चेन्नई	139.13	शून्य
184.	होटल प्रबंधन संस्थान, गोवा	16.71	शून्य
185.	होटल प्रबंधन संस्थान, गुरदासपुर	31.45	शून्य
186.	होटल प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	49.79	शून्य
187.	होटल प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	39.52	शून्य
188.	होटल प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली	31.59	शून्य
189.	होटल प्रबंधन संस्थान, उड़ीसा	10.27	शून्य
190.	होटल प्रबंधन संस्थान, पटना	8.00	शून्य
191.	होटल प्रबंधन संस्थान, शिमला	199.87	शून्य
192.	राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खान पान तकनीक परिषद, पूसा, नई दिल्ली	375.00	शून्य

\* वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 163.47 लाख रु. अदा किये गये

▲ वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 100.62 लाख रु. अदा किये गये।

◆ वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अदा किये गये

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

कं. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
<b>जनजातीय मामले</b>			
193.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली	43.21	शून्य
194.	भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि.	600.00	शून्य
<b>शहरी विकास</b>			
195.	भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	492.00	शून्य
196.	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान	168.00	शून्य
<b>युवा मामले एवं खेलकूद</b>			
197.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, चेन्नई	245.00	शून्य
198.	भारतीय ओलम्पिक संघ, नई दिल्ली	12.45	शून्य
	<b>कुल योग</b>	<b>334667.78</b>	<b>शून्य</b>

## परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 1.1 के संदर्भ में)

धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखे के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की प्राप्ति की तिथि
(क)	तीन से छः माह तक का विलम्ब	
1.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1.10.2004
2.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	4.10.2004
3.	वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा	5.10.2004
4.	संत लोंगोवाल अभियान्त्रिकी एंव प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल	6.10.2004
5.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	11.10.2004
6.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	11.10.2004
7.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर	11.10.2004
8.	निर्यात निरीक्षण ऐजेंसी, कलकत्ता	12.10.2004
9.	स्नातकोत्तर यिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	13.10.2004
10.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	18.10.2004
11.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता	18.10.2004
12.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्वर	18.10.2004
13.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	18.10.2004
14.	कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखे), बंगलौर	20.10.2004
15.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	20.10.2004
16.	साहित्य अकादमी समिति, नई दिल्ली	26.10.2004
17.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	28.10.2004
18.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	29.10.2004
19.	राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	2.11.2004
20.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	2.11.2004
21.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	4.11.2004
22.	वितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता	5.11.2004
23.	भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान, मुम्बई	5.11.2004
24.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	10.11.2004
25.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	11.11.2004
26.	राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान बोर्ड, गुडगांव	6.01.2005
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	16.11.2004
28.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस	17.11.2004
29.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	18.11.2004
30.	भारतीय मानक व्यूरो, नई दिल्ली	22.11.2004
31.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	22.11.2004
32.	दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय	23.11.2004

33.	बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद	24.11.2004
34.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	2.12.2004
35.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र	6.12.2004
36.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	7.12.2004
37.	भारतीय खेलकूद प्राधिकरण, नई दिल्ली	7.12.2004
38.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	9.12.2004
39.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	9.12.2004
40.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	10.12.2004
41.	भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	14.12.2004
42.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	16.12.2004
43.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली	17.12.2004
44.	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	20.12.2004
45.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	23.12.2004
(ख)	छ: माह से अधिक विलम्ब	
1.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	3.01.2005
2.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	7.01.2005
3.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	12.01.2005
4.	राष्ट्रीय हौम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता	25.01.2005
5.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	2.02.2005
6.	बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	3.02.2005
7.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली	9.02.2005
8.	कला संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	15.02.2005
9.	उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	17.02.2005
10.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता	1.03.2005
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली	21.03.2005
12.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली	31.03.2005
13.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	1.04.2005
14.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	6.04.2005
15.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	11.04.2005
16.	दक्षिण क्षेत्र संस्कृति केन्द्र, थन्जावर	18.04.2005
17.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	19.04.2005
18.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	24.05.2005
19.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	18.05.2005
20.	पूर्वी-क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कलकत्ता	06.06.2005
21.	दिल्ली विश्वविद्यालय	30.06.2005
22.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	17.07.2005
23.	केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली	18.08.2005
24.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	25.08.2005
25.	दक्षिण-केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	26.09.2005

**परिशिष्ट - V**

(पैराग्राफ 1.1 के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2003-04 के लेखे दिसम्बर 2005 तक प्रस्तुत न करना

क्र.सं.	संस्थान
1.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
2.	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
3.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
4.	हज समिति, मुम्बई
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
6.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
7.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजाल
8.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
9.	भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली
10.	राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (सं.क्षे.) चंडीगढ़
11.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड
12.	राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
13.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली

**परिशिष्ट - VI**

(पैराग्राफ 1.1.4 के सदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं  
(31.10.2005 तक की स्थिति)

क्र.सं.	मंत्रालय/स्वा.नि. का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	भा.स. /स्वा.नि. को ले.प्र. जारी करने की तिथि
<b>कृषि और सहकारिता</b>			
1.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव	2003-04	3.6.2005
2.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	1997-98	23.7.2003
<b>गृह मंत्रालय</b>			
3.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली	2003-04	11.04.2005
<b>मानव संसाधन विकास</b>			
4.	राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबन्धन संस्थान, ग्वालियर	2002-03	29.11.2004
5.	विश्वभारती शान्ति निकेतन	2003-04	31.8.2004
6.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	2001-02 2002-03	21.1.2004 20.5.2005
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	2003-04	24.02.2005
8.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	2003-04	06.07.2005
9.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	2000-01 2001-02	25.7.2005 25.7.2005
10.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	2003-04	19.8.2005
11.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	2003-04	—
12.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा	2003-04	19.07.2005
13.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल	2001-02	13.07.2005
14.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, श्रीनगर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	2001-02 2002-03 2003-04	5.11.2002 15.1.2004 5.11.2002
15.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	2002-03	28.03.2005
16.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू विश्वविद्यालय, वर्धा	1997-98 से 2000-01	1.4.2003
17.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	2002-03 2003-04	09.12.2003 18.03.2005
18.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली	2001-02 2002-03 2003-04	21.06.2004 20.08.2004 23.06.2005

19.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	2001-02 2002-03 2003-04	19.09.2003 12.07.2004 29.06.2005
20.	दिल्ली विश्वविद्यालय	2000-01 2001-02	20.12.2004 29.03.2005
21.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	2003-04	13.06.2005
22.	भारतीय विज्ञान, दार्शनिक एवं संस्कृति का इतिहास परियोजना, नई दिल्ली	2002-03 2003-04	09.03.2004 27.12.2004
23.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली	2003-04	14.10.2005
<b>स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण</b>			
24.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	2003-04	16.08.2004
25.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2003-04	16.08.2005
<b>श्रम</b>			
26.	केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड, नागपुर	2003-04	27.11.2004
27.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	2003-04	04.04.2005
<b>विधि न्याय एवं कम्पनी मामले</b>			
28.	राज्य न्यायिक सेवाएं प्राधिकरण, सं.क्षे. चंडीगढ़	2003-04	2.11.2004
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>			
29.	केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली	2000-01 2001-02	13.07.2005 21.03.2005
<b>पर्यटन एवं संस्कृति</b>			
30.	खुदा बक्षा ओरियन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना	2003-04	12.1.2005
31.	पूर्वी क्षेत्र संस्कृति केन्द्र कोलकाता	2003-04	--
32.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	1995-96 से 1998-99 1999-2000 2002-03 2003-04	14.8.2000 24.11.2000 7.1.2004 31.12.2004
33.	रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड, रामपुर	2003-04	21.4.2005
34.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र, इलाहाबाद	2003-04	08.06.2005
35.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	2003-04	24.08.2004
36.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थंजावर	1995-96 से 97-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2002-03	25.01.2000 20.12.2000 17.12.2001 18.12.2002 21.05.2004
37.	ललित कला अकादमी	2003-04	24.04.2005
38.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	2003-04	13.07.2005
39.	संगीत नाटक अकादमी	2003-04	10.03.2005

**2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)**

40.	दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड	2003-04	27.05.2005
41.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय	2003-04	10.08.2005
42.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान	2003-04	16.06.2005
43.	साहित्य अकादमी	2002-03 2003-04	28.05.2004 03.06.2005
44.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	1995-96 से 98-99 1999-00 2000-01	13.08.2001 18.07.2005 18.07.2005
<b>युवा मामले एवं खेलकूद</b>			
45.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, भोपाल	2002-03	11.4.2005

## परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.3 के संदर्भ में)

बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
कृषि	1990-91	3	11.25
	1991-92	8	16.50
	1992-93	1	2.50
	1996-97	4	2.35
	1997-98	8	28.28
	1998-99	3	1.75
	2000-01	1	0.95
	2001-02	6	2.45
	2002-03	9	35.70
	2003-04	101	11592.97
		144	11694.70
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन	2003-04	38	4953.10
		38	4953.10
परमाणु उज्ज्ञा	1991-92	1	2.51
	1996-97	5	5.21
	1997-98	6	4.79
	1998-99	7	9.92
	1999-00	8	17.46
	2000-01	12	21.66
	2001-02	10	9.84
	2002-03	40	167.24
	2003-04	90	579.99
		179	818.62
रसायन एवं पैट्रो रसायन	2002-03	1	133.00
	2003-04	4	574.93
		5	707.93
नागर विमानन	2003-04	1	17.43
		1	17.43
वाणिज्य एवं कपड़ा			
(i) वाणिज्य	2000-01	6	326.00
	2001-02	4	162.00
	2002-03	58	8741.00
	2003-04	75	12428.00
		143	21657.00

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
(ii) कपड़ा	1978-79	11	47.23
	1979-80	3	14.60
	1980-81	3	3.88
	1981-82	1	0.40
	1982-83	4	1.75
	1984-85	2	0.88
	1985-86	3	2.15
	1988-89	1	0.30
	1989-90	3	1.75
	1990-91	1	3.32
	1991-92	3	0.75
	1992-93	9	22.40
	1993-94	9	9.51
	1994-95	31	26.27
	1995-96	49	288.94
	1996-97	17	52.77
	1997-98	19	55.31
	1998-99	13	41.24
	1999-00	34	141.46
	2000-01	36	108.00
	2001-02	37	69.67
	2002-03	70	288.72
	2003-04	251	1768.43
		<b>610</b>	<b>2949.73</b>
रक्षा	1978-79	1	10.49
	1979-80	1	11.65
	1980-81	1	13.64
	1981-82	2	18.76
	1982-83	2	21.96
	1983-84	2	23.36
	1984-85	2	28.18
	1985-86	1	40.44
	1986-87	1	49.77
	1987-88	1	25.85
	1988-89	1	54.07
	1989-90	1	65.18
	1990-91	1	753.11
	1991-92	7	71.88
	1992-93	1	79.00
	1993-94	7	90.00
	1994-95	7	97.40
	1995-96	4	76.60

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
	1996-97	7	146.35
	1997-98	7	173.00
	1998-99	5	254.27
	1999-00	6	299.00
	2000-01	7	322.00
	2001-02	5	450.27
	2002-03	5	530.00
	2003-04	2	316.50
		87	<b>4022.73</b>
पर्यावरण एवं वन	1981-82	15	5.79
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	278	6531.00
	1988-89	359	2543.18
	1989-90	545	192.00
	1990-91	70	123.30
	1991-92	81	1439.00
	1992-93	216	736.00
	1993-94	64	74.18
	1994-95	135	1146.00
	1995-96	10	21.00
	1996-97	440	15732.00
	1997-98	601	9742.00
	1998-99	302	314.00
	1999-00	513	4399.00
	2000-01	532	4991.36
	2001-02	606	11254.67
	2002-03	707	12029.29
	2003-04	1000	12288.90
		6923	<b>84921.14</b>
विदेश मामले	1999-00	2	3.34
		2	<b>3.34</b>
भारतीय चुनाव आयोग	1996-97	उ.न.	5.50
	1998-99	उ.न.	0.49
	1999-00	उ.न.	0.60

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
		2000-01	N.A.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		N.A.	17.78
	1991-92	2	19.08
	1992-93	9	87.36
	1993-94	18	152.69
	1994-95	24	156.86
	1995-96	19	153.01
	1996-97	15	154.99
	1997-98	18	294.37
	1998-99	34	319.78
	1999-00	43	398.20
	2000-01	72	1114.64
	2001-02	81	1971.94
	2002-03	133	3724.59
	2003-04	232	4316.46
		<b>700</b>	<b>12863.97</b>
वित्त आर्थिक मामले	2000-01	3	301.33
	2001-02	6	1774.58
	2002-03	1	93.65
	2003-04	2	108.95
		<b>12</b>	<b>2278.51</b>
मानव संसाधन एवं विकास			
(i) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	1977-78	8	11.38
	1978-79	31	32.73
	1979-80	21	24.90
	1980-81	14	37.90
	1981-82	17	44.35
	1982-83	38	73.61
	1983-84	31	61.18
	1984-85	21	31.93
	1985-86	120	630.12
	1986-87	40	139.71
	1987-88	149	728.84
	1988-89	141	662.66
	1989-90	99	976.96
	1990-91	14	12.43
	1991-92	62	317.45
	1992-93	69	479.50
	1993-94	84	663.12
	1994-95	41	237.08
	1995-96	58	334.09

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
	1996-97	56	698.08
	1997-98	69	2007.00
	1998-99	59	683.44
	1999-00	206	3608.26
	2000-01	217	2217.02
	2001-02	326	3856.07
	2002-03	519	21925.90
	2003-04	832	24788.74
		<b>3342</b>	<b>65284.45</b>
(ii) प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता	1982-83	1	5.00
	1984-85	1	0.60
	1985-86	9	5.05
	1986-87	19	17.70
	1987-88	4	13.09
	1988-89	21	74.24
	1989-90	34	56.90
	1990-91	12	287.71
	1991-92	7	8.93
	1992-93	11	79.23
	1993-94	34	398.50
	1994-95	38	690.49
	1995-96	67	2120.34
	1996-97	65	999.75
	1997-98	56	838.40
	1998-99	67	1598.50
	1999-00	93	3142.16
	2000-01	118	31390.96
	2001-02	229	51797.51
	2002-03	326	119723.03
	2003-04	536	180903.26
		<b>1748</b>	<b>394151.35</b>
(iii) महिला एवं बाल विकास	1986-87	130	361.35
	1987-88	204	561.58
	1988-89	311	671.85
	1989-90	356	856.45
	1990-91	266	957.94
	1991-92	307	1527.35
	1992-93	303	1309.67
	1993-94	430	1503.12
	1994-95	441	1509.26
	1995-96	281	1016.13
	1996-97	512	2175.37

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
	1997-98	323	1232.65
	1998-99	278	3730.56
	1999-00	221	1363.77
	2000-01	251	3512.73
	2001-02	347	1859.32
	2002-03	580	3492.42
	2003-04	393	3962.30
		<b>5934</b>	<b>31603.82</b>
संस्कृति	1982-83	2	0.45
	1983-84	4	0.53
	1984-85	10	2.08
	1985-86	3	0.61
	1986-87	8	2.57
	1987-88	5	1.38
	1988-89	14	2.86
	1989-90	13	2.46
	1990-91	72	12.53
	1991-92	91	688.14
	1992-93	771	2747.68
	1993-94	738	5106.41
	1994-95	462	1298.19
	1995-96	500	3581.72
	1996-97	694	3204.90
	1997-98	663	1770.52
	1998-99	526	5011.16
	1999-00	489	1538.33
	2000-01	1057	4368.71
	2001-02	788	3937.23
	2002-03	956	6178.11
	2003-04	1021	8132.80
		<b>8887</b>	<b>47589.37</b>
खेलकूद मामले	1987-88	20	10.04
	1988-89	103	76.02
	1989-90	153	62.55
	1990-91	185	100.18
	1991-92	133	113.36
	1992-93	386	700.65
	1993-94	377	805.00
	1994-95	234	460.95
	1995-96	349	1007.13
	1996-97	386	4585.47
	1997-98	278	1895.83

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
	1998-99	544	6532.44
	1999-00	844	4570.46
	2000-01	1040	13701.04
	2001-02	139	652.36
	2002-03	759	13441.87
	2003-04	1348	18983.26
		<b>7278</b>	<b>67698.61</b>
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>			
(i) स्वास्थ्य	1980-81	2	1.46
	1983-84	2	24.80
	1984-85	5	29.26
	1985-86	8	2.47
	1986-87	4	3.39
	1987-88	3	23.00
	1988-89	10	2.45
	1989-90	21	47.28
	1990-91	5	5.71
	1991-92	5	0.97
	1992-93	1	0.15
	1993-94	33	1414.68
	1994-95	18	778.54
	1995-96	77	2785.24
	1996-97	104	1678.70
	1997-98	158	6817.34
	1998-99	118	12898.10
	1999-00	268	14270.46
	2000-01	244	41046.21
	2001-02	353	10377.11
	2002-03	517	105326.11
	2003-04	496	96847.41
		<b>2452</b>	<b>294380.84</b>
(ii) परिवार कल्याण	1982-83	4	2.95
	1986-87	2	9.45
	1987-88	3	4.13
	1989-90	7	17.35
	1990-91	8	13.00
	1992-93	2	7.79
	1993-94	14	48.86
	1994-95	37	52.26
	1995-96	94	108.56
	1996-97	99	1070.33

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
	1997-98	59	862.00
	1998-99	55	547.29
	1999-00	61	3920.25
	2000-01	107	6805.45
	2001-02	191	13083.67
	2002-03	427	47292.36
	2003-04	423	113911.84
		<b>1593</b>	<b>187757.54</b>
गृह मामले पी.ए.ओ. (सचिवालय)	1998-99	1	0.05
	2003-04	1	0.11
		<b>2</b>	<b>0.16</b>
सूचना प्रौद्योगिकी	2001-02	3	61.00
	2002-03	191	15458.48
	2003-04	229	15182.66
		<b>423</b>	<b>30702.14</b>
<b>उद्योग</b>			
(i) भारी उद्योग	2000-01	2	284.00
	2002-03	7	1658.00
	2003-04	12	3092.00
		<b>21</b>	<b>5034.00</b>
(ii) लघु एवं कृषि ग्रामीण उद्योग	1998-99	2	200.00
	2000-01	1	20.00
	2001-02	6	69.00
	2002-03	1	15.00
	2003-04	17	268.00
		<b>27</b>	<b>572.00</b>
(iii) औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन	2003-04	10	4347.00
		<b>10</b>	<b>4347.00</b>
(iv) सार्वजनिक उद्यम विभाग	2002-03	5	40.00
	2003-04	1	12.00
		<b>6</b>	<b>52.00</b>
श्रम	1979-80	1	0.01
	1982-83	2	0.13
	1985-86	3	1.62
	1987-88	3	2.94
	1988-89	1	6.21
	1989-90	9	10.10
	1990-91	14	19.29
	1991-92	8	26.59
	1992-93	2	0.64
	1993-94	7	6.72

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
	1994-95	3	3.71
	1995-96	32	184.36
	1996-97	244	439.88
	1997-98	5	4.58
	1998-99	25	26.92
	1999-00	38	40.68
	2000-01	55	137.93
	2001-02	55	244.66
	2002-03	59	656.33
	2003-04	131	2026.35
		697	3839.65
<b>विधि न्याय एवं कम्पनी मामले विभाग</b>			
(i) विधि न्याय एवं कम्पनी मामले मंत्रालय (राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण)	1982-83	2	1.00
	1983-84	5	1.52
	1984-85	5	1.30
	1989-90	3	1.30
	1990-91	1	0.25
	1991-92	7	1.48
	1992-93	8	0.80
	1993-94	8	4.10
	1994-95	5	4.05
	1995-96	12	5.75
	1996-97	22	41.91
	1997-98	28	36.10
	1998-99	60	245.89
	1999-00	47	254.50
	2000-01	27	331.85
(ii) विधायी विभाग	2001-02	18	162.00
	2002-03	26	259.25
	2003-04	41	356.59
		325	1709.64
	1993-94	1	0.05
	1996-97	1	0.05
	2000-01	1	0.02
	2001-02	1	0.03
	2002-03	1	0.02
	2003-04	6	1.07
		11	1.24

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
(iii) विधि मामले विभाग	2003-04	1	150.00
		1	<b>150.00</b>
खान	2003-04	15	338.84
		15	<b>338.84</b>
अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत	1994-95	2	9.02
	1995-96	2	2.90
	2000-01	1	8.75
	2002-03	3	61.86
	2003-04	48	2350.03
		56	<b>2432.56</b>
समुद्री विकास	1983-84	8	101.52
	1984-85	22	22.66
	1985-86	45	40.26
	1986-87	23	27.20
	1987-88	83	157.85
	1988-89	48	58.00
	1989-90	92	98.28
	1990-91	17	227.46
	1991-92	20	114.60
	1992-93	8	3.00
	1993-94	16	40.20
	1994-95	9	151.97
	1995-96	53	58.77
	1996-97	52	152.02
	1997-98	71	858.74
	1998-99	79	1147.88
	1999-00	36	2194.01
	2000-01	52	950.97
	2001-02	48	4466.87
	2002-03	38	10435.44
	2003-04	123	2226.53
		943	<b>23534.23</b>
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन	1999-00	2	16.00
	2003-04	4	57.72
		6	<b>73.72</b>
योजना तथा सांख्यिकी योजना आयोग	2003-04	18	227.54
		18	<b>227.54</b>

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
भूतल परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी	2000-01	1	329.00
	2001-02	1	1.50
	2002-03	6	115.33
	2003-04	7	52.83
		<b>15</b>	<b>498.66</b>
ग्रामीण विकास	1999-00	3	62.37
	2000-01	3	103.36
	2001-02	4	67.43
	2002-03	53	259.50
	2003-04	110	1249.20
		<b>173</b>	<b>1741.86</b>
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1987-88	235	233.00
	1988-89	552	1142.00
	1989-90	270	390.00
	1990-91	530	609.00
	1991-92	492	1428.00
	1992-93	355	692.00
	1993-94	646	1095.00
	1994-95	849	1586.00
	1995-96	866	1416.00
	1996-97	444	951.00
	1997-98	527	13919.00
	1998-99	539	2514.00
	1999-00	457	4080.00
	2000-01	685	4811.00
	2001-02	1979	7915.00
	2002-03	1436	9758.00
	2003-04	802	5812.00
		<b>11664</b>	<b>58351.00</b>
अन्तर्रिक्ष	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	6	0.74
	1983-84	3	0.66
	1984-85	5	1.47
	1985-86	2	0.15
	1986-87	10	3.90
	1987-88	4	4.88
	1989-90	3	1.91
	1990-91	2	5.34
	1991-92	1	1.24

2006 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
	1992-93	1	1.01
	1993-94	2	1.28
	1994-95	2	3.05
	1995-96	2	0.45
	1996-97	3	7.56
	1998-99	2	0.45
	1999-00	3	1.95
	2000-01	17	1610.14
	2001-02	45	596.24
	2002-03	71	574.33
	2003-04	145	1021.40
		<b>333</b>	<b>3838.66</b>
पर्यटन	1998-99	1	338.14
	2002-03	3	100.70
	2003-04	6	546.58
		<b>10</b>	<b>985.42</b>
शहरी विकास	1984-85	1	0.40
	1985-86	5	2.25
	1986-87	1	0.50
	1987-88	3	4.15
	1988-89	4	1.15
	1989-90	1	1.50
	1990-91	2	1.56
	1992-93	2	1.65
	1993-94	6	8.10
	1994-95	10	12.99
	1995-96	6	16.89
	1996-97	4	6.22
	1997-98	3	2.14
	1998-99	2	3.25
	1999-00	5	134.44
	2000-01	2	6.00
	2001-02	23	2390.45
	2002-03	20	586.26
	2003-04	69	32925.18
		<b>169</b>	<b>36105.08</b>
शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	1983-84	1	0.54
	1985-86	1	0.50
	1986-87	2	0.70
	1988-89	2	1.90
	1989-90	2	4.52
	1990-91	2	2.10

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2004 तक)	मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2005 तक देय थे	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
	1991-92	3	6.10
	1992-93	6	49.50
	1993-94	4	1.12
	1995-96	2	5.20
	1996-97	1	1.10
	1998-99	2	251.15
	1999-00	1	0.92
	2000-01	3	593.79
	2001-02	17	2263.13
	2002-03	19	4426.83
	2003-04	17	24866.43
		<b>85</b>	<b>32475.53</b>
जल संसाधन	1986-87	3	17.43
	1987-88	4	6.77
	1988-89	3	8.80
	1989-90	5	4.82
	1990-91	3	7.17
	1991-92	1	9.19
	1994-95	1	2.83
	1995-96	4	21.90
	1997-98	3	8.26
	1998-99	4	2.63
	1999-00	10	6.24
	2000-01	5	8.89
	2001-02	5	5.63
	2002-03	9	12.25
	2003-04	7	4.23
		<b>67</b>	<b>127.04</b>
कुल योग		<b>55155</b>	<b>1442516.52</b>

**परिशिष्ट - VIII**

(ऐराग्राफ 16 के संदर्भ में )

अक्तूबर 2005 तक बकाया कार्यवाही टिप्पणियां

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार अधीन
1.	उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण	2004	1	1	--
2.	संस्कृति	1997	1	--	1
		1998	1	--	1
		2001	2	--	2
		2004	2	2	--
3.	विदेश मामले	2004	1	1	--
4.	वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग)	2003	1	--	1
		2004	2	--	2
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1999	1	--	1
		2002	2	1	1
		2004	3	--	3
6.	मानव संसाधन विकास (माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग)	2001	4	--	4
		2002	3	3	--
		2003	4	2	2
		2004	11	6	5
		महिला एवं बाल विकास विभाग	2002	1	--
7.	सूचना एवं प्रसारण	2002	5	--	5
		2003	4	1	3
		2004	4	4	--
8.	श्रम	2000	1	--	1
		2001	1	--	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार अधीन
9.	जहाजरानी	2001	1	1	--
		2002	1	1	--
		2003	3	2	1
		2004	4	3	1
10.	लघु उद्योग	2000	1	1	--
		2004	2	2	--
11.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2001	1	--	1
		2004	1	1	--
12.	शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन	1989	1	1	--
		1990	5	5	--
		1991	8	8	--
		1992	9	9	--
		1993	12	12	--
		2002	1	1	--
		2003	1	1	--
		2004	3	3	--
13.	युवा मामले एवं खेलकूद	1994	1	--	1
योग			110	72	38

